खण्ड–12, अंक–7
गुरुवार, 30 पौष, शक संवत् 1926
(20 जनवरी, 2005 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2005)

(खण्ड 12 में 7 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य :

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	....	क
प्रश्नोत्तर	....	2–43
जनपद टिहरी गढ़वाल के पुनर्वास समस्याओं को लेकर उप्पू क्षेत्र विकास खण्ड थौलधार में महिलाओं के आन्दोलन के सम्बन्ध में विचार नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	44
लोअर सलड़ी नहर वि0ख0 भीमताल जनपद नैनीताल को सिंचाई हेतु खुलवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	45
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान जनपद चमोली निदेशक के पद पर नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	45
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 पिथौरागढ़ की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से निष्कासित 30 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	46
जनपद ऊधमसिंह नगर के सरकारी क्षेत्र (रामनगर ईको पार्क) की 805 एकड़ भूमि हस्तांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	46
भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 में पंजीकृत एवं उत्तरांचल के मूल निवासी बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों को 21 दिसम्बर, 2004 की स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति में आवेदन से वंचित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	46–47
जनपद हरिद्वार के वि0ख0 खानपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित दल्लावाला ग्राम पंचायत में भूमि पट्टा आवंटन के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	47
जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	48
जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, देवी नगर में पेयजल संकट के समाधान हेतु पम्पिंग योजना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	48
मोती बाजार से डांडीपुर, तथा गुरुद्वारा चौक डांडीपुर से तिलक रोड तक गन्दे नाले को ढकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	48–49

विषय		पृष्ठ संख्या
नगर पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा के राजस्व ग्राम कनार को ग्राम सभा बमनपुरी में शामिल करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	49
जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत पन्यूड़ी क्षेत्र में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	50
जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत भाटी गांव क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	50
जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट भाटी गांव क्षेत्र में हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	50
जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी अन्तर्गत कालसी–बैराटखाई मोटर मार्ग से जोशी, गोथान, बसाया, बढनू, दातनू एवं साहिया मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	50
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के कण्डारखुआ एवं चौगांव पट्टी क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	51
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के रिलौर (चमड़खान) क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	51
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के चिनियानौला क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	....	51
रिस्पनापुरम् कालोनी देहरादून के अध्यासितों के कब्जों को विनियमित किए जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	....	51
श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा द्वारा तकनीकी शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	....	52
संसदीय कार्य, सूचना एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री के विरुद्ध कथित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	....	52–53
मुख्यमंत्री द्वारा उत्तरांचल को नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2005 के मिलने पर बधाई	....	53–54
सर्वदलीय जांच समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की घोषणा	....	54–55
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशें (स्वीकृत)	....	55
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	....	55

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 (पारित)	....	56–67
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 (पारित)	....	67–71
असरकारी विधेयक "उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2005" (अस्वीकृत)	....	71–79
प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर, यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किये जाने विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	....	79–87
उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाना विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	....	87–92
हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि की पैड़ी" गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखे जाने विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	....	93–99
जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगरपालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने विषयक संकल्प (अस्वीकृत)	....	99–105
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की चार पट्टियाँ बिचलाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला ढांगू तथा मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाये जाने के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	....	106–108
जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	....	108–110
औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने के संबंध में संकल्प (संकल्प वापस लिया गया)	....	110–112
प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था के संबंध में संकल्प (अस्वीकृत)	....	112–116
"कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी)	....	116

विषय		पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल राज्य के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्द्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कारों का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी)	....	116
जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी)	....	117
प्रदेश के भू–गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियन्त्रण पर संस्तुति हेतु भू–गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित किये जाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी)	....	117
जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनि तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाये जाने सम्बन्धी संकल्प (चर्चा जारी)	....	117
उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	117–118
प्रदेश के जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि के मानकों में वृद्धि हेतु समयबद्ध नीति के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	118
ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	118
उत्तरांचल में गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार द्वारा कानून बनाएं जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	118
उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्राय: वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	119
पर्वतीय क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या हेतु पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी)	....	119
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	....	119

विषय .... पृष्ठ संख्या

उत्तरांचल पुलिस में पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति के मानकों में वरिष्ठता का मापदण्ड अपनाये जाने के संबंध में श्री काशी सिंह ऐरी, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का वक्तव्य 119–122

निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिये ऋण की ब्याज सहित 15 वर्षों बाद की जा रही वसूली के संबंध में श्री प्रकाश पंत, स०वि०स० द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य 122

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" सदस्य, विधान सभा द्वारा सम्पादक "अमर उजाला" के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 122–128

सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाये जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय 128

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 129

राष्ट्रगान 129

नत्थियां 130–135

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्री अरविन्द पाण्डे
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह रजवार
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोबिन्द लाल
16—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह गुनसोला
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड़
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री दिनेश अग्रवाल
23—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24—श्री नव प्रभात
25—श्री नारायण दत्त तिवारी
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
31—डा० प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
37—श्री फूल सिंह बिष्ट
38—श्री बलबीर सिंह नेगी
39—श्री विजयपाल सिंह सजवाण
40—श्री विशन सिंह चुफाल
41—श्री भगत सिंह कोश्यारी
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
45—श्री मातबर सिंह
46—श्री माल चन्द्र
47—चौ० यशवीर सिंह
48—श्री रणजीत सिंह
49—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50—श्री राम प्रसाद टम्टा
51—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52—श्री शूरवीर सिंह
53—श्री सहजाद
54—श्री साधू राम
55—श्री सुबोध उनियाल
56—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
57—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58—श्री सुरेश चंद
59—श्री हरबंस कपूर
60—श्री हरभजन सिंह चीमा
61—श्री हरीदास
62—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63—श्री हीरा सिंह बिष्ट
64—श्री हेमेश खर्कवाल
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनांक 20 जनवरी, 2005 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरभजन सिंह चीमा एवं उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सारे सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो गये और अपनी बात कहने लगे।)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैंने आज 311 में यह सूचना दी है कि काशीपुर में एस0डी0एम0 को जो ...।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाएं, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग नियम 311 के महत्व को समझें। मैं नहीं सुन रहा हूं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है ....।

श्री अध्यक्ष–

आप आज इसे 311 में दे रहे हैं, मैं इसे नहीं सुन रहा हूं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जब मैं विधानसभा के लिए आ रहा था तो कार्यकर्ताओं ने मेरा घेराव कर दिया और उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गये और आपने इसे विधानसभा में नहीं उठाया। मान्यवर, हम लोग तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे फिर क्यों यह मुकदमे दर्ज हो गये?

श्री अध्यक्ष–

ऐरी जी, आप कृपया बैठ जाएं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं, आप बैठ जाएं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जैसा ऐरी जी ने कहा तो, अगर ऐसी बात है तो इसे दिखवा लेंगे, आन्दोलन या धरना कार्यक्रमों में ऐसा होता है, बैरीकेडिंग तोड़ने आदि का मामला होगा, यह कोई गंभीर बात नहीं है, इसे दिखवा लेंगे।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटन आवास गृहों के निजीकरण पर विचार

**1–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि क्या सरकार कुमाऊं मंडल विकास निगम के कतिपय पर्यटक आवास गृहों का निजीकरण किये जाने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या इस पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है?

पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

जी नहीं।

पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित एवं गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों के निजी संचालन के संदर्भ में मात्र एक अध्ययन कराया गया है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुमाऊं मंडल एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम बनाने के क्या उद्‌देश्य थे और क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रश्न इसमें सम्मिलित था। जैसा अभी माननीय मंत्री ने कहा कि पर्यटक आवास गृहों के निजी संचालन के संदर्भ में मात्र एक अध्ययन कराया गया था तो इस अध्ययन की आवश्यकता क्यों पड़ी और किस उद्‌देश्य से यह अध्ययन कराया गया और इस पर कितना व्यय हुआ और किस संस्था से यह अध्ययन कराया गया और उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, यह अध्ययन जो हमारे टूरिस्ट रेस्ट हाउस हैं, उनका सुदृढ़ीकरण कैसे हो, किस तरह से वहां पर अच्छी सुविधायें दी जायं और यह किस तरह टूरिस्टों को और अच्छी सुविधायें दे सके, इसके लिए यह स्टडी करवाया गया था और यह तकरीबन जून 2001 में कराया गया और यह हमारी टूरिज्म पॉलिसी के अन्दर भी है कि इन एडीशन टू द प्रापर्टीज ऑफ द टूरिज्म डिपार्टमेन्ट एण्ड गढ़वाल/कुमाऊं मंडल विकास निगम और जोनल डेवलपमेन्ट कारपोरेशंस, रेस्ट हाउसेज ऑफ द वेरीयस डिपार्टमेंट्स सच एज फारेस्ट डिपार्टमेन्ट, इरीगेशन एन्ड पब्लिक वर्क डिपार्टमेन्ट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर टूरिज्म एक्टिवेटिड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेन्ट एन्ड मैनेजमेंट ऑफ सच फेसिलिटीज विल बी प्रमोटेड एण्ड एनकरेज्ड। मान्यवर, इसको माध्यम से शासन द्वारा करवाया गया था, यह स्टेट इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी द्वारा कराया गया था और इसमें 13 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। ...

मान्यवर, इसमें से 10 लाख रुपया व्यय हो चुका है और 3 लाख की रिकवरी है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने पर्यटन परिषद् की रिपोर्ट का हवाला दिया, यह ठीक है कि आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वाइट करने की बात कही है। मान्यवर, कुमाऊ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम को स्थापित करने का एक उद्देश्य यह भी था कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाये जायें। एक आशंका है कि जो पॉलिसी बनायी गयी है, कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के जो पर्यटक आवास गृह लाभ में चल रहे हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप आश्वस्त करेंगे कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम के जो पर्यटक आवास गृह हैं, उनको निजी हाथों में नहीं देंगे ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, ये कॉमर्शियल आर्गेनाइजेशन हैं। इनके बारे में ऐसा आश्वासन देना सम्भव नहीं है कि भविष्य में क्या करेंगे। मैंने बताया कि स्टडी क्यों की गयी। स्टडी के माध्यम से यह पता किया जाएगा कि कैसे इनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। आप जानते ही हैं कि हमने पर्यटक आवास गृहों में इम्प्रूवमेंट किया है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम और कुमाऊं मण्डल विकास निगम के कुल कितने आवास गृह संचालित हैं और इनमें से कितने लाभ में चल रहे हैं और कितने घाटे में चल रहे हैं?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम के 27' आवास गृह लाभ में और 46 आवास गृह घाटे में तथा कुमाऊं मण्डल निगम के 18 आवास गृह लाभ में और 22 आवास गृह घाटे में चल रहे हैं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आवास गृह घाटे में चल रहे हैं, क्या उनके लिए कोई विशेष समीक्षा कराएंगे कि वे घाटे में क्यों चल रहे हैं? साथ ही उनके घाटे में रहने के जो कारण हैं, क्या उनको दूर करके लाभ में लाने की कोई नीति सरकार द्वारा बनायी गयी है?

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, ...।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आप ही जवाब दे दीजिए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहा था। [XXX]। आप इस तरह हमें हड़का नहीं सकते हैं। हम चुन कर इस सम्मानित सदन में आए हैं। हम इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत लेना भी जानते हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, कृपया दोबारा प्रश्न पूछें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दोबारा प्रश्न करने को कहा जा रहा है।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने सूचना दी कि कुमाऊं मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के कई पर्यटक आवास गृह घाटे में चल रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आवास गृह घाटे में चल रहे हैं, क्या इनके घाटे में चलने के कारणों की समीक्षा कराएंगे? क्या समीक्षा करने के पश्चात् इन आवास गृहों को लाभ में पहुंचाने के सरकार द्वारा कोई नीति बनायी जा रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, स्टडी के माध्यम से कई अच्छी बातें सामने आई हैं। हमने इसके माध्यम से उनके लोकेशन, एसैट्स और उनकी क्वालिटी क्या है, उसका अध्ययन किया। इस सम्बन्ध में बाद में हमने निगम के प्रबन्धकों और एम०डीज् से डिटेल में बात की तथा हमने इसका भी अध्ययन किया कि क्या कारण है जिससे ये लॉस में जा रही है। हमने इनके विकास के लिए काफी धन लगाया है। इससे हमें लाभ भी प्राप्त हुआ है। जैसे 2002–2003 में गढ़वाल मण्डल विकास निगम का टर्न ओवर 486.50 जो 2003–2004 में यह 583.30 लाख हुआ। मान्यवर, गढ़वाल मण्डल विकास निगम को 2002–2003 में 131.23 का घाटा हुआ था जो 2003–2004 में घटकर 93.50 रह गया है। मान्यवर, कुमाऊं मण्डल विकास निगम का 2003–2004 में टर्न ओवर 378.67 का हुआ, हमारे द्वारा व्यय 358.20 किया गया इस प्रकार हमें कुमाऊं मण्डल विकास निगम से 10.47 का लाभ हुआ।

श्री अजय भट्ट–

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्रतापूर्वक जानना चाहता हूं कि आपने 10 लाख रुपये में अध्ययन करवाया। उस रिपोर्ट में क्या–क्या है? क्या उसका विवरण सदन को देंगे ? आज प्रदेश की जनता भी इस बारे में जानना चाहती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, आज आपने पीला गुलाब लगाया है।

(हंसी)

नोट– [XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में यह बात भी आई है कि सरकार कुमाऊं मण्डल विकास निगम के 7 पर्यटक आवास गृह और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के 15 पर्यटक आवास गृह जो लाभ में चल रहे हैं, उनको निजी हाथों में देने जा रही है। क्या इसकी तैयारी सरकार द्वारा कर ली गई है?

श्री तेज पाल सिंह रावत–

मान्यवर, निजी हाथों में सौंपने का सरकार का कोई विचार नहीं है और न ही कोई नीति बनाई है। मान्यवर, अध्ययन सम्बन्धी रिपोर्ट मेरे पास है, यदि आपको चाहिए तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मेरी जानकारी में यह आया है कि सरकार 20 पर्यटक आवास गृहों को 99 वर्षों के लिए 20 करोड़ रुपये में एक उद्योगपति को लीज पर देने जा रही है। क्या यह बात सही है? किस आधार पर सरकार इन्हें लीज पर दे रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, न ही ऐसा कोई विचार है और न ही ऐसी कोई नीति सरकार बना रही है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, सरकार द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं मण्डल विकास निगम में जो कैन्टीन प्रोफिट में चल रही है, उनको तो आप सरकारी हाथों में देते हैं और जहाँ पर लाभ की स्थिति नहीं है, लोगों का आवागमन कम है, पर्यटक कम आते हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। क्या हमारे नौजवान बेरोजगार भाईयों को इन कैंटीनों में कार्य करने का अवसर सरकार प्रदान करेगी, इसके बारे में सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जा रही है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, ऐसी कोई नीति नहीं है। चूंकि कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन है, ऑटोनॉमस बॉडी है।

प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार की नीति

**2–श्री किशोर उपाध्याय–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार कोई नीति बना रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

जी हां।

जी नहीं।

नवसृजित राज्य के सीमित संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना सम्भव नहीं है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह सार्वजनिक सवाल है कि आप नीति बना रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह नीति कब तक बनेगी ? दूसरा सवाल यह है कि जब भविष्य में संसाधनों की प्रचुरता हुई तो क्या बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जायेगा और प्रदेश में कल की तिथि तक कुल कितने बेरोजगार हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मान्यवर, हमारा पहला प्रदेश है, जहां पर रोजगार नीति तय करने के लिए गत वर्ष हमने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सभी विभागों के सचिवों की एक कमेटी गठित की। इसकी दो बैठकें क्रमशः 17 फरवरी, 2003 एवं 20 अगस्त, 2003 को हुई। इसमें सारे विभागों को सम्मिलित कर कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, हमने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली और उत्तराखण्ड रोजगार देने की नीति को कार्यान्वित किया है, इस दिशा में हमने अधिक प्रयास किये हैं। मान्यवर, रोजगार समन्वय विकास परिषद् का गठन किया है, जिनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे तथा उपाध्यक्ष सभी मंत्री होंगे। जो श्रम नीति पर अपनी नीति रखेंगे। मान्यवर, वर्तमान में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या लगभग साढ़े तीन लाख है तथा जो पंजीकृत बेरोजगार नहीं हैं, उनकी संख्या लगभग इतनी ही है। इस तरह से यह संख्या लगभग 6 लाख है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, नीति कम्पोजिट कब तक बना देंगे ? दूसरा सवाल यह है कि जब आपके पास संसाधन आयेंगे तो बेरोजगारों को, बेरोजगारी भत्ता देंगे या नहीं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारा नव गठित राज्य है। प्रदेश में निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या है। प्रदेश में पूरे देश की तुलना में शिक्षा का स्तर अधिक है, इसलिए शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द अगले सत्र तक अपनी नीति स्पष्ट कर देंगे। जहां तक दूसरी बात है कि बेरोजगारी भत्ता देने की तो यह किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

श्री हेमेश खर्कवाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उत्तरांचल बेरोजगारों के हित में राज्य सरकार की जो रिक्तियां निकलती हैं, उसमें पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, ट्रेजरी

चालान, निःशुल्क करेगी, ऐसा कोई सरकार विचार कर रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम बेरोजगारों के लिए रोजगार नीति बना रहे हैं। मान्यवर, सरकार सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के लिए क्या विचार कर रही है। क्या सरकार गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों को रोजगार देगी? आज कुछ लोग स्वरोजगार कर रहे हैं और उनके स्वरोजगार पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है। मान्यवर, जो मर्छा, भोटिया लोग .....

मान्यवर, यह अपनी बकरियां नीचे तराई क्षेत्र में लेकर आते हैं और उनकी 100–200 बकरियों के परमिट बने हैं। उनकी चारागाहों की समस्या आ रही है। मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है कि परमिट के लिए गांव में 4–4 बकरे मांगे। अगर ऐसे ही 4–4 मांगते रहेंगे तो क्या होगा, उनका रोजगार संकट में पड़ रहा है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जब वे स्वयं भेड़–बकरे के मालिक हैं तो वह रोजगार के लिए क्यों परेशान हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, मैंने कहा भेड़ पालक परेशान हैं, उनका रोजगार छिन रहा है। मान्यवर, उनकी सौ बकरियों का परमिट बना है और अगले साल 150 बकरी हो जाती हैं तो वे कहते हैं कि 4 बकरे दो, तो उनके सामने समस्या आ गई है।

श्री अध्यक्ष–

आप परमिट की व्यवस्था की बात कर रहे हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य इसकी रिपोर्ट लिखा दें और इसकी एक कापी हम को दे दें, हम देख लेंगे।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में रोजगार देने की बात है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में कितने बेरोजगार हैं और ये नीति कब तक तैयार हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब आ चुका है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने दोनों बातों का जवाब दिया कि उसकी नीति का मैं प्रयास कर रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, विगत दो वर्षों से विभिन्न विभागों में आवेदन–पत्र बेरोजगारों ने दिये, जिसमें से सहकारिता विभाग, मण्डी विभाग, मत्स्य विभाग आदि हैं जिनके परिणाम नहीं निकले। मान्यवर, इन विभागों में आज तक परिणाम नहीं निकल पाये, तो मैं जानना चाहता हूं कि बेरोजगारों के लिए नीति का निर्माण कर रहे हैं, इस रोजगार नीति के प्रमुख बिन्दु क्या हैं ? मान्यवर, पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 3.27 लाख बताई है, तो क्या इन पंजीकृत बेरोजगारों के लिए परीक्षा केन्द्रों तक जाने के लिये, साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए क्या निःशुल्क बस यात्रा की अनुमति प्रदान करेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

मान्यवर, जहां तक मण्डी परिषद् के परिणाम की बात है तो उसके परिणाम निकल चुके हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारा छोटा सा राज्य है, नया परिवहन निगम बना है।

फिलहाल यह सम्भव नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बेरोजगारों के हित की बात है, सरकार क्या नीति बना रही है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो हम कर पायेंगे वह करेंगे। हमारी उद्योग की नीति बनी है। सरकार की रोजगार परक औद्योगिक नीति के तहत 102 इकाइयां स्थापित हो गयी हैं। इसमें 3500 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा 110 से अधिक औद्योगिक इकाईयों की स्थापना विभिन्न चरणों में है जिसमें प्रस्तावित रोजगार की संख्या 45000 के लगभग होगी। प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक पदों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी पदों को भरने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। इसमें चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों को भरा जायेगा। विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों से रोजगार संबंधी विस्तृत आंकड़े संकलित कर रहे हैं। मान्यवर, रोजगार कार्यालय के माध्यम से जहां पर भी रोजगार उपलब्ध होंगे हमारे जो 13 जिले हैं, वहां पर रोजगार की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, क्या उत्तरांचल के आन्दोलनकारियों को रोजगार देने के संबंध में बैठक हुई उसमें कोई नीति बनी ? मान्यवर, उत्तरांचल में कितने आन्दोलनकारियों को नौकरियों दी गईं ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, यह प्रश्न में शामिल नहीं है, इसकी सूचना मैं आपको अलग से दे दूंगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अभी आपने बताया कि सवा तीन लाख पंजीकृत बेरोजगार और इतने ही अपंजीकृत हैं, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इसके लिए आप अलग से प्रश्न लगायें, हम उत्तर दे देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है, उस योजना में सलेक्ट तो हो जाते हैं, उसके बाद बैंकों में ऋण के लिए उन्हें दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जैसे ही बेनी को सरकार ने गारन्टी दी उसी तरह बेरोजगारों को गारंटी देगी या बिना गारंटी के बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध करायेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आप तो बेनी के प्रभाव से उभर नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, जो श्री भट्ट जी ने सवाल किया है उसका उत्तर पहले आ चुका है, इसमें जो स्वरोजगार और रोजगार नीति है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समय–समय पर प्रति माह बैंकों की समीक्षा बैठक करते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, बिना गारन्टी के ऋण देने के लिए सरकार कोई निर्देश देगी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अभी तक इस तरह की कोई नीति नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार एक नीति बना रही है बेरोजगारों के लिए, जो कर्मचारी सरकारी विभागों में सेवा संगठनों में कार्यरत हैं, जो इन विभागों में डेलीवेजेज हैं, उनके ऊपर अनिश्चितता की तलवार हमेशा लटकी है क्या सरकार उनको नियमित करेगी ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो रोजगार पर लगे हैं उनको बिना कारण के बाहर नहीं किया जायेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कितनों को रोजगार दिया गया है?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इसका उत्तर तो आना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण के संदर्भ में दो लाख लोगों को रोजगार की सूचना मैंने सदन में दी है जिसकी फीगर कार्यवाही का हिस्सा है। (व्यवधान)।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि रोजगार दिया। मान्यवर, जो रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज हैं, उनमें से कितनों को रोजगार दिया गया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है।...

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप प्रश्न करें। एक बार नहीं कई बार करें पर आक्रोशित न हों। संसदीय परम्पराओं का ध्यान रखें। (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी से कि उत्तरांचल राज्य इस लिए बनाया गया था कि यहां के लोगों को रोजगार मिले। सरकार ने कहा था कि 2 लाख लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह प्रश्न काल है, भाषण का समय नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार सदन को गुमराह कर रही है। इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री मातबर सिंह जी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का परित्याग कर चले गये।)

(दर्शक दीर्घा से "राजधानी गैरसैंण जिन्दाबाद" के नारे लगाये जाने लगे।)

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ये शायद इसीलिए बोल रहे थे। यह बहुत ही गम्भीर बात है, सदन के रियेक्शन का प्रभाव गैलरी में हो रहा है, यह बहुत ही गम्भीर बात है।

(श्री मातबर सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन में वापस आ गये।)

(व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह शासन की कमी है। वे सम्भाल नहीं पा रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सदन की मर्यादा के लिए और आज सदन का अंतिम दिन है, सदन सौहार्दपूर्ण माहौल में होना चाहिए। आज पुनः यह घटना घटित हुई है। मान्यवर, इस तरह की घटनाएं तो कभी होनी ही नहीं चाहिए।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्ट आने दीजिए। इसमें कार्यवाही होगी।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में नाशपाती, सेब, माल्टा व आडू का उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था

*1–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003–04 में प्रदेश के किन पर्वतीय जनपदों में कितना–कितना नाशपाती, सेब, माल्टा व आडू का उत्पादन हुआ है?

क्या सरकार के द्वारा इनके विपणन की व्यवस्था की गई है?

यदि हां, तो किसानों को कितना समर्थन मूल्य दिया गया है?, यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल)–

प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट–1)।

औद्यानिक उपजों के विपणन हेतु कृषक फैडरेशनों का गठन, निजी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना तथा मदर डेयरी को प्रोत्साहित किया गया है।

राज्य में मूल्य समर्थन योजना क्रियान्वित नहीं है।

(नत्थी ''क'' आगे पृष्ठ 130 पर)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

मान्यवर, यह प्रश्न जो मैंने पूछा है, इसका उद्देश्य सरकार को घेरे में लेने का नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि सरकार यह जानकारी प्रदान करे कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना किये जाने के लिए सरकार क्या कार्य कर रही है, क्योंकि यह एक गंभीर प्रश्न है, इसमें सरकार का भी जवाब आया है कि राज्य में मूल्य समर्थन योजना क्रियान्वित नहीं है तो अच्छा होता कि सरकार यदि यह समर्थन मूल्य नहीं है तो थोड़ा बहुत बाजार भाव के आंकड़े दे देती तो अच्छा था, सरकार का उत्तर यह भी आया कि औद्यानिक उपजों के विपणन हेतु कृषक फेडरेशनों का गठन निजी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना तथा मदर डेयरी को प्रोत्साहित किया गया है। इससे यह प्रदर्शित है कि सरकार के पास इसके लिए कोई विपणन नीति नहीं है जो आंकड़े उत्तर में दिये गये हैं, वह सही तब होते, जब कोई निश्चित मूल्य सरकार देती, अगर यह आंकड़े सही हैं तो हम इसे सही भी मान लेंगे मेरा प्रश्न करने का उद्देश्य दूसरा ही था।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हमारे फल फ्रूट्स होते हैं, जिनकी जानकारी मैंने पूछा है तो मंत्री जी बतायें कि यह फल आदि पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे उतर कर पूरे भारत के बाजारों में जाने की कोई व्यवस्था है या एक्सपोर्ट करने की कोई व्यवस्था है या फिर हल्द्वानी और रामनगर के बाजारों में आकर यह फल सड़ जाते हैं तो इसके लिए कोई व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है, वह ठीक है कि जो फल पर्वतीय क्षेत्र में पैदा होते हैं, उनके विपणन की व्यवस्था फिलहाल सरकार के पास नहीं है या विभाग के पास नहीं है लेकिन सरकार की कोशिश यह है कि किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके और वे उत्पादन को बढ़ा सकें, इसके लिए कृषकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषक फेडरेशनों की स्थापना, निजी क्षेत्रों में प्रसंस्करण इकाईयों का गठन तथा मदर डेयरी के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। यह जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, जो हमारा क्षेत्रफल है, बगीचों का या बागों का, वह उनके आधार पर अनुमानित आंकड़े हैं और सरकार यह प्रयास कर रही है कि हम निश्चित आंकड़े बनायें, इस संबंध में प्रयास किया जा रहा है।...

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय चीमा जी ने जो प्रश्न किया था और उसका जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया, मैं उसकी ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, उत्तर में कहा गया है कि "राज्य में मूल्य समर्थन योजना क्रियान्वित नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तब हमने इस मसले को कई बार सदन में उठाया था। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में फलों का उत्पादन बहुत अधिक होता है, जिस तरह से अनाज का समर्थन मूल्य निर्धारित है, उसी तरह से चूंकि कभी–कभी अतिवृष्टि से अथवा ओला वृष्टि से फलों को नुकसान हो जाता है, जिससे किसानों को बहुत अधिक आर्थिक नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार फलों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने पर कोई विचार कर रही है? हमारे प्रदेश में हार्टिकल्चर की संभावना को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी?

दूसरा, मान्यवर, क्योंकि एक कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक–फूक कर पीता है। आपने फलों के विपणन के लिए बेनी को जिम्मेदारी दी, अगर माननीय मंत्री जी जलन महसूस कर रहे हों तो क्या छाछ को फूंक कर पीते हुए क्या यह सुनिश्चित करेंगे कि जब भी उद्यानों को निजी हाथों में देंगे तो उससे पहले उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मूल्य समर्थन की योजना भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो कुमाऊँ मण्डल विकास निगम और गढ़वाल मण्डल विकास निगम के माध्यम से कुछ फलों के क्रय की योजना लागू की गयी थी। उसमें यह था कि विपणन में जो भी नुकसान होगा, उसका 50 प्रतिशत भारत सरकार देगी और 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार देगी। लेकिन कुछ वर्षों बाद भारत सरकार ने इसे बन्द कर दिया। जिसके कारण उनके नुकसान की प्रतिपूर्ति कर पाने में राज्य सरकार भी समर्थ नहीं रही। मान्यवर, वर्तमान में जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड है, उसके माध्यम से फल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने कहा निजी क्षेत्र में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करके उनको प्रोत्साहित किया गया है। इससे जो स्थानीय लोग हैं, उनको लाभ भी होगा और वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि समर्थन मूल्य भारत सरकार का कृषि मंत्रालय तय करता है, यह सत्य है। इसको स्वीकार करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो फल उत्पादन होता है, उसको बढ़ाने के लिए और फल उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार कोई प्रस्ताव बना कर भारत सरकार को प्रेषित करेगी?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम में बुआई से पहले समस्त प्रदेशों से कृषि सम्बन्धी विभिन्न सूचनाओं के साथ–साथ कृषि उत्पादन लागत की सूचनाएं मंगाई जाती हैं। कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रदेशों के कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से कृषि उत्पादन लागत सर्वेक्षण कराया जाता है जिसके आधार पर आयोग द्वारा मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्तावित किये जाते हैं। इन प्रस्तावित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर भारत सरकार का अनुमोदन होने के उपरान्त आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाते हैं। मान्यवर, जो फल और सब्जियां हैं, यह बहुत अधिक दिनों तक टिकाऊ नहीं रह सकती हैं। इसलिए इनका मूल्य निर्धारण करने में भारत सरकार को भी कठिनाई महसूस होती है। फिर भी इस प्रदेश के अंदर 4 जोनों की स्थापना की गई है। हमारा प्रयास यह है कि किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हों।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि विपणन हेतु कृषि फैडरेशन का गठन और मदर डेयरी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2004, दिसम्बर तक कितना विपणन किया गया है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र जो भौगोलिक दृष्टि से विषम क्षेत्र है, जिस प्रकार की फल एवं सब्जियां वहां पर उत्पादित होती हैं, उन्हें उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले ताकि लोग इसके उत्पादन के लिए प्रोत्साहित हों, यदि उनको इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो वे इसका उत्पादन क्यों करेंगे। हमारे वहां के लोग इन पेड़ों को काट रहे हैं, उन्हें इनके उत्पादन से कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या सरकार उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिये कोई प्रयास कर रही है ?

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जो आंकड़े दिये हैं, इसके सम्बन्ध में मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार द्वारा टिहरी में कोई संस्था निर्धारित की है कि आप क्रय करेंगे। यदि कोई संस्था थी तो उस संस्था द्वारा आड़ू, सेब, माल्टा और नाशपाती कितने मूल्यों पर किसानों से क्रय किया गया ?

श्री गोबिंद सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी की चिंता जायज है। हमने इन सालों के अंतराल में यही कोशिश की कि किसान बिचौलियों के माध्यम से नहीं बल्कि कृषकों का फैडरेशन बनाकर उनके माल को खरीदा जाए इसलिए हमने मदर डेयरी जैसी संस्थाओं को वहां आमंत्रित किया। माननीय पंत जी ने जो आंकड़े चाहे हैं, इत्तेफाक से इस समय मेरे पास नहीं है। फिर भी 2003–2004 में इस प्रदेश में 203.31 लाख रुपये की सब्जियां और फल यहां से दूसरे प्रदेशों में बेची गई। और जो भी प्रगति होगी, वह मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मान्यवर, मैंने जो आंकड़े दिये हैं, क्षेत्रों के आधार पर हैं, बिल्कुल इक्जैक्ट नहीं हैं, यह हमने लगभग में आंकड़े दिये हैं, विपणन के लिए कोई एजेन्सी प्रस्तावित नहीं की थी।...

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्षेत्रफल की जानकारी चाहता हूँ कि कुल कितने क्षेत्र में फल और सब्जी लगी है। यह जानकारी आ जायेगी तो हम इसका सत्यापन कर देंगे।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, फल और सब्जी का कितना क्षेत्रफल आच्छादित है। इसके आंकड़े जो हमारे पास हैं, ये सब्जी और फल के टोटल आंकड़े हैं। इसमें फलों का क्षेत्रफल 1 लाख 91790 हे0 व सब्जी का 82757 हे0 और आलू का 22 हजार 20 हे0 है।

श्री माल चन्द्र–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है मदर डेयरी के माध्यम से काश्तकारों को फायदा हो रहा है, यह अच्छी बात है। मान्यवर, ढकराने में जो पौधशाला है, क्या इसका परीक्षण कराया गया है कि यहां पर जो पौध हैं, वह पहाड़ी क्षेत्रों की ऊँचाई पर लग सकती है या नहीं, इस पर वेराइटी लग सकती है या नहीं। मान्यवर जो इटेलियन नाशपाती है, क्या इसकी भी जांच करायी गयी है कि ये पौध पहाड़ी क्षेत्रों में लग सकते हैं या नहीं ? क्या आपने इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया है या नहीं, यहां की मृदा इन पौधों के लिए उपयुक्त है, ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ?

मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि सेब जो पहले लकड़ी की पेटियों पर पहाड़ों में भेजे जाते थे, परन्तु अब लकड़ी की पेटियों पर प्रतिबंध लग गया है। क्या अब ये सेब गत्ते की पेटियों पर पहाड़ों में भेजे जायेंगे ?

मान्यवर, सेब का वास्तविक मूल्य मण्डी में जाते–जाते खत्म हो जाता है। मान्यवर, आप पेटी के हिसाब से काश्तकारों से टैक्स लें, ठीक है, परन्तु समय पर रोड तक पहुंचे, इसके लिए रोप वे लगाना चाहिए। मान्यवर, छोटी–छोटी मण्डियों के लिए कुछ कर रहे हैं ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने ढकरानी की बात कही तो ढकरानी प्रजाति दो हजार, तीन हजार मीटर तक की ऊंचाई तक सफल हो सकता है, उसका परीक्षण किया जा रहा है और उसको लगाया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा। मान्यवर, जहां तक नाशपाती का प्रश्न है तो हमारी सरकार ने विभिन्न प्रजाति को बाहर से मंगाकर उनका यहां परीक्षण कराकर के यहां की जलवायु के आधार पर इसका परीक्षण किया जा रहा है। मान्यवर, आपका जो ढुलान के लिए पेटियों वाला प्रश्न है तो उस सम्बंध में हार्टिकल्चर बोर्ड के माध्यम से जो सब्सिडी मिलती है, उसके तहत भी विभाग मुहैया कराते हैं और कोशिश भी है कि किसान वर्तमान समय में कागज की पेटियों को प्रयोग कर सकें ताकि पर्यावरण सुरक्षित कर सकें, इस दिशा में भी किया जा रहा है। मान्यवर, आपने छोटी मण्डियों की बात कही है तो उस दिशा में भी कलेक्शन सेन्टर के रुप में हार्टिकल्चर बोर्ड के तहत प्रयास किया जा रहा है।

उत्तरांचल की खादी संस्थाओं में रिबेट की बकाया धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही

*2–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल की खादी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2000 से पूर्व पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर 5 प्रतिशत रिबेट दिया था?

जिसकी प्रतिपूर्ति अभी तक भी नहीं हो पायी है, जिस कारण विभिन्न संस्थाओं की लगभग चार पांच करोड़ रुपये की रिबेट की धनराशि पूर्ववर्ती उ0प्र0 सरकार पर बकाया है?

उत्तरांचल खादी बोर्ड की ओर से रिबेट की बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हां।

वर्ष 2000 से पूर्व उत्तरांचल में स्थित 45 खादी संस्थाओं का रु0 91,33,472.82 की रिबेट देयता थी। इन लम्बित देयताओं का भुगतान उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा चुका है। अब इन संस्थाओं की योजनान्तर्गत कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है।

उ0प्र0 की देयता की धनराशि रु0 91,33,472.82 को उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से प्राप्त करने की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि अभी आपने 24 संस्थायें कही हैं और हमारे पास उत्तर 45 का है।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, वह टाइपिंग मिस्टेक है, लिस्ट में 24 ही हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आज चार साल उत्तरांचल राज्य बने हो गये हैं और आप कह रहे हैं कि 91 लाख रुपया उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पास है। आपने चार साल तक भी यह धनराशि प्राप्त नहीं की। मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार यह धनराशि कब तक प्राप्त कर लेगी और अभी तक कहां–कहां कार्यवाही की गई और कब–कब की गई।

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस समय राज्य का गठन हुआ, उसके बाद उस समय की जो देयता संस्थानों की उत्तर प्रदेश की थी .....

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से हमारा ठीक से सम्पत्तियों का वितरण न होने की वजह से हमने संस्थाओं के हित में भुगतान करना सुनिश्चित किया। जितना उनका अवशेष था उनका भुगतान कर लिया है। अब उत्तर प्रदेश के साथ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का लेनदेन है, उसमें प्रगति हो रही है तो जल्द हमको पैसा मिलने जा रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में कुल कितनी संस्थायें काम कर रही हैं और प्रदेश से बाहर की यहां कितनी संस्थायें काम कर रही हैं ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

हमारे इस प्रदेश में भारत सरकार की संस्था खादी ग्रामोद्योग की कुछ संस्थायें जो उत्तरांचल खादी बोर्ड है, उसके अधीन हैं। लगभग खादी प्रमाण–पत्र प्राप्त संस्थायें करीब 50 के आस पास हैं, इस तरह की 50 संस्थायें प्रदेश में कार्यरत हैं जो खादी का काम करती हैं उसके आलावा भी जो ग्रामोद्योगों का काम करने वाली व मार्जन मनी के तहत ऋण लेकर काम करती है, आपने जो प्रश्न किया है इस समय हमारी 50 संस्थायें हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, इन संस्थाओं के लिए क्या–क्या छूट दी जा रही है और उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, स्वरोजगार की दृष्टि से लोग अपना कारोबार करके काम कर सकें और खादी का प्रचार–प्रसार बढ़ सके। संस्थायें जो माल उत्पन्न करती हैं, उसकी बिक्री ठीक हो सके, इसलिए भारत सरकार और राज्य सरकार बिक्री पर रिबेट देती है। हमारी सरकार भी दे रही है। उत्तर प्रदेश की तरह कई खादी का काम करने वाली संस्थायें हैं, उनको 4% बैंक सब्सीडी पर ऋण मुहैया कराने का प्रयास बैंक द्वारा किया जा रहा है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जो खादी ग्रामोद्योग है, उसके द्वारा बेरोजगारों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। दूसरा जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनको रोजगार के लिए खादी ग्रामोद्योग द्वारा कितना ऋण और किन उद्योगों के लिए दिया गया ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से, खादी ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से जो स्वरोजगार करने वाले हैं, उन्हें प्रशिक्षण देने की योजना है जिसके लिए भारत सरकार ग्रामोद्योग हल्द्वानी में स्थित है, वहां पर 10 महीने और दो महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और खादी बोर्ड के माध्यम से कालाढूंगी और श्रीनगर गढ़वाल में यह योजना पहले से थी, बीच में यह बन्द हो गयी थी, हम इसे फिर प्रारम्भ कर रहे हैं, जहां तक कितने लोगों का काम करने का सवाल है, यह तो जिलेवार लम्बी लिस्ट है, इसे मैं आपको अलग से उपलब्ध करा दूंगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, ग्रामोद्योग में जितने आवेदन रोजगार के आते हैं, वह कितने दिन में निपट जाते हैं ?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, ग्रामोद्योग लगाने के लिए जो लोग प्रार्थना–पत्र देते हैं, उनको ऋण बैंक देता है। जो व्यक्ति स्वरोजगार करना चाहता है, वह उसका प्रोजेक्ट बनाकर बैंक को प्रस्तुत करेगा और जब बैंक उसको स्वीकार कर लेगा तब बैंक एक पत्र हमें भेजता है कि हमने इस व्यक्ति का ऋण खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तहत स्वीकार कर लिया, जब यह पत्र आयेगा तो उसमें जो सब्सिडी का प्राविधान होगा उसे 15 दिन में निपटा दिया जाता है।

***3–श्री महेन्द्र भट्ट–**

चतुर्थ सोमवार के तारांकित 5 में स्थानान्तरित।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री कैलाश शर्मा जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

उत्तरांचल के व्यापारियों द्वारा बाट–माप मुद्रण शुल्क को एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष किए जाने की मांग

***4–श्री कैलाश शर्मा–**

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि उत्तरांचल के व्यापारियों द्वारा बाट–माप मुद्रण शुल्क को एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष में लिये जाने की मांग की जा रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मांग पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

नोट : तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

उत्तरांचल के व्यापारियों द्वारा बाट–माप मुद्रण शुल्क को एक वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष में लिये जाने के संबंध में कोई मांग नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश में सब्जी उत्पादकों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई

1–श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राकृतिक आपदा से सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान हो जाता है?

यदि हां, तो क्या काश्तकारों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई हेतु किसी योजना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

प्राकृतिक आपदा से किसान के खेत में खड़ी फसल और तुड़ाई के बाद यातायात इत्यादि अवरुद्ध होने से नुकसान होता है।

प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान न्यूनतम करने की दिशा में शासन अग्रसर है, इस हेतु एन्टी हेलनेटस, शीतलन केन्द्र, वैल्यू एडिड केन्द्र, रोप–वे इत्यादि लगाये जा रहे हैं जिससे एक ओर खड़ी फसल को बचाया जाय, वहीं सड़क टूटने, सम्पर्क समाप्त होने की दशा में भी बाजार से सम्पर्क बना रहे एवम् फल सब्जियों में पचास प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर क्षति की भरपाई का प्राविधान है जिसके अन्तर्गत रसायन उर्वरक आदि निवेश निःशुल्क/राज सहायता पर प्रदान किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट : तारांकित प्रश्न संख्या–4 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

उत्तरांचल में केसर उत्पादन हेतु स्थानों का चयन एवं कार्य योजना

2—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा उत्तरांचल में केसर उत्पादन हेतु कोई योजना है?

यदि हाँ, तो जनपद नैनीताल में केसर उत्पादन हेतु किन–किन स्थानों का चयन किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

जी हां, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड ताड़ीखेत में केसर उत्पादन योजना संचालित है।

जनपद नैनीताल में केसर उत्पादन हेतु किसी भी स्थान का चयन नहीं किया गया है।

उत्तरांचल में प्रथम बार प्रयोग के तौर पर जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर अल्मोड़ा जनपद के ताड़ीखेत विकास खण्ड को लिया गया है, योजना की सफलता पर इसे समान जलवायु एवं भौगोलिक स्थिति वाले स्थानों पर क्रियान्वित किया जा सकता है।

जनपद नैनीताल के जिला पंचायत में कार्यरत गैंग मजदूरों को हटाये जाने के सम्बन्ध में

3—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के जिला पंचायत में विगत कई वर्षों से कार्यरत गैंग मजदूरों को हटा दिया गया है?

यदि हां, तो क्या सरकार जिला पंचायतों के रास्तों के रख–रखाव एवं श्रमिकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उक्त श्रमिकों को जिला पंचायतों में पुनः सेवायोजित कर उनके विनियमितीकरण की कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

जिला पंचायत की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण सेवायोजित किया जाना सम्भव नहीं है।

उत्तरांचल खादी बोर्ड को कम्बलों के क्रय हेतु अनुबन्ध की सुविधा

4–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में हवालाती व रिक्रूट कम्बल, चौकीदार कम्बल व हॉस्पिटल के कम्बलों के क्रय हेतु क्रय अनुबन्ध सुविधा उत्तरांचल खादी बोर्ड को सुलभ करायी गयी है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 में शासनादेशानुसार खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, वित्त पोषित पंजीकृत संस्थाओं से बैरिक कम्बल तैयार कराकर शासकीय विभागों की मांग के अनुसार पूर्ति की जा रही थी। उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभागीय उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से कम्बल उत्पादन कार्य करना प्रस्तावित किया गया है तथा वर्तमान में मांग के अनुरूप वित्त पोषित इकाईयों से कम्बलों की मांग की पूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल सचिवालय व अन्य विभागीय कैन्टीनों में प्रशोधन इकाईयों द्वारा तैयार फलों के रस की विपणन व्यवस्था

5–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में स्थापित फल प्रशोधन इकाईयों द्वारा तैयार फलों के रस के विपणन की व्यवस्था सचिवालय व अन्य विभागीय कैन्टीनों में सुनिश्चित कराये जाने हेतु सरकार विचार कर रही है?

यदि हां तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एफ0पी0ओ0 के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की सूचना के अनुसार उत्तरांचल में 80 एफ0पी0ओ0 लाइसेन्स प्राप्त इकाईयां संचालित हैं जिनके द्वारा व्यवसायिक उत्पादन किया जाता है तथा वे अपने उत्पाद का विपणन स्वयं करती हैं।

जनपद उत्तरकाशी में गरीबी रेखा से नीचे व ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को फोटो लगे राशन कार्डों का आवंटन

6—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में गरीबी रेखा से नीचे व ऊपर जीवन यापन करने वाले कुल कितने परिवारों को विकास खण्डवार फोटो लगे राशन कार्डों का आवंटन किया गया है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अवशेष परिवारों को राशन कार्ड आवंटन की समय सीमा क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

उत्तरकाशी में गरीबी रेखा से नीचे व ऊपर जीवन यापन करने वाले कुल परिवारों को विकास खण्डवार फोटो लगे राशन कार्डों के आवंटन का विवरण निम्नवत् है :—

विकास खण्ड का नाम	प्रचलित राशन कार्ड		वितरित राशन कार्ड	
	ए0पी0 एल0	बी0पी0 एल0	ए0पी0 एल0	बी0पी0 एल0
1. भटवाड़ी	15100	3358	14150	3300
2. डुण्डा	6040	6183	5640	5650
3. चि0 सौड़	4960	4208	4550	3740
4. नौगांव	7050	4416	6370	3820
5. पुरोला	3450	2463	3020	2220
6. मोरी	3085	2582	2800	2270
योग	39685	23210	36530	21000

अवशेष परिवारों को राशन कार्ड आवंटन की समय सीमा 31.03.2004 निर्धारित की गई थी। पूर्ण न होने की स्थिति में इसे बढ़ाकर दिनांक 15.06.2004 निर्धारित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा समय पर फोटो उपलब्ध न कराने एवं जनपद की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अभी तक 90 प्रतिशत परिवारों को ही राशन कार्ड जारी किये जा सके हैं तथा शेष 10 प्रतिशत परिवारों को राशन कार्ड त्वरित गति से वितरित करने की कार्यवाही जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन हेतु राशन उपलब्ध करवाने की योजना

7–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के दूर दराज के गांवों में सस्ते गल्ले की दुकानें अत्यन्त दूर होने के कारण उन क्षेत्रों के प्रा0वि0 में मध्याह्न भोजन हेतु राशन नहीं पहुँच पा रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों तक राशन उपलब्ध करवाने हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं। ऐसी कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश की सभी उचित दर की दुकानों तक पहुंचाया जाता है। इन दुकानों से विद्यालयों को मध्याह्न भोजन योजना का खाद्यान्न जारी किया जाता है। पृथक से ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चिन्यालीसौड़ जनपद उत्तरकाशी में फल संरक्षण केन्द्र खोलने की मांग

8–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में फल संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

शासकीय आधार पर फल संरक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के उत्तरकाशी, नौगांव व भटवाड़ी में सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र पूर्व से ही स्थापित है, विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार के सहयोग से निजी/सहकारी/स्वयंसेवी संस्थाओं को एफ0 पी0 ओ0 लाइसेन्स युक्त फल संरक्षण केन्द्र खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में पूर्व की भांति न्याय पंचायतों का गठन

9—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पूर्व की भांति न्याय—पंचायतों का गठन पुनः किया जायेगा?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सम्प्रति उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 (उपान्तरण एवं अनुकूलन आदेश, 2002) में निहित व्यवस्था प्रचलित है।

जनपद उत्तरकाशी के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बेरोजगारों को विभिन्न परियोजनाओं हेतु ऋण अनुदान

10—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2003—04 में जनपद उत्तरकाशी के खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किन—किन बेरोजगारों को कौन—कौन सी परियोजनाओं हेतु ऋण अनुदान दिया गया?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत वर्तमान में दो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रथम योजना खादी आयोग की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी आर्थिक अनुदान), दूसरी योजना राज्य सरकार की व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान की योजना है। इन दोनों योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है। योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु मार्जिन मनी योजना में 46 एवं व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत 27 बेरोजगारों को जनपद उत्तरकाशी में लाभान्वित किया गया है। लाभान्वितों की सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 131 से 135 तक)

जनपद टिहरी के चम्बा–मसूरी फल पट्टी में रिक्त पड़े प्लाट्स को बागवानी हेतु स्थानीय बेरोजगारों को आवंटित किये जाने की मांग

11–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी के अन्तर्गत चम्बा–मसूरी फल पट्टी पर कुल कितने प्लाट्स हैं?

वर्तमान में किसानों/काश्तकारों द्वारा कुल कितने प्लाटों पर बागवानी की जा रही है और कितने रिक्त हैं?

क्या सरकार रिक्त पड़े प्लाट्स को बागवानी विकसित करने व स्वरोजगार के उद्देश्य के लिए स्थानीय बेरोजगारों को आवंटित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद टिहरी के अन्तर्गत चम्बा–मसूरी फल पट्टी के अन्तर्गत कुल 399 प्लाट्स हैं।

203 प्लाट्स पर बागवानी की जा रही है, और बागवानी योग्य कुल 52 प्लाट्स रिक्त हैं।

रिक्त प्लाट्स के आवंटन की प्रक्रिया आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किए जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में प्रतिवर्ष विभिन्न जड़ी–बूटियों का कुल उत्पादन एवं जड़ी–बूटी प्रदेश बनाने हेतु कार्य योजना

12–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में प्रतिवर्ष जड़ी–बूटियों का कुल कितना उत्पादन है?

वर्तमान में किन–किन जड़ी–बूटियों का प्रदेश में उत्पादन किया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि प्रदेश को जड़ी–बूटियों के उत्पादन का प्रदेश बनाये जाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार द्वारा तैयार की गई है?

यदि हां, तो क्या उक्त कार्य योजना को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जिला भेषज सहकारी विकास संघ तथा जड़ी–बूटी शोध एवम् विकास संस्थान के माध्यम से पंजीकृत कृषकों द्वारा वर्ष 2003–04 में कुल 5879.49 तथा 2004–05 में अद्यतन 3838.54 कुन्तल जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया गया।

वर्तमान में प्रदेश में चिरायता, जटामांसी, कूठ, कुटकी, तगर, वनककड़ी, लेवेन्डर, अतीस, कलिहारी, सर्पगन्धा आदि जड़ी–बूटियों का उत्पादन किया जा रहा है।

जी हां।

कार्य योजना का आकार वृहद् होने के कारण जो भी माननीय सदस्य चाहें, उन्हें उपलब्ध करवाई जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जड़ी–बूटी के उत्पादन एवं विपणन का संचालन हेतु पृथक निदेशालय खोलने पर विचार

13–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जड़ी–बूटी के उत्पादन एवं विपणन का संचालन एक से अधिक विभागों द्वारा किया जा रहा है?

यदि हां, तो यह कार्य किन–किन विभागो द्वारा किया जा रहा है?

क्या सरकार जड़ी–बूटी विकास हेतु पृथक निदेशालय स्थापित करने पर विचार करेगी?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जड़ी–बूटी के उत्पादन एवं विपणन का कार्य संचालन शासन में उद्यान विभाग, वन विभाग, तथा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत किया जा रहा है।

राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही जनपद चमोली के गोपेश्वर (मण्डल) में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है, जो कि जड़ी–बूटी विकास कार्यों हेतु शीर्ष क्रियान्वयन संस्था के रूप में नामित है।

मसूरी–चम्बा फल पट्टी के प्लाट्स को विकसित कर रिक्त प्लाट्स का आवंटन

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मसूरी–चम्बा फल पट्टी सरकार द्वारा 1965 में विकसित कर रिक्त स्थानों में प्लाट्स विकसित किये गये थे?

क्या सरकार द्वारा उक्त प्लाटों को 99 वर्ष की लीज पर चम्बा से मसूरी तक आवंटित किया गया था?

क्या यह सत्य है कि अधिकांश प्लाट्स आवंटियों द्वारा रिक्त रखे गये हैं?

क्या यह सही नहीं है कि वर्ष 2003–04 में उद्यान विभाग ने कुछ प्लाट्स को वन विभाग को वापस कर दिया है?

यदि हां तो इसका क्या औचित्य है?

क्या सरकार अभी तक उपयोग में न लाये गये प्लाट्स को चिन्हित कर स्थानीय काश्तकारों को आवंटित करेगी?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी हाँ, 90 वर्ष की लीज पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया था।

जी नहीं, 399 प्लाट्स में से बागवानी योग्य कुल 52 प्लाट्स रिक्त हैं।

जी हाँ, 59 प्लाट्स वन विभाग को वापस किए गये हैं।

वन वृक्षों से सघन रूप से आच्छादित तथा उद्यानीकरण हेतु अनुपयोगी होने के कारण वन विभाग को वापस किये गये हैं।

रिक्त प्लाट्स के आवंटन की प्रक्रिया आयुक्त, गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सम्पादित किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में ऊन बैंक की स्थापना

15–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य में ऊन बैंक योजना के क्रियान्वयन हेतु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार द्वारा रु0 19.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है?

यदि हाँ, तो ऊन बैंक की स्थापना कर दी गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी हाँ। ऊन बैंक की स्थापना 33 सुभाष रोड, देहरादून में कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आवंटन एवं वितरण

16–श्री मदन कौशिक–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2003 से मई, 2004 तक का वितरण पूर्णरूप से क्यों नहीं हो पाया है?

क्या आवंटन के सापेक्ष उठान किया गया है?

यदि नहीं, तो इस योजना के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

अन्नपूर्णा योजना एक केन्द्र पोषित योजना है, जिसके अन्तर्गत खाद्यान्न का आवंटन भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त ही खाद्यान्न का केन्द्रीय पूल से उठान कर लाभार्थियों में वितरण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2003–04 में भारत सरकार से इस योजना के अन्तर्गत आवंटन प्राप्त न होने के कारण खाद्यान्न का उठान/वितरण नहीं हो पाया।

जी नहीं।

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 के लिये भारत सरकार के स्तर से आवंटन प्राप्त न होने की दशा में खाद्यान्न का उठान नहीं हो पाया है। अतः इसके लिये राज्य सरकार का कोई अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1994 से वर्ष 2004 तक चाय बागानों के विकास हेतु व्यय तथा आय

17–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में 1994 से वर्ष 2004 तक चाय बागान में कुल कितना रुपया खर्च किया गया तथा कुल कितने हेक्टेयर भूमि में चाय के पौधे लगाये गये हैं?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि एक हेक्टेयर भूमि में प्रति वर्ष कितने रुपये की आमदनी हो रही है?

क्या प्रति हेक्टेयर आमदनी मानक के अनुसार हो रही है या नहीं?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

वर्ष 1994 से वर्ष 2004 तक चाय बागानों के विकास हेतु कुल 12.93 करोड़ रुपया खर्च किया गया है तथा कुल 347 हेक्टेयर भूमि में चाय के पौधे लगाये गये हैं।

8 वर्ष से अधिक पुराने बागानों से एक हेक्टेयर भूमि में प्रति वर्ष 0.30 लाख (तीस हजार रुपये मात्र) तथा 5 वर्ष से 8 वर्ष पुराने बागानों से एक हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष 0.15 से 0.18 लाख रुपये की आमदनी प्राप्त हो रही है।

जी नहीं।

पौधारोपण के तीन वर्ष तक कोई आय नहीं होती है। उत्तरांचल में बागान अभी पूर्ण विकसित नहीं है जो वर्ष दर वर्ष के पौधारोपण के आधार पर 15 वर्षों में पूर्ण क्षमता में आयेंगे। विगत 2 वर्षों में सूखे का प्रकोप भी हुआ है, साथ ही बागानों में इन फिलिंग का कार्य प्रगति पर है। बागानों के पूर्ण विकसित होने के उपरान्त सामान्य स्थिति रहने पर आगामी 3–4 वर्षों के बाद लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के कार्यालय की स्थापना

18–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या ग्रामीण अभियन्त्रण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डीडीहाट में सहायक अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का कार्यालय स्थित है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

कार्यालय स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा प्रयास एवं ऊधमसिंह नगर के ब्लाक जसपुर में खादी ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रदान सुविधायें

19–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

तथा सरकार द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक जसपुर में खादी एवं ग्राम योजना के अन्तर्गत क्या–क्या सुविधायें मुहैया करायी हैं?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत वर्तमान में दो योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं–प्रथम योजना खादी ग्रामोद्योग आयोग की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी आर्थिक अनुदान), दूसरी योजना राज्य सरकार की व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान की योजना है। इन दोनों योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से वित्त पोषित कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्डिंग/फिनीशिंग प्लान्टों का सुदृढ़ीकरण, लोकवस्त्र इकाइयों का आधुनिकीकरण, ऊन बैंक की स्थापना, आदि के क्षेत्रों में भी स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है तथा खादी कमीशन के माध्यम से वर्ष 2005–06 के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव भी किया गया है।

जनपद ऊधमसिंह नगर के ब्लॉक जसपुर में बोर्ड द्वारा विगत वर्ष व इस वर्ष में बिन्दुवार निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा चुकी है :–

लोक वस्त्र इकाई :–लोक वस्त्र इकाई की राजस्व भूमि क्रय एवं चारदीवारी हेतु राज्य सरकार से 13.65 लाख, मशीन मरम्मत हेतु 2.00 लाख एवं रुई क्रय/छपाई हेतु रु0 3.18 लाख कुल रुपया 18.83 लाख प्राप्त किया जा चुका है तथा वर्ष 2005–06 के लिए लोक वस्त्र इकाई का सुदृढ़ीकरण जिसमें जैकार्ड मशीन, डोबी मशीन स्क्रीन प्रिन्टिंग, ब्लॉक प्रिन्टिंग हेतु रु0 25.00 लाख का प्रस्ताव वर्ष 2005–06 में राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत प्रस्तावित किया गया है।

लोक वस्त्र इकाई जसपुर की विगत वर्ष एवं इस वर्ष की प्रगति निम्नवत् है:–

क्र0सं0	वर्ष	उत्पादन	बिक्री	रोजगार	मजदूरी
1.	2003–04	3.45 लाख	7.99 लाख	10	2.92 लाख
2.	2004–05	0.50 लाख	7.91 लाख	12	0.62 लाख
	योग:	3.95 लाख	15.90 लाख	22	3.54 लाख

स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने हेतु उत्तरांचल ऊन योजना का उत्पादन केन्द्र स्थापित है, जिसके द्वारा ऊन कताई–बुनाई का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। इससे बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त विकास खण्ड जसपुर में मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में 4 इकाई स्थापित कराई गई हैं, जिसमें 58 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 चिन्यालीसौड़ में दि0 15–09–04 की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पंचायती राज मंत्री अवगत हैं कि दि0 15.09.2004 को बी0डी0सी0 की बैठक क्षेत्र पंचायत सभागार, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी में आयोजित की गयी थी?

क्या यह सत्य है कि विभागीय अधिकारियों के न पहुंचने के कारण उक्त महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित करना पड़ा?

यदि हां, तो क्या सरकार अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सुनिश्चित करेगी तथा बैठकों में अधिकारियों की आवश्यक रूप से उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिये कोई राजाज्ञा जारी करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा बैठक में अपने प्रतिनिधि को भेजने के कारण क्षेत्र पंचायत के समस्त सदस्यों द्वारा बैठक का बहिष्कार किया गया।

अनुपस्थित सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं। बी0डी0सी0 की बैठक हेतु सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के आवश्यक रूप से प्रतिभाग करने हेतु दिनांक 13.01.2000 को शासनादेश निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के उडामांडा पाट्यू चौपडा मोटर मार्ग कटान के उपरान्त प्रभावितों को मुआवजा

21–श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पंचायत राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के उडामांडा पाट्यू चौपडा मोटर मार्ग के किमी0 3 पर जिला पंचायत चमोली द्वारा सड़क कटान का कार्य किया जा रहा है?

यदि हां, तो सड़क की लम्बाई कुल कितनी है?

क्या सरकार द्वारा प्रभावित काश्तकारों को भूमि हस्तान्तरण का मुआवजा दे दिया गया है?

यदि हां, तो मुआवजा किस विभाग द्वारा दिया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

700 मीटर।

जी हां।

लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली) द्वारा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में माह अक्टूबर, 2004 में हुई भारी बर्फबारी से सेब के पेड़ों को हुई क्षति एवं उद्यानपतियों को मुआवजा

22–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी के हर्षिल, मुखवा, धराली, पुराली, सुक्खी, झाला, जसपुर व छोलमी में तथा नौगांव के असनौर तोक में माह अक्टूबर, 2004 के प्रथम सप्ताह में हुई भारी बर्फबारी के कारण सेब के फलों व पेड़ों को भारी क्षति पहुंची है?

यदि हां, तो क्या सरकार सेब उद्यानपतियों को क्षति का मुआवजा उपलब्ध करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

दिनांक 10 व 11 अक्टूबर, 2004 हुई बर्फबारी से पेड़ों को आंशिक क्षति हुई है।

भटवाड़ी विकासखण्ड के इस क्षेत्र में विभाग के विषय विशेषज्ञ डा0 एस0एन0 उपाध्याय के निर्देशन में 16 सदस्यों (मालियों) की टीम को देय राजकीय सहायता के अन्तर्गत चौबटिया पेस्ट कीट व्याधिनाशक रसायन एवं औद्यानिक औजारों सहित क्षेत्र में उपचार तथा कटाई छंटाई हेतु तैनात कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सुधार हेतु तकनीकी सहायता एवं आवश्यक निवेशों की व्यवस्था की गई है वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत मुआवजा देने का प्राविधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग द्वारा देय सुविधाएं एवं राज सहायता के अन्तर्गत आवश्यक रसायन एवं उपचार प्रदान कर दिया गया है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी में मिनी स्टेडियम का निर्माण

23—श्री महेन्द्र भट्ट—

क्या खेल मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार जनपद चमोली वि0ख0 पोखरी में मिनी स्टेडियम निर्माण करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह—

वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान नियमों के अनुरूप मिनी स्टेडियम हेतु कम से कम 01 एकड़ भूमि निःशुल्क आवश्यक है। वि0ख0 पोखरी, जनपद चमोली में उपरोक्त मानक के अनुरूप भूमि की उपलब्धता अवगत नहीं कराई गयी है।

जनपद रुद्रप्रयाग में फलों आदि के रख–रखाव हेतु कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की योजना।

24—श्रीमती आशा देवी—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत माल्टा, सन्तरा व आलू के रख–रखाव हेतु कोल्ड स्टोरेज बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल—

जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र में शीतगृह अलाभकारी व अनुपयोगी रहे हैं निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनान्तर्गत पिछली पूंजी निवेश सहायिकी (बैंक एंडिड सब्सिडी) प्रदान किए जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार जिला पंचायतों को विकास कार्य हेतु टेन्डरों का प्राविधान

25—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राज्य वित्त तथा केन्द्रीय वित्त आयोग संस्तुति पर विकास कार्यों हेतु धन का आवंटन जिला पंचायतों को सीधे किया जाता है?

यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य टेन्डरों द्वारा कराने का प्राविधान है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2002 से वर्तमान तक स्थापित ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों की सूची

26–श्री कैलाश शर्मा–

क्या ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2002 से अब तक कितने ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना किन–किन स्थानों पर की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 2002 से अब तक कुल 87 ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग की स्थापना निम्न स्थानों पर की गई है :–

क्र0 सं0	वर्ष 2002–03	2003–04	2004–05
1.	दन्या अल्मोड़ा	चिनौड़ गोविन्दपुर	मानाराड़ा, सोमेश्वर
2.	स्यालदे	पाण्डेखोला, अल्मोड़ा	मयोली
3.	गोली दन्या	शैल अल्मोड़ा	छानी, कौसानी
4.	पुनौली	कर्नाटकखोला अल्मोड़ा	दन्या, अल्मोड़ा
5.	अल्मोड़ा	करोडेमन्या अल्मोड़ा	नौलाकोट
6.	मनेला गगास	पालीगुणादित्य, अल्मोड़ा	दन्या
7.	मल्लाखोली	गरगूठ अल्मोड़ा	धानस
8.	पाण्डेखोला	बेल्टा, बग्वालीपोखर	शितलाखेत
9.	छानागोलू	दन्या अल्मोड़ा	
10.	इन्द्राकालोनी	कर्नाटकखोला अल्मोड़ा	
11.	खजरा	धौरा अल्मोड़ा	
12.	शितलाखेत	दन्या अल्मोड़ा	
13.	शितलाखेत	भगतौला अल्मोड़ा	

क्र0 सं0	वर्ष 2002–03	2003–04	2004–05
14.	पालीरेगौड	गघोली	
15.	खत्याड़ी	रयागाड़ी	
16.	खासतिलाड़ी	सूरी रज्यूड़ा, अल्मोड़ा	
17.	डोडा	भटखोला, अल्मोड़ा	
18.	कल्याणी पलना	गुरुडाबाज, अल्मोड़ा	
19.	शैल, अल्मोड़ा	तोली पनुवानौला	
20.	सीतलाखेत	सिकुड़ा, अल्मोड़ा	
21.	भनार	लोधिया, अल्मोड़ा	
22.	गिवियारौंण	सिरानीवापनी अल्मोड़ा	
23.	दुगालखोला	सिकुड़ा, मकेड़ी, अल्मोड़ा	
24.	भतरौंजखान	हाट द्वाराहाट, अल्मोड़ा	
25.	ताकुला	सिकुड़ा, अल्मोड़ा	
26.	भनार	भतरौंजखान	
27.	गोलना	सीतलाखेत	
28.	बोगाथुन्टि	छानी, कौसानी, अल्मोड़ा	
29.	उदयपुरसाल्दे	घनेली स्यालीधार, अल्मोड़ा	
30.	रैलापानी	स्यालदे, अल्मोड़ा	
31.	बजैल, मुनान	उपराड़ी ताड़ीखेत	
32.	एराड़ी ताड़ीखेत	रीयूनी मजखाली	
33.	दिलकोट, ज्योली	सकार भगतौला	
34.	बिराई	डांग धट्टी	
35.		रैलापानी	
36.		काफली धौलादेवी	
37.		स्यालदे	
38.		छानी कौसानी	
39.		चौखुटिया	
40.		गोलना, मकेड़ी	

क्र0 सं0	वर्ष 2002–03	2003–04	2004–05
41.		मकेड़ी	
42.		तिमला ताड़ीखेत	
43.		बोली, उदयपुर	
44.		विजयपुर द्वाराहाट	
45.		गिरबोला नगरखान	

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के वि0ख0 लमगड़ा की उच्यूर तथा विशौद पट्टी को फल पट्टी के रूप में विकसित किये जाने की योजना

27—श्री कैलाश शर्मा—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा विकास खण्ड की उच्यूर तथा विशौद पट्टी को फल पट्टी के रूप में विकसित किये जाने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल—

अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा विकास खण्ड की उच्यूर तथा विशौद पट्टी को फल पट्टी के रूप में विकसित किए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

फल पट्टी घोषणा के मानक के अनुसार प्रस्ताव तैयार होने पर ही फल पट्टी तय की जा सकती है, ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा में यूथ हॉस्टल के निर्माण पर विचार

28—श्री कैलाश शर्मा—

क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में यूथ हॉस्टल अल्मोड़ा का निर्माण कार्य सरकार कब तक प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद अल्मोड़ा में यूथ हॉस्टल के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है एवं इस हेतु भारत सरकार द्वारा कार्यदायी संस्था (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) को रु0 15.00 लाख की धनराशि उपलब्ध कराई गयी है। नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरांत यथाशीघ्र योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जाने की संभावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के सेमन्डीधार, सौंडखाण्ड इत्यादि स्थानों में मिनी स्टेडियमों का निर्माण

29–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को हर्बलपार्क मुनी–की–रेती के उद्घाटन अवसर पर मुनी–की–रेती में सेमन्डीधार, सौंडखाण्ड, कोटीखाल, खरोली, कफलना जनपद टिहरी गढ़वाल में मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की थी?

यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में मिनी स्टेडियम का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

जिलाधिकारी, टिहरी से मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए वर्तमान नियमों के अनुरूप निर्धारित न्यूनतम एक एकड़ निःशुल्क भूमि विभाग को उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों के अधीन स्टेडियम निर्माण हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही यथासंभव की जानी प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के सेम मुखेम में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान की सहायक शाखा खोलने का प्रस्ताव

30–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि मुख्यमंत्री द्वारा 26 फरवरी, 2004 को मुनी–की–रेती में हर्बलपार्क के उद्घाटन के अवसर पर सेम मुखेम जनपद टिहरी गढ़वाल में जड़ी बूटी अनुसंधान केन्द्र की गोपेश्वर की सहायक शाखा खोलने की घोषणा की गई थी?

यदि हां, तो सेममुखेम में जड़ी–बूटी अनुसंधान की शाखा कब तक खोल दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

सेम मुखेम में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की सहायक शाखा खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव का परीक्षण संस्थान की शोध सलाहकार समिति द्वारा किया जा रहा है। उनकी संस्तुति के आधार पर राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के प्रधान को हटाने के बाद ग्राम पंचायत का कार्यकाल

31–श्री तसलीम अहमद–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर खण्ड विकासखण्ड लक्सर जिला हरिद्वार के प्रधान को हटाकर समिति का गठन किस तिथि को किया गया?

क्या नियमानुसार उक्त ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् भंग कर दिया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

ग्राम पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर के प्रधान के दायित्वों एवं वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों पर रोक लगाने हेतु दिनांक 05.11.2003 को ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों में से तीन सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया है।

उक्त ग्राम पंचायत का कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है। अतः इसे भंग करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल में माह अप्रैल से नवम्बर–2004 तक सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों से कुल चीनी का वितरण

32–श्री बलबीर सिंह नेगी तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या खाद्य मंत्री एवं आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में माह अप्रैल, सन् 2004 से माह नवम्बर, सन् 2004 तक सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को कुल कितनी कुन्तल चीनी वितरित की गई?

क्या यह सत्य है कि रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली तथा ईद के त्यौहारों पर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड पर अतिरिक्त चीनी का आवंटन नहीं किया गया है?

यदि हां, तो क्यों?

क्या सरकार चीनी वितरण की व्यवस्था को चुस्त–दुरुस्त करने के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्री प्रीतम सिंह–

माह अप्रैल से नवम्बर, 2004 तक सरकारी सस्ते–गल्ले की दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को कुल 3,19,144,85 कुन्टल चीनी वितरित की गई।

जी हां।

रक्षा बन्धन, दशहरा, दीपावली तथा ईद के त्यौहारों हेतु राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त चीनी का आवंटन शर्करा निदेशालय, भारत सरकार से नहीं किया गया था।

चीनी की वितरण व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। किसी प्रकार के गतिरोध आने पर शर्करा निदेशालय, भारत सरकार से संपर्क कर उसका निराकरण कर लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापनगर, टिहरी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को वितरित राशन का ब्यौरा

33–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या खाद्य आपूर्ति मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले 4,21,680 परिवारों को रु0 4.65 प्र0कि0ग्रा0 की दर से गेहूं तथा रु0 6.15 प्र.कि0ग्रा0 की दर से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है?

यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर (जनपद टिहरी गढ़वाल) में भी यह व्यवस्था लागू है?

क्या सरकार उक्त प्रणाली के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के नामों की सूची और दिये गये अनाज की मात्रा वर्षवार सदन के पटल पर रखेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर (जनपद टिहरी गढ़वाल) में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की संख्या–8539 है।

बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में लाभान्वित परिवारों को वर्षवार वितरित खाद्यान्न का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	वितरण की गयी मात्रा मी0 टन में		वितरण स्केल
	गेहूं	चावल	
2000–01	236.800	496.809	गेहूं 6 कि0ग्रा0 एवं चावल 14 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रतिमाह
2001–02	306.534	789.258	गेहूं 15 कि0ग्रा0 एवं चावल 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रति माह
2002–03	344.259	794.624	गेहूं 10.50 कि0ग्रा0 एवं चावल 24.50 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रति माह
2003–04	781.715	1529.699	गेहूं 10.50 कि0ग्रा0 एवं चावल 24.50 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रति माह
04/04 से 12/04 तक	488.900	1321.000	गेहूं 10.50 कि0ग्रा0 एवं चावल 24.50 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड प्रति माह

प्रश्न नहीं उठता।

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त न होने पर निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने वालों की जनपदवार सूची

34–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष की उम्र से अधिक व्यक्तियों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलती है, प्रदेश में ऐसे 10.505 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है?

क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्तियों को 10 कि0ग्रा0 प्रति लाभार्थी की दर से प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है?

यदि हां, तो इनकी जनपदवार संख्या क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

वर्तमान में ऐसे व्यक्तियों की संख्या 10,479 है।

जी हां।

जनपदवार संख्या निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	सम्भाग का नाम	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या	संभाग का नाम	जनपद का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	गढ़वाल सम्भाग	देहरादून	692	कुमायूं सम्भाग	नैनीताल	तीनों जनपद पूर्णरूप से वृद्धावस्था पेंशन से आच्छादित है।
2.		हरिद्वार	1501		अल्मोड़ा	
3.		चमोली	808		बागेश्वर	
4.		पौड़ी	3210		चम्पावत	220
5.		टिहरी	2117		ऊधमसिंह नगर	61
6.		उत्तरकाशी	574		पिथौरागढ़	653
7.		रुद्रप्रयाग	643			
		योग	9545		योग	934
		महायोग		10479		

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर टिहरी में अन्त्योदय अन्न योजना से लाभार्थी परिवारों की संख्या

35–**श्री फूल सिंह बिष्ट–**

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है?

यदि हां, तो प्रतापनगर विधानसभा (जनपद टिहरी गढ़वाल) में कितने परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

प्रतापनगर विधानसभा (जनपद टिहरी गढवाल) के अन्तर्गत 598 परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर टिहरी में वर्षवार वितरित खाद्यान्नों का ब्यौरा

36–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अवगत हैं कि अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 76,300 परिवारों को रु0 2.00 प्र0कि0ग्रा0 गेहू और रु0 3.00 प्र0कि0ग्रा0 की दर से चावल उपलब्ध कराये जा रहे हैं ?

यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर (जनपद टिहरी गढवाल) में भी यह व्यवस्था लागू है?

क्या सरकार उक्त क्षेत्र के कार्डधारकों की संख्या उनके नाम और उन्हें प्रतिवर्ष दिये जा रहे राशन की मात्रा का उल्लेख कर सूचना सदन के पटल पर रखेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर (जनपद टिहरी गढवाल) में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कुल 598 परिवार हैं, जिन्हें वर्षवार अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत निर्गत किये गये खाद्यान्न का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	वितरण की गयी मात्रा मै0 टन में		वितरण स्केल
	गेहू	चावल	
2001–02	9.893	23.800	गेहू 7.5 कि0ग्रा0 चावल 17.5 कि0ग्रा0 प्रति माह प्रति कार्ड
2002–03	56.094	112.134	गेहू 10.45 कि0ग्रा0 चावल 24.55 कि0ग्रा0 प्रति माह प्रति कार्ड
2003–04	59.661	141.843	गेहू 10.45 कि0ग्रा0 चावल 24.55 कि0ग्रा0 प्रति माह प्रति कार्ड
04 / 04 से 12 / 04 तक	25.828	90.371	गेहू 10.45 कि0ग्रा0 चावल 24.55 कि0ग्रा0 प्रति माह प्रति कार्ड

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में वर्ष 2004–05 की रबी व खरीफ की फसलों के क्रय की योजना

37–श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में वर्ष 2004–05 की रबी व खरीफ की फसलों के अनाज को क्रय किये जाने की सरकार द्वारा कोई योजना बनायी गयी है?

यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा रबी खरीद वर्ष 2004–05 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु0 630.00 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत उत्तरांचल सरकार द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के निमित्त गेहूं खरीद हेतु 03 (तीन) खरीद ऐजेन्सियां क्रमशः खाद्य विभाग (विपणन शाखा), सहकारिता विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम नामित की गयी। जिनके द्वारा राज्य में यथा आवश्यकता गेहूं क्रय केन्द्र खोलकर कुल 54,030.895 मी0 टन गेहूं की खरीद की गयी। इसी प्रकार राज्य में खरीफ–खरीद वर्ष 2004–05 में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर कृषकों से धान की खरीद की जा रही है। भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद वर्ष 2004–05 हेतु कॉमन श्रेणी के धान के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य 560.00 प्रति कुंटल एवं ग्रेड–ए श्रेणी के धान के लिये मूल्य रु0 590.00 प्रति कुंटल निर्धारित किया गया। समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 02 (दो) खरीद एजेन्सियां क्रमशः खाद्य विभाग (विपणन शाखा) एवं सहकारिता विभाग को नामित किया गया। राज्य में उक्त क्रय एजेन्सियों द्वारा पर्याप्त संख्या में धान क्रय केन्द्र खोलकर अब तक कुल 11123.400 मी0 टन धान की खरीद की जा चुकी है।

चावल मिलर्स से लेवी के अन्तर्गत चावल क्रय किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा चावल का मूल्य कॉमन श्रेणी (अरवा) हेतु रु0 988.00 प्रति कुंटल तथा चावल ग्रेड–ए (अरवा) हेतु रु0 1036.30 प्रति कुंटल का मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ–खरीद वर्ष 2004–05 के लिये लेवी योजनान्तर्गत चावल खरीद हेतु 4.00 लाख मी0 टन का लक्ष्य रखा गया है तथा राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त योजना के तहत लेवी चावल का क्रय किया जा रहा है। लेवी योजना अन्तर्गत दिनांक 04.01.2005 तक कुल 127805 मी0 टन चावल की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से स्टेटपूल के अन्तर्गत 77945 मी0टन का संग्रह किया जा चुका है तथा 49860 मी0टन केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को सम्प्रदान किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री किशोर उपाध्याय, डा0 नारायण सिंह जन्तवाल, श्री प्रीतम सिंह पंवार, डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी, श्री प्रकाश पंत, श्री हरभजन सिंह चीमा, श्री महेन्द्र भट्ट, कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री मदन कौशिक, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा देवी, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री हरबंस कपूर तथा श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी की कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री मदन कौशिक की सूचनाओं को पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार कर रहा हूं। शेष सूचनाओं को नियम–301 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूं।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, परम्परा रही है कि अंतिम दिन सभी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

तीन सूचनाओं के अलावा सभी सूचनाओं को मैंने स्वीकार किया है। वे सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी।

जनपद टिहरी गढ़वाल के पुनर्वास समस्याओं को लेकर उप्पू क्षेत्र विकास खण्ड थौलधार में महिलाओं के आन्दोलन के सम्बन्ध में विचार

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोर उपाध्याय–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अपने विधान सभा क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। टिहरी बांध निर्माण के कारण उत्पन्न पुनर्वास समस्याओं को लेकर उप्पू क्षेत्र विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल की महिलायें आंदोलनरत हैं तथा वहां पर धरने पर बैठी हुयी हैं। वहां पर निरंतर जन असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोअर सलडी नहर वि0ख0 भीमताल जनपद नैनीताल को सिंचाई हेतु खुलवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

[मान्यवर, जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विकास खण्ड भीमताल के गांव सलडी के ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती है। गांव में सिंचाई के द्वारा खेती होती थी। लोअर सलडी नहर सिंचाई का प्रमुख स्रोत रही है। परन्तु 1995 में हरिनगर अम्बेडकर मोटर मार्ग निर्माण के समय नहर ध्वस्त हो जाने के कारण सिंचाई व्यवस्था समाप्त हो गई है जिससे काश्तकारों के सम्मुख विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। नहर को शीघ्र चलवाने का आश्वासन काश्तकारों को दिया था परन्तु सिंचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग एक दूसरे को जिम्मेदार बताते हैं परन्तु किसी भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे काश्तकारों की खेती नहीं हो पाने के कारण भीषण आर्थिक संकट पैदा हो गया है। छोटे–छोटे काश्तकारों से जुड़े लोक महत्व के इस प्रश्न के समाधान हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर नहर को चलवाने हेतु सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित कर दें]।

जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जनपद चमोली निदेशक के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

[मान्यवर, उत्तरांचल को हर्बल स्टेट के रुप में विकसित किये जाने की परिकल्पना को लेकर वर्ष 1989 में तत्कालीन उ0प्र0 सरकार द्वारा जनपद चमोली के स्थान मण्डल में जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान की स्थापना के पश्चात् प्रथम बार फरवरी, 2002 में उत्तरांचल सरकार द्वारा पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति की गयी थी जिससे कि जड़ी–बूटी शोध एवं विकास का कार्य सुचारु रुप से सम्पादित हो रहा था। किन्हीं कारणों से निदेशक द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दिया गया जो कि अक्टूबर, 2004 में शासन द्वारा स्वीकृत किया गया एवं उन्हें कार्यमुक्त भी कर दिया गया। तत्पश्चात् वर्तमान समय तक जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान जनपद चमोली में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर नियुक्ति नहीं की गयी है जिससे कि इस महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा क्रियान्वित योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा काश्तकारों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान मण्डल चमोली के निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय]।

नोट: [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, पिथौरागढ़ की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं से निष्कासित 30 कर्मचारियों को पुनः नियुक्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ की विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में अनुबंध के आधार पर विभिन्न वर्गों (आपरेटर तथा श्रमिक) में कर्मचारी कार्यरत थे। जिनके द्वार सभी विद्युत परियोजनाओं में सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा था। परन्तु विभिन्न चरणों में इन जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन निगम ने स्वयं के माध्यम से करने क निर्णय लिया तथा अनुबंध के आधार पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को हटा दिया गया उन्हें आश्वासन दिया गया था कि निगम के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी परन्तु 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं क गयी। सभी निष्कासित कर्मचारियों के परिवारों में भुखमरी की स्थिति आ गयी है। साथ ही सभी परियोजनाओं का लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन घट चुका है। अतः इस अविलम्बनीय तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये पिथौरागढ़ जल विद्युत परियोजनाओं से हटाये गये सभी कर्मचारियों को नियुक्ति दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद ऊधमसिंह नगर के सरकारी क्षेत्र (रामनगर ईको पार्क) की 805 एकड़ भूमि हस्तांतरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरभजन सिंह चीमा–

[मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर के काशीपुर में सरकार की संस्था रामनगर ईको पार्क लि0 द्वारा सरकार की लगभग 805 एकड़ भूमि के प्रति कोई एम0ओ0यू0।

1. मागुस स्टेट एण्ड होटल प्रा0लि0 मुम्बई,

2. वेसकोर कैपिटल कारपोरेशन लि0 पोर्ट ल्युश मोरियस,

3. फियरवुड कन्सलटैन्ट्स प्रा0लि0–दिल्ली, से साईन किया गया है। उत्तरांचल की बहुमूल्य भूमि निजी क्षेत्र को सौंपे जाने से क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं।]

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0प्र0 में पंजीकृत एवं उत्तरांचल के मूल निवासी बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों को 21 दिसम्बर, 2004 की स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति में आवेदन से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भट्ट–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एवं उत्तरांचल के मूल निवासी बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों को

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

21 दिसम्बर, 2004 स्वास्थ्य विभाग की विज्ञप्ति में आवेदन से वंचित किये जाने के कारण इन डाक्टरों में व्याप्त आक्रोश की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदय, इन बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों जिन्होंने उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश से बाहर के राज्यों से अपनी डाक्टरी प्राप्त की तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश में पंजीकरण एवं उत्तरांचल के मूल निवासी होने के बाद भी 21 दिसम्बर, 2004 को आयुर्वेदिक विज्ञप्ति में आवेदन करने से वंचित रखा गया है। जबकि इन डाक्टरों को भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश ने पंजीकृत कर उत्तरांचल में प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति दी है। महोदय, बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों का पंजीकरण किसी भी राज्य में एक बार ही हो सकता है। जिस समय इन डाक्टरों ने अपना पंजीकरण भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश में कराया उस समय उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में नहीं था, और न ही उत्तरांचल में आज तक भारतीय चिकित्सा परिषद् का गठन हुआ है। महोदय, जब ये डाक्टर उत्तरांचल में प्रैक्टिस कर सकते हैं तो सरकारी सेवा में न लेने का कोई औचित्य नहीं बनता जिसके कारण इन डाक्टरों में आक्रोश है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये समस्त भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश में पंजीकृत एवं उत्तरांचल के इन मूल निवासी बी0ए0एम0एस0 आयुर्वेदिक डाक्टरों को सरकारी सेवा में लेने की कार्यवाही सुनिश्चित करने की मांग करता हूं।]

जनपद हरिद्वार के वि0ख0 खानपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित दल्लावाला ग्राम पंचायत में भूमि पट्टा आवंटन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

[मान्यवर, जनपद हरिद्वार के अंतर्गत विकास खण्ड खानपुर एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, जो कि सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से अत्याधिक पिछड़ा है। विकास खण्ड खानपुर क्षेत्रांतर्गत स्थित ग्राम सभा दल्लावाला, उत्तरांचल का सीमांत हिस्सा है जो कि खादर का दोआब है जहां पर पूर्व दिशा में बाण गंगा एवं पश्चिम दिशा में सौलानी नदी है। यह अतिवृष्टि एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, जिससे कि फसलों में प्रतिवर्ष क्षति होती रहती है। दल्लावाला ग्राम पंचायत के अधिकांश ग्रामीण भूमिहीन एवं अत्यंत निर्धन हैं। ग्राम सभा द्वारा पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान कराये जाने हेतु पट्टों के आवंटन का प्रस्ताव सौलानी नदी की छोड़ भूमि एवं निकटवर्ती हिस्से में किया गया था, लेकिन अपरिहार्य कारण से यह भूमि आवंटन प्रक्रिया नहीं पूर्ण की जा सकी थी। अंतराल में कुछ अपात्र व्यक्तियों द्वारा भी अपने नाम भूखण्ड आवंटन हेतु दे दिए गए, जिसका खुलासा हो जाने पर भू–आवंटन प्रक्रिया को रोक दिया गया। यह जनहित के विरुद्ध रहा क्योंकि निर्धन व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित रह गए। अतः यह आवश्यक है कि तहसील लक्सर प्रशासन को आदेश जारी कर उपरोक्त रुकी हुई प्रक्रिया को पुनः आरम्भ कर, यह अवश्य सुनिश्चित करा लें कि मात्र भूमिहीन, पात्र व्यक्तियों को ही दल्लावाला ग्राम पंचायत में भूमि पट्टा आवंटन सुनिश्चित किया जाय, एवं अपात्रों को सूची से च्युत कर आवंटन किया जाय। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए, जनहितार्थ प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट: [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आशा देवी–

[महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत बांसवाड़ा में मन्दाकिनी नदी पर पैदल झूला पुल का निर्माण कराये जाने की ओर लाना चाहती हूं। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत मन्दाकिनी नदी पर झूला पुल का निर्माण कराये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता कई समय पूर्व से करती आ रही है। उक्त पुल के निर्माण से क्यूँजा क्षेत्र के लगभग 40 गाँव तथा बष्टी, बीरों, देवल, डालसिंगी, जोला बड़ेथ, पाटयूं, सहित कई गाँव लाभान्वित होने के साथ–साथ अगस्त्यमुनि महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं को भी सुविधा होगी। मान्यवर, क्षेत्र की जनता के साथ–साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और मेरे द्वारा भी उक्त पुल के निर्माण हेतु शासन–प्रशासन के साथ–साथ मा0 लो0नि0वि0 मंत्री एवं मा0 मुख्यमंत्री को कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन आज भी उक्त पैदल पुल निर्माण के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता अत्याधिक आक्रोशित एवं आन्दोलित है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा अविलम्ब कार्यवाही किये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, देवी नगर में पेयजल संकट के समाधान हेतु पम्पिग योजना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग, देवी नगर जो पर्यटक स्थल हैं। जिसकी जनसंख्या लगभग बारह हजार हैं। इस पूरे क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति पम्पिग मशीन द्वारा की जाती है। साथ ही प्रतिदिन केवल एक घंटा ही पेयजल आपूर्ति की जाती है। क्षेत्र में पेयजल संकट बना हुआ है। पेयजल संकट के समाधान हेतु क्षेत्र में पम्पिग योजना बनाई जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मोती बाजार से डाडीपुर तथा गुरुद्वारा चौक डाडीपुर से तिलक रोड के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

[मान्यवर, मोती बाजार से डाडीपुर तथा गुरुद्वारा चौक डाडीपुर से तिलक रोड तक घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से गुजरने वाले गन्दे पानी के नालों की कोई सुचारू सफाई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में नगर निगम द्वारा नाला गैंग का गठन किया गया था जो कि इन नालों की निरन्तर सफाई करता था। वर्तमान में सफाई कर्मियों की कमी के कारण इन सफाई कर्मियों के समूह की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। जिसके फलस्वरुप नियमित सफाई न होने के कारण इन क्षेत्रों

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से बहने वाले नाले गन्दगी से ठसाठस भरे रहते हैं। इसके साथ–साथ नालों के अधिकांश भागों में सीवर लाइन बिछी हुई नहीं है और कई स्थानों पर क्षेत्रवासियों ने अपने सीवर की लाइनें सीधे नालों में खोल दी हैं।

अतः यह आवश्यक हो गया है एक तो जिन–जिन स्थानों पर सीवर लाइन नहीं है, उन क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाई जाए जो वर्तमान में नाले खुले होने के कारण क्षेत्रवासी और क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मी भी क्षेत्र की गन्दगी को सीधे नाले में फेंक देते हैं। इससे बचाव हेतु नाले को पूर्णतः ढक दिया जाए इसके लिए या तो सी0सी0 पाइप डाले जाए या नालों के ऊपर स्लैब डाल दिये जाएं।

मान्यवर, यह समस्या अपने आप में अत्यन्त गम्भीर है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, अविलम्बनीय है, अति लोक महत्व की है। अतः नियम 301 के अन्तर्गत सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हू तथा अनुरोध करना चाहता हू कि आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित करने की कृपा करें।]

नगर पंचायत द्वाराहाट जिला अल्मोड़ा के राजस्व ग्राम कनार को ग्राम सभा बमनपुरी में शामिल करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

[मान्यवर, 9 अक्टूबर, 1978 को तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की अनुभाग संख्या–1 की अधिसूचना संख्या 8506–टी/09–01–78–18 एन0ए0–70 के द्वारा नगर पंचायत–द्वाराहाट, जिला–अल्मोड़ा का पुनर्गठन किया गया, परन्तु नगर पंचायत के गठन के वक्त नगर पंचायत की सीमा राजस्व ग्राम ''कनार'' के मध्य गुजरने वाली सड़क पूजाखेत से कालीखोली को सीमा माना गया था जिस कारण राजस्व ग्राम ''कनार'' के अन्तर्गत कुछ परिवार न तो नगर पंचायत में है और न ही किसी ग्राम सभा में सम्मिलित किये गये। जबकि पूर्व में राजस्व ग्राम ''कनार'' को ग्राम–सभा–मुमकिया में सम्मिलित किया गया था परन्तु उक्त राजस्व ग्राम को नगर पंचायत के गठन बाद हटा दिया गया। इस सन्दर्भ में पुनः ये परिवार क्षेत्रीय पटवारी से मिले तो क्षेत्रीय पटवारी द्वारा इन परिवारों को ग्राम–सभा–मुमकिया में सम्मिलित होने को कहा जा रहा है जो राजस्व ग्राम ''कनार'' से तीन कि0मी0 की दूरी पर है। जिस कारण राजस्व ग्राम ''कनार'' के ये परिवार मुमकिया ग्राम सभा में सम्मिलित होना नहीं चाहते। इन परिवारों को ग्राम सम्बंधी कापी या परिवार रजिस्टर की नकल आदि पहचान–पत्र भी ग्राम सभा बमनपुरी के तहत बनाए जाते हैं जो ''कनार'' की सीमा से लगा हुआ है। इसलिए राजस्व ग्राम ''कनार'' के इन परिवारों को नजदीकी ग्राम सभा बमनपुरी में पूर्णरूप से रखा जाय या अलग से ग्राम सभा ''कनार'' बनायी जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हू।]

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मूनाकोट के अन्तर्गत पन्यूड़ी क्षेत्र में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत पन्यूड़ी क्षेत्र में कन्या हाई स्कूल खोले जाने के संबंध में श्री कुलोमणि पन्त एव अन्य निवासीगण जनपद पिथौरागढ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत भाटी गांव क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत भाटी गांव क्षेत्र में मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र खोले जाने के संबंध में श्रीमती यमुना देवी एवं अन्य निवासीगण, जनपद, पिथौरागढ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मूनाकोट भाटी गांव क्षेत्र में हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ विकास खण्ड मूनाकोट अन्तर्गत भाटी गांव क्षेत्र में हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द किशोर भट्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी अन्तार्गत कालसी–बैराटखाई मोटर मार्ग से जोशी, गोधान, बसाया, बडनू, दातनू एवं साहिया मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी अन्तार्गत कालसी–बैराटखाई मोटर मार्ग से जोशी, गोधान, बसाया, बडनू, दातनू एवं साहिया मोटर मार्ग के निर्माण के संबंध में श्री सरदार सिंह भण्डारी एवं अन्य निवासीगण, जनपद देहरादन द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के कण्डारखुआ ,व चौगांव पट्टी क्षेत्र की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में याचिका

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत में कण्डारखुआ एवं चौगांव पट्टी क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में श्री गणेश सिंह फर्त्याल एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के सिलौर (चमड़खान) क्षेत्र की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में याचिका

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के सिलौर (चमड़खान) क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में श्री राम सिंह एवं अन्य निवासीगण, जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के चिलियानौला क्षेत्र की पेयजल समस्या के सम्बन्ध में याचिका

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड ताड़ीखेत के चिलियानौला क्षेत्र की पेयजल समस्या के संबंध में श्री रोहित शर्मा एवं अन्य निवासीगण जनपद अल्मोड़ा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

रिस्पनापुरम् कॉलोनी, देहरादून के अध्यासितों के कब्जों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष की ओर से औचित्य के प्रश्न पर रिस्पनापुरम् में सचिवालय एवं विधानसभा के कर्मचारी विगत 3–4 वर्षों से रह रहे हैं। मैंने सुझाव दिया था कि इन कर्मचारियों को ये आवास आवंटित किये जायें जिससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सके। प्रशासन और शासन ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए रिस्पनापुरम् के भवन की विद्युत आपूर्ति काट दी है। क्या इसे न्याय कहते हैं? मुझे उक्त औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाये। औचित्य के इस प्रश्न को मैं उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं शासन को यह निर्देश देता हूं कि रिस्पनापुरम् में जो कब्जेदार हैं उनको विनियमित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। (मेजों की थपथपाहट) और इस बीच में जो बिजली पानी उनकी काट दी गयी है उसको भी सुचारु रूप से चालू किया जाये। (मेजों की थपथपाहट) और ये सुविधाएं निर्धारित दरों पर मुहैया कराई जाये। (मेजों की थपथपाहट) और मैं इस प्रकरण को आवास समिति को भी सन्दर्भित करता हूं, कि पीठ के निर्देशों के संबंध में कार्यान्वयन एवं प्रतिवेदन आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा तकनीकी शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

स्वर्गीय श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 को माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना दी थी।

उक्त के संदर्भ में माननीय सदस्य का कथन है कि उन्होंने दिनांक 01 सितम्बर, 2003 को कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज, द्वाराहाट के कुल सचिव के विरुद्ध चल रही जांच के सम्बन्ध में जानकारी चाहने हेतु तारांकित प्रश्न विधानसभा सचिवालय को प्रेषित किया था जो कि विधानसभा के तृतीय सत्र, 2003 के प्रथम शुक्रवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या–1 के रूप में उत्तर हेतु निर्धारित किया गया था। प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए इसे उसी सन्दर्भित कुल सचिव के पास भेज दिया गया जिसके संबंध में उक्त प्रश्न किया गया था। माननीय सदस्य के अनुसार उनके प्रश्न पूछने व उत्तर जानने के विशेषाधिकार का हनन हुआ है और विषय की गोपनीयता भी भंग हुई है।

उपरोक्त प्रकरण के संदर्भ में माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–ए0क्यू0 01/प्रा0शि0/2004, दिनांक 16 अप्रैल, 2004 के अन्तर्गत अवगत कराया गया है कि उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर अनुपूरक सामग्री सहित उपलब्ध कराने के लिए शासन ने अपने पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 द्वारा निदेशक, प्राविधिक शिक्षा को निर्देशित किया गया जिसके सन्दर्भ में निदेशक द्वारा प्राचार्य कुमाऊं इंजीनियरिंग कालेज से उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 29 अक्टूबर, 2003 को अनुरोध किया गया। इस प्रकार संबंधित कुल सचिव से प्रश्न का उत्तर नहीं मांगा गया। प्रश्न उनसे पूछा गया था और उन्होंने यथास्थिति उत्तर दिया। अतएव विशेषाधिकार हनन का प्रश्न इसमें निहित नहीं है।

माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना में ऐसा कोई तथ्य नहीं दिया जिसके आधार पर यह परिलक्षित हो कि उनके प्रश्न के उत्तर को किसी प्रकार प्रभावित किया गया अथवा उसमें कोई अवरोध उत्पन्न किया गया है। माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री द्वारा उपलब्ध कराई गई वस्तुस्थिति की जानकारी के अनुसार प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में प्रचलित प्रक्रिया का ही अनुसरण किया गया है। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है और मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूं।

संसदीय कार्य, सूचना एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री के विरुद्ध कथित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को माननीय श्री भगत सिंह कोश्यारी, तत्कालीन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विशेषाधिकार हनन की मौखिक सूचना दी थी कि दिनांक 1 अप्रैल, 2003 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय उन्होंने सूचना विभाग द्वारा किये गये एक विज्ञापन के लिए 80 लाख रुपये के एडवांस पेमेंट का प्रकरण उठाया था तथा

श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, सदस्य, विधान सभा ने भी सूचना विभाग में बिना विज्ञापन के भर्तियां किये जाने के संबंध में सूचना दी थी माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो सूचना मंत्री भी हैं, ने दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के उपवेशन में उपर्युक्त दोनों सूचनाओं को सत्य से परे बताया। माननीय कोश्यारी जी ने अपने उक्त कथन में सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग के शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2002, जो 7 लाख 95 हजार रुपये की स्वीकृति विषयक है तथा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के आदेश जो वाहन चालक के चार पदों के विषयक हैं, का भी उल्लेख किया। इस संबंध में संसदीय कार्य एवं सूचना मंत्री ने पीठ का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि विशेषाधिकार हनन की नोटिस लिखित रूप में देनी चाहिए, चूंकि मौखिक रूप से उठाये गये प्रकरण का उत्तर देने का अधिकार उन्हें नहीं है। इस पर श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने कहा कि इस प्रकरण पर लिखित रूप में हम कल दे देंगे। जिस तरह से सदन को गुमराह किया जा रहा है, बहुत ही गम्भीर बात है।

उपर्युक्त प्रकरण पर मेरे द्वारा निर्णय सुरक्षित रखते हुये कहा गया था कि इसका परीक्षण करा लिया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि प्रक्रिया संबंधी नियम 63 में प्राविधानित है कि विशेषाधिकार भंग या अवमान के प्रश्न का उठाया जाना किसी सदस्य के, अथवा सदन के, अथवा उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न को अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य की ओर से शिकायत द्वारा, सचिव की ओर से प्रतिवेदन द्वारा, याचिका द्वारा, अथवा समिति के प्रतिवेदन द्वारा उठाया जा सकेगा। परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा। प्रक्रिया संबंधी नियम 64 में यह भी प्राविधानित है कि "64–सदस्य द्वारा शिकायत–जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जायेगी। यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्वि–प्रतीक होगी जिसकी एक प्रति संबंधित सदस्य को भेज दी जायेगी।"

माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 2003 को सदन में ही यह घोषणा की गई थी कि वे प्रश्नगत प्रकरण पर लिखित सूचना दे देंगे। किन्तु तिथिपर्यन्त कोई लिखित सूचना श्री भगत सिंह कोश्यारी जी से प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस परिस्थिति में मौखिक रूप से अभिसूचित सूचना को विशेषाधिकार भंग की सूचना के रूप में परीक्षण करने का कोई औचित्य दृष्टिगत नहीं होता है। अतः प्रक्रिया संबंधी नियम 64 की अपेक्षाओं की पूर्ति के अभाव में, मैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा मौखिक रूप से अभिसूचित उक्त सूचना को विशेषाधिकार भंग की सूचना के रूप में अग्राह्य करता हूं।

मुख्यमंत्री द्वारा उत्तरांचल को नेशनल टूरिज्म एवार्ड 2005 के मिलने पर बधाई

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, कल मैंने सभी माननीय सदस्यों को, सभी दलीय नेताओं को, अपने सभी सहयोगियों को, सभी माननीय मंत्रियों को बधाई दी थी कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम

का सबसे अच्छा राज्य हमारे राज्य को स्वीकृत किया गया है। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि अभी सूचना मिली है, पहले टूरिज्म के मामले में केरल और आन्ध्र प्रदेश का नाम था किन्तु इस बार नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2005 बेस्ट परफार्मिंग स्टेट उत्तरांचल को मिला है।

(मेजें थपथपाई गयी)

मान्यवर, हमारे यहां के लोग जानते हैं कि टूरिस्ट प्लेसों की सफाई कैसे हो, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, पर्यटन के मामले में। हमारे यहां धार्मिक पर्यटन है, उसको बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर कार्य करना होगा। जो एक बार आगे बढ़ गया है, उसे फिर पीछे नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में भी हम आगे ही रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समन्वित भाव से एक होकर कार्य करें। मैं एक बार फिर माननीय सदन को बधाई देना चाहता हूं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अभी नेता सदन ने बताया कि पर्यटन में सबसे उत्कृष्ट प्रमाण–पत्र हमें मिला है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यटन विभाग की प्रदेश में कहां–कहां पर कौन–कौन सी उपलब्धि है, इससे सदन को भी अवगत करा दें तो अच्छा होगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने एक बधाई संदेश दिया है, जो भारत सरकार से प्राप्त हुआ है।

(व्यवधान)

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, क्या–क्या उपलब्धियां हैं, माननीय सदन को भी बता दें।

(व्यवधान)

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इस अवसर पर माननीय पर्यटन मंत्री जी भी यहां पर उपस्थित होते तो अच्छा होता।

सर्वदलीय जांच समिति के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1577 / वि0स0 / 58 / सं0 / 2002 दिनांक 27 जुलाई, 2004 के क्रम में मुझे आपको अवगत कराना है कि विधान सभा की लाबी में हुए अग्निकाण्ड के सम्पूर्ण प्रकरण तथा आनुषंगिक विषयों के साथ–साथ राजधानी निर्माण सम्बन्धी प्रकरणों (निर्माण तथा क्रय) की जांच समिति का कार्यकाल आगामी सत्र के अन्तिम उपवेशन की तिथि अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक बढ़ाया जाता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल को जो पर्यटन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसका पूरा श्रेय पर्यटन सलाहकार को दिया जाए।

(हंसी)

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप उन्हें बधाई दे दें।

कार्य मंत्रणा समिति के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 जनवरी, 2005 की बैठक में दिनांक 20 जनवरी, 2005 की बैठक निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है :–

जनवरी, 2005

20 गुरुवार (1) उत्तरांचल निक्षेपक (जमाकर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 के विचार एवं पारण (10 मिनट)

(2) उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियों और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार एवं पारण (10 मिनट)

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को दी है, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं ले रहा हूं। असरकारी दिवस आपका है। आप काम को रोकने की बात करें, यह उचित नहीं है।

उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, बहुत लम्बे समय से देश में और राज्यों में गैर बैंकिंग फाइनेन्स कम्पनियाँ द्वारा गरीब जनता का और छोटे जमा कर्ता और हमारे वेतन भोगी कर्मचारी हैं, इनका पैसा लेकर लापता हो जाती है, ऐसे प्रकरणों के सैकड़ों समाचार हैं, हमें सुनने को मिलते रहते हैं। इस सम्बन्ध में कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण विधेयक द्वारा कानून बनाये गये हैं जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और उड़ीसा प्रमुख रूप से हैं। वही व्यवस्था हम यहां भी करने जा रहे हैं। हमें इसकी आवश्यकता भी महसूस हुई कि गरीब जनता का धन ये गैर फाइनेन्स कम्पनियां लेकर गायब न हो सकें। यदि हम यह कानून नहीं बनायेंगे तो ये गैर फाइनेन्स कम्पनियां अपने निजी स्वार्थों के लिए पूरी आजादी से जनता की गाढ़ी कमाई का धन लेकर गायब होती रहेंगी। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाया गया है। इसमें अपराधी को सख्त से सख्त सजा दी जायेगी ताकि धन लेकर कोई भी कम्पनी भागने न पाये। हमने इसके लिए नॉन बेलेबल वारंट तथा 6 वर्ष की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना और हम व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की भी कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं। मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इसका स्वागत सभी को करना चाहिए ताकि उत्तरांचल में इस प्रकार की कम्पनियां अपनी जड़ न जमा सकें इससे छोटे-छोटे पूंजी निवेशकों को फायदा होगा और वे अपनी जमा पूंजी को जमा करने के बाद निश्चिंत भी रहेंगे कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 21 खण्ड–1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्त अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या–वर्ष 2005)

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य की विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित—

उत्तरांचल राज्य में वित्तीय अधिष्ठानों में निक्षेपकों (जमा कर्ताओं) के हितों की संरक्षा के लिए अधिनियम

1–संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ : (1) भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में अधिनियमित यह अधिनियम उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) अधिनियम, 2005 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में अधिसूचित होने के दिनांक से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2–परिभाषाएं:–यदि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो तो इस अधिनियम में–

(क) ''सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी'' का तात्पर्य उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 (वर्ष 1901 का अधिनियम सं0 3), उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी; का तात्पर्य धारा 5 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ग) ''निक्षेप'' में ऐसी किसी धनराशि की प्राप्ति या किसी वित्तीय अधिष्ठान द्वारा किसी बहुमूल्य वस्तु का स्वीकरण सम्मिलित है अथवा सदैव सम्मिलित हुआ समझा जायेगा जिसे विनिर्दिष्ट अवधि के बाद या अन्यथा नकद या वस्तु अथवा विनिर्दिष्ट सेवा के रूप में ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य प्रकार के फायदे के साथ या उसके बिना वापिस किया जाना है, किन्तु इसमें निम्नलिखित का समावेश नहीं है–

(1) अंशपूंजी, ऋण पत्र (डिबेंचर बॉड) या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 का अधिनियम संख्या 15) के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों और बनाए गये विनियमों में सम्मिलित कोई अन्य लिखत के रूप में जुटाई गयी धनराशि;

(2) किसी फर्म के भागीदारों द्वारा पूंजी के रूप में दी गई धनराशियां,

(3) बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक या कोई अन्य बैंकिंग कम्पनी से प्राप्त धनराशियां;

(4) निम्नलिखित से प्राप्त कोई धनराशि–

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 (वर्ष 1956 का अधिनियम संख्या 1) में या धारा 4 क में विनिर्दिष्ट कोई अन्य वित्तीय संस्था; अथवा

(ग) कोई अन्य संस्था जिसे इस निमित्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(5) सामान्य कार्य संचालन के दौरान–

(क) प्रतिभूति जमा;

(ख) व्यवहारी द्वारा जमा;

(ग) अग्रिम धन; तथा

(घ) सामान या सेवा के आदेश के बदले अग्रिम के रूप में प्राप्त धनराशि;

(6) तत्समय राज्य में प्रवृत्त साहूकारी सम्बन्धी किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत व्यक्तियों के किसी संघ या फर्म अथवा व्यक्ति से प्राप्त कोई धनराशि; और

(7) चिट के सम्बन्ध में अंशदान के रूप में प्राप्त कोई धनराशि;

स्पष्टीकरण–1 "चिट" का तात्पर्य चिट फण्ड ऐक्ट, 1982 (वर्ष 1982 का अधिनियम संख्या 40) की धारा 2 के खण्ड (ग) में समनुदेशित अर्थ से है;

स्पष्टीकरण–2 किसी सम्पत्ति (चल अथवा अचल) की बिक्री पर किसी विक्रेता द्वारा किसी क्रेता को दिया गया कोई उधार इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए निक्षेप नहीं समझा जाएगा;

(घ) "अभिहित न्यायालय" का तात्पर्य धारा 10 के अधीन गठित अभिहित न्यायालय से है;

(ङ) "वित्तीय अधिष्ठान" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जिसमें फर्म अथवा कम्पनी सम्मिलित है जो किसी योजना या व्यवस्था के अधीन या किसी अन्य रीति से निक्षेप स्वीकार करते हैं किन्तु इसमें बैंकिंग विनियमितीकरण अधिनियम, 1949 (वर्ष 1949 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 5 के खण्ड (ग) में परिभाषित कोई निगम या किसी राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति या बैंकिंग कम्पनी सम्मिलित नहीं है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल सरकार से है।

3–वित्तीय अधिष्ठान द्वारा कपटपूर्ण व्यतिक्रम–यदि कोई वित्तीय अधिष्ठान निक्षेप की परिपक्वता पर ब्याज, बोनस, लाभ या किसी अन्य रूप में वचनानुसार फायदे के साथ निक्षेप का प्रति संदाय करने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है या यथा आश्वासन निक्षेप के बदले सेवा प्रदान करने में असफल होता है तो संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबन्धक सहित प्रत्येक व्यक्ति या ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के प्रबन्धन या कारबार या कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति या कर्मचारी को दोष सिद्ध होने पर कारावास, जिसकी अवधि छः वर्ष तक हो सकती है, का दण्ड दिया जाएगा और उस पर जुर्माना, जिसकी सीमा एक लाख रुपये तक हो सकती है, किया जा सकता है तथा ऐसा वित्तीय अधिष्ठान जुर्माना देने का भी जिम्मेदार होगा जो पांच लाख रुपये की समतुल्य राशि तक हो सकता है या जहां ऐसे निक्षेप का परिमाण धनराशि के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वहां ऐसे व्यतिक्रम में अंतर्निहित धनराशि का दुगुना, इनमें जो भी अधिक हो, जुर्माना देने का जिम्मेदार होगा;

परन्तु उपबन्ध यह है कि न्यायालय के निर्णय में अभिलिखित विशेष और पर्याप्त कारण के अभाव में कारावास तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माना प्रत्येक व्यक्ति के सापेक्ष बीस हजार रुपये से कम नहीं होगा और ऐसे वित्तीय अधिष्ठान के सापेक्ष एक लाख रुपये से कम नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :–

इस धारा के प्रयोजन हेतु कोई वित्तीय अधिष्ठान जो ब्याज, बोनस, लाभ या

किसी अन्य रूप में वचनानुसार फायदे के साथ ऐसे निक्षेप का प्रति संदाय करने में कपटपूर्ण व्यतिक्रम करता है या यथा वचन ऐसे निक्षेप के बदले विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने में असफल होता है या निक्षेप के बदले करार की गई विनिर्दिष्ट सेवा इस आशय से प्रदान करने में असफल होता है, जिससे एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ होता है और दूसरे को सदोष हानि या निक्षेप स्वीकार करते समय असाध्य अथवा व्यापारिक दृष्टि से अव्यावहारिक वचन दिए जाने या निक्षेपों से अर्जित धन या परिसम्पत्तियों को इस रीति से अभिनियोजित करने के कारण जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसकी वसूली में अंतर्निहित जोखिम हो, उत्पन्न असमर्थता के कारण ऐसा व्यतिक्रम करता है, तो समझा जाएगा कि उसने कपटपूर्ण व्यतिक्रम किया है या कपटपूर्ण ढंग से विनिर्दिष्ट सेवा प्रदान करने में असफल रहा है;

4–निक्षेपों को लौटाने में व्यतिक्रम पर सम्पत्तियों की कुर्की–(1) सरकार या जिला मजिस्ट्रेट अपनी–अपनी अधिकारिता में स्वयमेव या शिकायत प्राप्त होने पर धारा 3 में विनिर्दिष्ट कपटपूर्ण संव्यवहार की शिकायत का अन्वेषण कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शिकायत के साथ अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र सरकार को अग्रसारित करेगा;

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी–

(1) जहां निक्षेपकों से अथवा अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सरकार का समाधान हो जाता है कि कोई वित्तीय अधिष्ठान–

(क) परिपक्वता के पश्चात् या निक्षेपकों द्वारा मांगे जाने पर निक्षेप लौटाने; या

(ख) ब्याज या अन्य फायदे, जिनका आश्वासन दिया गया था, के भुगतान करने; या

(ग) ऐसे निक्षेप के बदले सेवा प्रदान करने में असफल रहता है; या

(2) जहां सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वित्तीय अधिष्ठान निक्षेपों को धोखा देने के आशय से सुविचारित रीति से कार्य कर रहा है जो उनके लिए अहितकर होगा, या

(3) जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपों को लौटाने या ब्याज या अन्य फायदे जिनका आश्वासन दिया गया था, के भुगतान या उन सेवाओं को प्रदान करने की सम्भावना नहीं है, जिनके बदले निक्षेप स्वीकार किया गया तो सरकार ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के निक्षेपकों के हितों की संरक्षा के लिए लिखित रूप में कारण अभिलिखित करने के पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित कर धन या सम्पत्ति की, जो विश्वास किया जाता है कि वित्तीय अधिष्ठान द्वारा संग्रह किए गए निक्षेपों से अपने नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अधिग्रहीत की गई है या जहां यह मालूम हो जाए कि ऐसा धन या अन्य सम्पत्ति कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं है या निक्षेपों का प्रतिसंदाय करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उक्त वित्तीय अधिष्ठान की ऐसी अन्य सम्पत्ति या ऐसे वित्तीय अधिष्ठानों के संप्रवर्तकों, भागीदारों, निदेशकों, प्रबन्धकों या सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की निजी परिसम्पत्तियों की कुर्की के आदेश जारी करेगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन इस आदेश के प्रकाशित होने पर अभिहित न्यायालय से अग्रेतर आदेश प्राप्त होने तक उस वित्तीय अधिष्ठान तथा उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की समस्त सम्पत्तियां और परिसम्पत्तियां तत्काल सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी में निहित हो जाएंगी।

5–सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति–(1) सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन कुर्क किए धन और सम्पत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को जिसका पद सहायक जिलाधिकारी, प्रथम श्रेणी से निम्न स्तर का नहीं होगा अथवा किसी प्रथम श्रेणी अधिकारी को, सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(2) उक्त आदेश के प्रकाशित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर अभिहित न्यायालय से अग्रेतर आदेशों, जैसा अभिहित न्यायालय समझे, के लिए सक्षम प्राधिकारी आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ एक या अधिक शपथ–पत्र संलग्न करेगा; जिनमें उन कारणों का जिनके आधार पर सरकार द्वारा धारा 4 के अधीन उक्त आदेश जारी किया गया है और धनराशि या अन्य सम्पत्ति जिसे विश्वास किया जाता है, निक्षेपों से अर्जित की गई है तथा उन व्यक्तियों का, यदि कोई हो, का ब्यौरा जिनके नाम ऐसी सम्पत्ति के निहित या अर्जित किए जाने का विश्वास किया जाता है या धारा 4 के अधीन कुर्क की गई कोई अन्य सम्पत्ति का आवश्यक उल्लेख होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य किसी न्यायिक मंच यथा स्थिति की प्रादेशिक अधिकारिता के अन्दर स्थित किसी वित्तीय अधिष्ठान या इस अधिनियम के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति की या दृश्यतः उसके धन, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित किसी विवाद या विषय वस्तु के सम्बन्ध में न्याय निर्णयन हेतु किसी समान अधिनियम के अधीन जिसे किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा स्थापित या गठित या शक्तियां सौंपी गई हों, इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रवर्तन हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिए विशेष न्यायालय या अभिहित न्यायालय या अन्य ऐसे न्यायिक मंच को भी एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

6–सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य एवं शक्तियां–(1) धारा 5 की उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजन का पालन करेगा;

(2) (I) नियुक्ति आदेश प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित वित्तीय अधिष्ठान की समस्त धनराशियों और परिसम्पत्तियों का शीघ्रता से वस्तुगत कब्जा लेने के लिए जैसा वह आवश्यक और समीचीन समझे, आवश्यक कार्यवाहियां कर सकेगा और उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को सम्पूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी।

(II) खण्ड (I) के अधीन निहित शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित अधिकार होंगे:–

(क) किसी पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी से सहायता की मांग करना और ऐसी मांग पर पुलिस प्राधिकारी या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति का कर्तव्य होगा कि वह आवश्यक सहायता प्रदान करे;

(ख) अनुसूचित व्यापारिक बैंक में खाता खोले और वसूल की गई समस्त धनराशियां जमा करे तथा सक्षम अधिकारी की हैसियत से प्राप्त धनराशि का संव्यवहार करते समय बैंक खातों का संचालन करे;

(ग) किसी व्यक्ति से जिसके कब्जे या नियंत्रण में वित्तीय अधिष्ठान की कोई धनराशि या परिसम्पत्ति के होने का विश्वास किया जाता है, आवश्यक सूचना प्रदान करने और ऐसी परिसम्पत्तियों का कब्जा सक्षम प्राधिकारी को सौंपने की मांग करना तथा ऐसे व्यक्ति को ऐसी मांग का अविलम्ब अनुपालन करना होगा;

(घ) ऐसे विधि व्यवसायी या चार्टर्ड एकाउन्टेंट या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना जिसकी सेवाएं वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और परिसम्पत्तियों की वसूली के लिए आवश्यक हो;

(ङ) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी बिक्री योग्य प्रतिभूति या पराक्रम्य लिखत का विक्रय, हस्तान्तरण, पृष्ठांकन, परक्रामण या अन्यथा संव्यवहार करना तथा उसका समुचित रुप से उन्मोचन करना;

(च) वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति की सार्वजनिक नीलामी या अभिहित न्यायालय के पूर्वानुमोदन से निजी व्यवस्था द्वारा विक्रय, हस्तान्तरण या अन्यथा संव्यवहार करना:

परन्तु उपबन्ध यह है कि परिसम्पत्तियों की नाशवान मदें यथाशीघ्र, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी उचित समझे, सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेच दी जाएंगी;

(छ) अभिहित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार बैंक खातों से भुगतान करना;

(ज) ऐसा प्रत्येक और समस्त कार्यवाही और कार्य करना जो वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों की शीघ्रतया वसूली के लिए आवश्यक हो।

स्पष्टीकरण :—

इस धारा के प्रयोजन हेतु ''वित्तीय अधिष्ठान'' वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति का समावेश है जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

7—परिसम्पत्तियों और निक्षेप देयताओं का निर्धारण—(1) सक्षम प्राधिकारी नियुक्ति की तिथि के तीस दिन के अन्दर वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों और निक्षेप सम्बन्धी देयताओं का निर्धारण करेगा और उनका विवरण अभिहित न्यायालय को प्रस्तुत करेगा।

(2) तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से या प्रभावी माध्यमों में प्रकाशित कर नोटिस जारी करेगा और प्रतिभूत लेनदारों से, यदि कोई हो, तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों से भी दावे आमंत्रित करेगा और अपने साक्ष्य सिद्ध करने के लिए समुचित प्रमाण सहित दावे प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक नोटिस में जो दावेदारों को भेजा गया हो या कार्यान्वित किया गया समझा जाए, इस बात का उल्लेख होगा कि यदि नोटिस के दिनांक से एक माह की समाप्ति से पूर्व सक्षम प्राधिकारी को दावे का विवरण नहीं भेजा गया तो दावों को इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन भुगतान का हकदार दावा नहीं माना जाएगा।

(4) प्रतिभूत लेनदार को भेजे गए प्रत्येक नोटिस द्वारा यह अपेक्षित होगा कि नोटिस के दिनांक से एक माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व वह प्रतिभूति का मूल्यांकन कर ले और ऐसे नोटिस में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि प्रतिभूति का मूल्यांकन दावे के विवरण के साथ सक्षम प्राधिकारी को नहीं भेजा जाता है तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं प्रतिभूति का मूल्यांकन करेगा और उसके द्वारा किया गया मूल्यांकन ऐसे प्रतिभूत लेनदार पर बाध्यकर होगा।

(5) यदि दावेदार उप धारा (4) के अनुसार नोटिस का अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी प्रतिभूति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

8—सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना—धारा 7 के अनुसार रिपोर्ट करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी वसूल की गई धनराशि से निक्षेपकों को भुगतान करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अभिहित न्यायालय से आवेदन करेगा। ऐसा आवेदन करते समय सक्षम प्राधिकारी निक्षेपकों के प्रति देयताओं और अन्य देयताओं का निर्धारण करेगा और यदि वसूल की गई या किए जाने योग्य धनराशि सम्पूर्ण देयताओं की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं है तो वह अभिहित न्यायालय के आदेशों के अनुसार निक्षेपकों को भुगतान करने और धनराशि के संवितरण की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए अभिहित न्यायालय से निवेदन करेगा।

9—परिसम्पत्तियों की वसूली और निक्षेपकों को भुगतान सम्बन्धी अभिहित न्यायालय की शक्तियां—(1) अभिहित न्यायालय को इस अधिनियम के प्राविधानों के कार्यान्वयन हेतु समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(2) उप धारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अभिहित न्यायालय निम्नलिखित कार्य कर सकेगा:—

(क) इस अधिनियम के प्राविधानों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी को, जैसा उचित समझे, कोई निर्देश दे सकेगा;

(ख) विभिन्न ऋणी व्यक्तियों द्वारा देय वित्तीय अधिष्ठान को देय राशियों के विवरण का अनुमोदन, वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण, निक्षेपकों की सूची और उनको देय राशियों को अंतिम रूप प्रदान करना;

(ग) सक्षम प्राधिकारी को वित्तीय अधिष्ठान की या उसके नियंत्रणाधीन परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और विक्रय, हस्तांतरण या परिसम्पत्तियों की प्रकृति के आधार पर सार्वजनिक नीलामी या प्राइवेट बिक्री द्वारा, जैसा भी उचित समझे, कुर्क परिसम्पत्तियों की वसूली और उनकी बिक्री से प्राप्त धनराशि को बैंक खातों में जमा करने के निर्देश देना;

(घ) वित्तीय अधिष्ठान की परिसम्पत्तियों का कब्जा लेने और वसूली के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले व्यय का अनुमोदन;

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा निक्षेपकों को भुगतान करने के लिए आदेश या उस दशा में जबकि इस प्रकार वसूल की गई धनराशि से सम्पूर्ण निक्षेप देयता की पूर्ति पर्याप्त न हो, निक्षेपकों को समानुपातिक भुगतान हेतु आदेश देना;

(च) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की वसूली तथा वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय अथवा उससे आनुषंगिक विषय या किसी मामले के सम्बन्ध में कोई ऐसा आदेश पारित करना, जो अभिहित न्यायालय उचित समझे।

स्पष्टीकरण :–

इस धारा के प्रयोजन हेतु ''वित्तीय अधिष्ठान'' वाक्यांश में उक्त अधिष्ठान के निदेशक, संप्रवर्तक, प्रबन्धक या सदस्य अथवा ऐसे अन्य सदस्य का समावेश है जिसकी सम्पत्ति या परिसम्पत्तियां धारा 4 के अधीन कुर्क की गई हैं।

10–अभिहित न्यायालय का गठन–(1) इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु सरकार उत्तरांचल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सरकारी गजट में प्रकाशित ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों या ऐसे प्रकरण या प्रकरणों की श्रेणी और समूह के लिए जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सहित जिला एवं सेशन न्यायाधीश के संवर्ग में एक या अधिक अभिहित न्यायालयों का गठन कर सकेगी।

(2) अभिहित न्यायालय के अतिरिक्त किसी न्यायालय की, जिसमें प्रेसीडेन्सी नगर दिवाला अधिनियम, 1909 (वर्ष 1909 का अधिनियम संख्या 3) तथा प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 का अधिनियम संख्या 5) के अधीन गठित न्यायालय भी सम्मिलित हैं, किसी विषय के सम्बन्ध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्धों की सहायता ली जाती है, अधिकारिता नहीं होगी।

(3) किसी अन्य न्यायालय में लम्बित प्रकरण, किसी विषय के सम्बन्ध में जिस पर इस अधिनियम के उपबन्ध लागू होते हैं, इस अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचना के दिनांक से अभिहित न्यायालय को अन्तरित समझे जाएंगे।

11–कुर्की से सम्बन्धित अभिहित न्यायालय की शक्तियां–(1) धारा 5 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी वित्तीय अधिष्ठान या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी परिसम्पत्ति कुर्क की गई है और धारा 4 के अधीन सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी में निहित की गई है, आवेदन–पत्र, शपथ–पत्रों तथा अभिलिखित साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ नोटिस जारी करेगा और उक्त अधिष्ठान तथा ऐसे व्यक्ति से ऐसे दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाएगा या उससे पूर्व कारण बताओ कि कुर्की का आदेश क्यों न आत्यन्तिक कर दिया जाए, का आदेश जारी करेगा।

(2) अभिहित न्यायालय उन सभी व्यक्तियों को भी जिन्होंने वित्तीय अधिष्ठान हित या हक होने के दावे या उसकी सम्भावना के सम्बन्ध में उसे अभ्यावेदन दिया है या ऐसे व्यक्ति को जिसे उप धारा (1) के अधीन ऐसा नोटिस जारी किया गया है, नोटिस जारी करेगा और ऐसे सभी व्यक्तियों से उसी दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपस्थित होने यदि वे चाहें तो और सम्पत्तियां या उसके किसी भाग की कुर्की के विरुद्ध इस आधार पर आपत्ति करने, के आदेश देगा कि ऐसी सम्पत्ति या उसके भाग में उनका हित है।

(3) कुर्क की गई सम्पत्ति या उसके किसी भाग में हित के होने का दावा करने वाला व्यक्ति इस बात के होते हुए भी कि इस धारा के अधीन उसे नोटिस तामील नहीं किया गया, उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित किए जाने से पहले विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले किसी भी समय उपर्युक्त के अनुसार अभिहित न्यायालय में आपत्ति उठा सकता है।

(4) यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को या उससे पहले उपधारा (1) के अधीन कोई कारण नहीं बताया गया या कोई आपत्ति नहीं उठाई गई तो सक्षम प्राधिकारी कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए तुरन्त एक आदेश पारित करेगा और ऐसा निर्देश निर्गत करेगा जो कुर्क की गई परिसम्पत्तियों की वसूली और कुर्क की गई सम्पत्ति से वसूल की गई धनराशि के निक्षेपकों में समान रूप से वितरण के लिए आवश्यक है।

(5) यदि उपर्युक्त के अनुसार कारण बताया गया या कोई आपत्ति उठाई गई तो अभिहित न्यायालय उसके अन्वेषण की कार्यवाही करेगा और ऐसा करते समय अभिहित न्यायालय पक्षों की परीक्षा तथा अन्य सभी पहलुओं पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाएगा जैसाकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (वर्ष 1908 का अधिनियम संख्या 5) में अपेक्षित है और उक्त संहिता के अधीन वाद की सुनवाई करते समय न्यायालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। आपत्ति उठाने वाले व्यक्ति को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि कुर्की के दिनांक को कुर्क की गई सम्पत्ति में उसका कुछ हित था।

(6) उपधारा (5) के अधीन किए गए अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय यथाशीघ्र अधिमान्यतः मामले को उसे निर्दिष्ट किए जाने के एक वर्ष के अन्दर धारा 4 की उप धारा (2) के अधीन पारित कुर्की के आदेश को पूर्ण करते हुए या सम्पत्ति के एक भाग को कुर्की से मुक्त कर या कुर्की के आदेश को निरस्त करते हुए आदेश पारित करेगा। किन्तु उपबन्ध यह है कि जब तक यह समाधान नहीं हो जाता कि वित्तीय अधिष्ठान या उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति का सम्पत्ति में हित है और उतनी धनराशि या सम्पत्ति जिसका मूल्य वित्तीय अधिष्ठान के निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करने के लिए अपेक्षित मूल्य से कम नहीं होगा कुर्की के अधीन रहेगी, अभिहित न्यायालय ऐसे हित को कुर्की से मुक्त नहीं करेगा।

(7) यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाता है कि जिसे समान अधिनियमित के अधीन किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा उस सरकार द्वारा कुर्क की गई धनराशि, सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत, गठित या विनिर्दिष्ट किया गया है और शक्ति प्रदान की गई है तो अभिहित न्यायालय अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। मानों आवेदन–पत्र इस अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है और ऐसी अधिनियमिति के उपबन्धों को लागू करने के लिए ऐसे आवेदन–पत्र पर समुचित आदेश पारित करेगा या निदेश देगा।

12–असद्भावपूर्वक अन्तरितियों की सम्पत्ति की कुर्की–(1) जहां वित्तीय अधिष्ठान या धारा 4 में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की कुर्की के लिए उपलब्ध परिसम्पत्तियां ऐसे वित्तीय अधिष्ठान द्वारा निक्षेपकों को प्रतिसंदाय करने के लिए अपेक्षित धनराशि या मूल्य से कम पाई जाएं और जहां अभिहित न्यायालय का शपथ–पत्र द्वारा या अन्यथा समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने के युक्ति युक्त कारण हैं कि उक्त वित्तीय अधिष्ठान ने किसी सम्पत्ति को (इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पहले या बाद में) सद्भावना से अन्यथा समुचित प्रतिलाभ के लिए अन्तरित कर दी है तो अभिहित न्यायालय ऐसी सम्पत्ति के अन्तरिती को नोटिस देकर (चाहे उसने वह सम्पत्ति उक्त वित्तीय अधिष्ठान से सीधे प्राप्त की हो या नहीं) उस दिनांक को जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए उपस्थित होने और इससे यह कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति जिसका मूल्य अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य हो, क्यों न कुर्क कर ली जाए।

(2) जहां उक्त अन्तरिती विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित नहीं होता और कारण नहीं बताता अथवा धारा 1 की उपधारा (5) में की गई व्यवस्था की रीति से किए गए अन्वेषण के पश्चात् अभिहित न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उक्त अन्तरिती को सम्पत्ति का अन्तरण सद्भावपूर्वक नहीं था या समुचित प्रतिलाभ के लिए किया गया था तो अभिहित न्यायालय उक्त अन्तरिती की उतनी सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश देगा जितनी कि अभिहित न्यायालय के विचार से अन्तरित सम्पत्ति के समुचित मूल्य के समतुल्य होगी।

13–कुर्की के बदले प्रतिभूति–वित्तीय अधिष्ठान या व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई है या कुर्क की जाने वाली है किसी भी समय ऐसी कुर्की के बदले प्रतिभूति देने की अनुज्ञा के लिए अभिहित न्यायालय में आवेदन कर सकेगा और जहां प्रस्तावित और दी गई प्रतिभूति अभिहित न्यायालय की राय में समाधान कारक और पर्याप्त है तो वह कुर्की का आदेश निरस्त कर सकता है या यथास्थिति, कुर्की का आदेश पारित नहीं करेगा।

14–प्रशासन–अभिहित न्यायालय ऐसे व्यक्ति का जिसका इस अधिनियम के अधीन कुर्क की गई या सक्षम प्राधिकारी में निहित सम्पत्ति में हित हो आवेदन–पत्र पर और सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आदेश दे सकता है जिसे अभिहित न्यायालय निम्नलिखित के लिए न्यायसंगत और युक्ति युक्त समझे :–

(क) कुर्क की गई और सक्षम प्राधिकारी में निहित ऐसी सम्पत्ति में से उतनी धनराशियों की व्यवस्था करना जिनमें आवेदक हित रखने का दावा करता है, जो आवेदक और उसके परिवार के निर्वाह और जहां अभिहित न्यायालय में धारा 3 के अधीन उसके विरुद्ध दण्डनीय कार्यवाही आरम्भ की गई हो, वहां आवेदक के प्रतिवाद सम्बन्धी व्यय के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो;

(ख) जहां तक व्यवहारिक हो; कुर्की से प्रभावित किसी व्यापार विशेष रूप से ऐसे व्यापार में भागीदारों के हित की संरक्षा;

(ग) ऐसे वित्तीय अधिष्ठान की किसी सांविधिक या अन्यथा देयता का उन्मोचन।

15–अपील– सक्षम प्राधिकारी सहित अभिहित न्यायालय के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश के तीस दिन के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा।

16–विशेष लोक अभियोजक–सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे अधिवक्ता को, जिसने बार में कम से कम दस वर्ष विशेष लोक अभियोजक या विशेष सरकारी वकील (प्लीडर) अभिहित न्यायालय में मामले के संचालन हेतु नियुक्त करेगी।

17–अपराधों से सम्बन्धित अभिहित न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्तियां–(1) अभिहित न्यायालय अभियुक्त के विचारार्थ सुपुर्द किए जाने के बगैर अपराध को संज्ञान में ले सकता है। अभियुक्त व्यक्ति पर विचारण करते समय सेशन सम्बन्धी मामलों पर विचारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) धारा 467 के उपबन्ध के सिवाय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (वर्ष 1974 का अधिनियम संख्या 2) के समस्त उपबन्ध यथासम्भव अभिहित न्यायालय के कार्यवाही पर लागू होंगे तथा उक्त उपबन्धों के प्रयोजन हेतु अभिहित न्यायालय को मजिस्ट्रेट समझा जायेगा।

(3) अभिहित न्यायालय संदर्भित व्यक्ति के सम्बन्ध में रिमांड की शक्ति का प्रयोग करेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 167 और 309 के अन्तर्गत प्राविधानित है।

(4) अभिहित न्यायालय इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का परीक्षण करते समय इस अधिनियम के अतिरिक्त अन्य अपराधों के सम्बन्ध में भी अभियुक्त का भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 2) के अन्तर्गत अभियोगों का भी परीक्षण करेगा।

(5) इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होंगे।

18–अन्य विधियों पर अधिभावी अधिनियम–इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि के नाते प्रभावी किसी प्रथा या प्रचलन या लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

19–सद्भावनापूर्ण की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण–इस अधिनियम के अधीन सरकार या सक्षम प्राधिकारी, या अधिकारी या सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जो सद्भावनापूर्वक की गई हो या किये जाने का आशय हो।

20–नियम बनाने की शक्ति–(1) अधिनियम के प्रयोजनों का पालन करने के लिए राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित कर नियम बना सकेगी।

(2) यदि किसी विशेष दिनांक को प्रवृत्त होने के लिए अभिव्यक्त न हो तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम और निर्गत अधिसूचनाएं उत्तरांचल राज्य के सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएंगी और उनके प्रकाशन के दिनांक को प्रवृत्त होंगी।

21—कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो सरकार यथावसर आदेश द्वारा कोई भी ऐसा कार्य कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 से 21, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल निक्षेपक (जमा कर्ता) हित संरक्षण (वित्तीय अधिष्ठानों में) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, बहुत समय से सभी माननीय सदस्यों की एक राय थी कि उत्तर प्रदेश की भांति यह विधेयक यहां भी पारित हो और यहां पर भी उत्तर प्रदेश की भांति सभी सुविधाएं प्राप्त हों। हमने इसे प्रस्तुत कर दिया है और मैं समझती हूं इसका सभी माननीय सदस्य स्वागत करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 14, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005

(विधेयक संख्या सन् 2005)

(जैसा उत्तरांचल विधान द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952, उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (यथा उत्तरांचल में लागू) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 का उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 कहा जायेगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23, सन् 1980 की धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द 'पांच हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'सात हजार पांच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2), में–

"शब्द 'दस हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'बीस हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।"

धारा 14 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक में शब्द 'दो से अधिक सदस्य' के स्थान पर शब्द 'पांच से अधिक सदस्य' रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द 'दो सौ पचास रुपये' के स्थान पर शब्द 'तीन सौ रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) मे शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ग) उपधारा (3) में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 15–क का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 15–क में शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर 'दो हजार पांच सौ रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 18–क का संशोधन

8. मूल अधिनियम की धारा 18–क के खण्ड (क) में, शब्द 'एक हजार रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

9. मूल अधिनियम की धारा 24 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द 'एक हजार पांच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो हजार रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ख) परन्तुक में शब्द 'दो सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'दो सौ पचास रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ग) प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा :–

अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि विधान सभा भंग होने की स्थिति में विधान सभा के भंग होने की तिथि से नयी विधान सभा के प्रथम उपवेशन तक की अवधि की गणना ऐसे सदस्य के पेंशन प्रयोजनों के लिये की जायेगी जो भंग विधान सभा का अध्यक्ष रहा हो और उक्त अवधि के दौरान इस रूप में अपने पद पर आसीन रहा हो।"

(घ) उपर्युक्त परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा :–

अर्थात् :–

अर्थात् :–

"स्पष्टीकरण–जहां किसी व्यक्ति ने सभा के सदस्य के रूप में छः माह या उससे अधिक किन्तु एक वर्ष से कम अवधि के लिये कार्य किया हो, वहां इस धारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायेगा कि उस व्यक्ति ने एक वर्ष के लिये सदस्य के रूप में कार्य किया है।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) का संशोधन

धारा 2 का संशोधन

10. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार पांच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पांच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का संशोधन

11. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में शब्द 'दो हजार पांच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पांच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

अध्याय–चार

उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (यथा उत्तरांचल में प्रवृत्त) का संशोधन

धारा 3 का संशोधन

12. उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1981 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 3 में–

(क) उपधारा (1) में शब्द 'दो हजार पांच सौ रुपये' के स्थान पर शब्द 'पांच हजार रुपये' रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द 'दो हजार दो सौ पच्चीस रुपये' के स्थान पर शब्द 'चार हजार रुपये' रख दिये जायेंगे।

13. धारा 6 का संशोधन

मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में शब्द 'उस दर पर और जो विहित की जाय' के स्थान पर शब्द 'रुपये 500 प्रतिदिन जो एक माह में रुपये 15000 से अधिक नहीं होगी' रख दिया जायेगा।

अध्याय–पांच

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (उत्तरांचल संशोधन), अधिनियम, 2001 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में संशोधन

14. मूल अधिनियम की धारा 3 में–

"शब्द 'साठ हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि तैंतीस हजार रुपये के रेलवे कूपन' के स्थान पर 'छियानवे हजार रुपये के रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि डीजल व्यय हेतु तथा शेष धनराशि चौबीस हजार रुपये के रेलवे कूपन' रख दिये जायेंगे।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 14, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धिया और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2005 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

असरकारी विधेयक उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2005

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक–2005" को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे उत्तरांचल राज्य का पहला अशासकीय विधेयक प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिस विधेयक को मैं सम्मानित सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वे विधेयक एक ऐसी समस्या पर निर्धारित है जिससे आज हमारा पर्वतीय राज्य ही नहीं, भारत वर्ष ही नहीं वरन् यह सम्पूर्ण विश्व इसकी

समस्या से प्रभावित है यह समस्या है प्लास्टिक की और जिसके सम्बन्ध में इस सदन में अनेकों बार चर्चा उठी है कि इस प्लास्टिक को सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना चाहिए। मान्यवर, कोई ऐसी विधि बननी चाहिए जिसके माध्यम से इसे रोका जाय और विचार–विमर्श करने के बाद अनेकों राज्यों की विधियों का अध्ययन करने के बाद ....।

मान्यवर, निश्चित रूप से उत्तरांचल के अन्दर भी ऐसा कानून बनना चाहिए जिसके माध्यम से इस प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किया जा सके। मान्यवर, मेरे इस असरकारी विधेयक में किन–किन विषयों का प्राविधान किया गया है उस पर प्रकाश डालने से पूर्व मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठ भूमि पर जाना चाहूंगा कि यह प्लास्टिक शब्द ग्रीक शब्द प्लास्टिकस शब्द से निकल कर आया और इसका उद्भव उत्तरांचल राज्य के अन्दर वर्ष 1990 के दशक से प्रयोग प्रारम्भ हुआ और इसका प्रयोग इतनी तेजी से फैलता चला गया कि इसके सम्बन्ध में अनेकों बार विचार मंथन हुआ और इस पर विचार विमर्श होने के बाद इसे तीन भागों में विभाजित किया गया।

मान्यवर, पहली प्लास्टिक जिसे अच्छी श्रेणी में रखा गया, उस प्लास्टिक का हम दिन प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, जिसमें दैनिक उपभोग के सामान हैं, दरवाजे, पाईप हैं और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुयें हैं इस तरह की प्लास्टिक 60 प्रतिशत है। मान्यवर, दूसरी तरह की प्लास्टिक है जिसे "द बैड" कहा गया, इसका उपयोग इस समय 22 प्रतिशत है और इस तरह की प्लास्टिक एक सप्ताह से तीन माह में स्वयं समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे भी खतरनाक प्लास्टिक है जिसे "द अगली" कहा गया है। तो यह कैटेगरी निर्धारित की गई। इस प्लास्टिक को कैरी बैग के रूप में इस्तेमाल करते हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अनेकों बार विचार विमर्श हुआ, इसकी समस्याओं के बारे में अनेकों बार चर्चायें हुई और सबसे पहले यदि किसी को इसके संबंध में कानून बनाने का श्रेय जाता है तो वह है हिमाचल प्रदेश। यह प्रथम राज्य था जिसने 1993 में यह समस्या महसूस की और इस समस्या को महसूस करने के बाद उसने विधेयक के माध्यम से अपनी विधि बनाई। उसने कूड़ा–कचड़ा विधेयक, 1995 बनाया और इस विधेयक में कुछ प्राविधान किया जिसके अन्तर्गत उन्होंने सबसे पहले इन थैलियों पर प्रतिबन्ध लगाया और उस प्रतिबन्ध को लगाने के लिये उन्होंने कहा कि जो प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग करेगा उस पर 30 प्रतिशत सेल्स टैक्स लगाया जायेगा और जो कागज की थैलियों का प्रयोग करेगा उस पर 7 प्रतिशत टैक्स लगेगा और वहां की नगरपालिकाओं ने इस संबंध में एक स्टेप आगे काम किया, उन्होंने गारबेज जोन स्थापित किया और गारबेज जोन में पृथक–पृथक कूड़ादान रखा और इसके लिये उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के जिला मैजिस्ट्रेटों और स्थानीय पुलिस को यह अधिकार दिया कि नगरपालिका की सहायता से जुर्माना निर्धारित करें।

मान्यवर, 1996 में भी केन्द्र सरकार ने एक कमेटी गठित की जो नेशनल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट टास्क फोर्स है इसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने यह संस्तुति दी कि चक्रित प्लास्टिक बैग द्वारा खुले खाद्य पदार्थों को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध कर दिया। इन्डियन सैन्टर फार प्लास्टिक इनवायरमेंट (आई0सी0पी0ई0) का गठन किया जो

प्लास्टिक हानिरहित है उसका उपयोग के तरीके का अध्ययन किया गया। तीसरा कलर कोड पृथक करने के लिए उन्होंने कहा कि दो ही तरह की थैलियों का प्रयोग हो, एक पारदर्शी खाद्यपदार्थों के लिए, दूसरा काला पुन चक्रित। घटिया प्लास्टिक उपयोग पर उपभोक्ताओं/उत्पादनकर्ता को दण्डित करने का प्राविधान किया गया। मान्यवर, इन संस्तुतियों का अनुकरण भी किया गया। हरियाणा, सिक्किम तथा तमिलनाडु ने हिमाचल के एक्ट के अनुसार विधि बनायी। जम्मू व कश्मीर ने इसका अनुसरण किया। हरियाणा ने जीव अनाशित कूड़ा–कचरा सार्वजनिक नालियां, सड़क तथा सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर पूर्ण प्रतिबन्ध तथा संज्ञेय अपराध घोषित किया। जिसके अन्तर्गत 5 हजार का जुर्माना या एक महीने की कैद का प्राविधान किया गया। मान्यवर हमारा अविभाजित उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश ने 29 जून, 2000 के माध्यम से इसे विधि बनाने का कार्य किया, उसके बाद यह नवम्बर, 2000 में यह आदेश एक्ट की शक्ल में आया। इसमें जो प्राविधान किया गया वह प्राविधान काफी हद तक अच्छे थे और इन प्राविधानों को देखते हुए उत्तरांचल राज्य में भी इसका अनुसरण किया गया। ये प्राविधान उत्तरांचल के हर संगठन पर लागू हैं वह व्यवहार रूप से नहीं उभर पाये, आज हमारे जो पर्यटक स्थल हैं यह संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं। आप भी इस बात को स्वीकार रहे हैं चाहे वह हरिद्वार हो या मुनस्यारी, केदारनाथ या बद्रीनाथ या छोटा या बड़ा शहर इस प्लास्टिक से दूर नहीं छूट पाया।

मान्यवर, लेकिन यह भारतवर्ष से ही नहीं वरन् भारत से आयात होता है। इसके आंकड़े मैं पेश करने जा रहा हूं। इस समय भारतवर्ष 23 लाख टन प्लास्टिक प्रोड्यूज कर रहा है और रिसाइक्लिंग 7 लाख टन का हो रहा है। जो बाहर से आयात हो रहा है वह है इसमें 1992 में 3 हजार 974 मीट्रिक टन भारत में आता था। लेकिन यह आंकड़ा एक वर्ष में 1993 में 7 हजार 841 मीट्रिक टन हो गया अर्थात् 97.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी एक वर्ष में हुई है और इसमें अधिकतर जो प्लास्टिक भारत में आयात किया गया है वह यूनाईटेड स्टेट से किया गया है।

मान्यवर, एक और खतरनाक बात मेरे संज्ञान में आई है विदेशी सामान का जो बाजार लगता जा रहा है। विशेष रूप से चीन में बनी वस्तुओं का। ये वस्तुएं सस्ते में मिल जाती हैं लेकिन वे प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। मान्यवर, इससे प्लास्टिक का कूड़ा हमारे यहां डम्प किया जा रहा है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी ये उसी के आंकड़े हैं। इस कमेटी ने स्वीकार किया कि 1994–95 में 24 हजार 240 टन प्लास्टिक का कचरा अवैध रूप से भारत में लाया गया। मान्यवर, श्री रंगनाथ मिश्रा की कमेटी जुलाई, 2001 में बनी थी। उस कमेटी ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कुछ संस्तुतियां की थी। इसे मैं बताना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा अंतिम बैठक में जो 16 फरवरी, 2002 को हुई थी, उसमें 3 संस्तुतियां की गई हैं। नम्बर–1–आयात पर पूर्ण प्रतिबंध यह उस कमेटी की पहली संस्तुति थी। नम्बर–2–जो आज एक प्रक्रिया सी चली है, एक विचार उठा है कि इस वेस्टेज से ऊर्जा का उत्पादन किया जाना चाहिए। उस कमेटी ने कहा कि हमें प्लास्टिक के कचरे से ऊर्जा का उत्पादन नहीं करना चाहिए। हमें इस विचार को छोड़ना चाहिए। नम्बर–3–100 माइक्रोन के बजाय 20 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह उनकी कमेटी की संस्तुतियां हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण विषय है। यह विषय ऐसा है जिस पर चिंतन की आवश्यकता है। यदि आपकी व्यवस्था हो तो मैं बैठ जाता हूं। लेकिन मान्यवर, इस गम्भीर विषय पर विचार आने चाहिए। अभी तो इस पर माननीय मंत्री जी के विचार भी आएंगे।

श्री अध्यक्ष–

आपके बाद उनके विचार आने हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज तो असरकारी दिवस है। सरकारी काम हमने पहले ही निपटा दिया है। आज तो हमारा दिन है....।

श्री अध्यक्ष–

आज कई संकल्प भी हैं, इनका भी निस्तारण होना है, कुछ संकल्प 2002 से लंबित चल रहे हैं।

***काजी निजामुद्दीन–**

मान्यवर, यह उत्तरांचल के हित में है आप इन्हें मेरे संकल्प का भी टाईम दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप तो बहुत दरिया दिल हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अब तो संक्षेप में करना ही पड़ेगा, अब आपने टोक दिया है, टोकने के बाद मैं बोल नहीं पाता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पंत जी, मैंने टोका नहीं है, मैंने कहा कि आप काफी बोल चुके हैं, अब तो आप समाप्ति की ओर हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो यह प्लास्टिक है यह हमारे चारों ओर फैला है और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी यह बहुत घातक साबित होता है। मान्यवर, इस संबंध में शिमला में एक एन0जी0ओ0 ने सर्वे कराया तो पाया कि यह केवल 1990 से 1996 के मध्य में इसकी छः लेयर जमीन में बन गई। जिसके कारण स्थिति अत्यन्त खराब होती चली जाती है अगर यही सर्वे हमारे यहां भी कराया जाय तो यही स्थिति हमारे यहां पर भी मिलेगी। मान्यवर, प्लास्टिक का खतरनाक पहलू यह है कि वह खत्म नहीं होता है यह अपना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वरूप नहीं बदलता जो इसका मोलिकुलर शेप है, वह नहीं बदलता, इसकी शक्ल सूरत तो बदल सकती है। दूसरा जो इसका खतरनाक स्वरूप है कि इसको एकत्रित किया जाना ज्यादा खतरनाक है दूसरा इसका उपाय है जलाना, जमा करने से बेहतर यह है कि इसे जला दिया जाय लेकिन जलाने से भी दुष्प्रभाव पड़ता है इसके जलने से जो गैसें निकलती हैं वह हैं फास्जन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, सल्फरडाई आक्साइड गैस और क्लारो फ्लोरो कार्बन। मान्यवर, यह जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस है यह बहुत खतरनाक गैस है यह ओजोन परत को प्रभावित करती है जिससे कि तापमान बढ़ता है और अन्य दुष्परिणाम भी सामने आते हैं और जो दूसरा विकल्प है एकत्रीकरण को तो यह हैवी मैटल्स को लीच करता है, यह जो हैवी मेटल्स छोड़ता है वह हैं लैड और कैडमियम, इससे ल्यूकोडर्मा, सफेद दाग वाला रोग हो सकता है और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव यह है कि यह मैटल्स वर्षा के पानी के साथ भूगर्भीय जल को प्रभावित करते हैं, जिससे धीरे–धीरे हमारा भूगर्भीय जल प्रभावित और दूषित होता है। इसी से शिमला में इसकी 6 लेयर जमा हो गई। तो इसी तरह से हमारे यहां भी हो रहा होगा और यह पानी को भी दूषित कर रहा है।

श्रीमन्, इसके अलावा हमारे यहां पर 90 प्रतिशत प्लास्टिक बैग एल0डी0पी0ई0, लो डेनसिटी पॉलीथिन से बनते हैं जो कम से कम 4 या 5 बार रिसाइकिल होते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने यह महसूस किया कि इसका विधेयक यहां पर आना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने जो विधेयक हमको दिया वह वहां के परिप्रेक्ष्य में था हमें अपने परिप्रेक्ष्य मे विधेयक बनाना चाहिए इसलिए मैं यह गैर सरकारी विधेयक लाया। अगर सरकार चाहे तो इसे एज इट इज मान ले हां, इसमें संशोधन कर सकती है इसे प्रवर समिति को दे दिया जाए। इसके अलावा इसे रोकने के लिए मैंने कुछ प्रावधान बनाये हैं उनकी जानकारी भी मैं देना चाहूंगा, उसके लिए मैंने इसमें 5 प्राविधान किये, इसे प्रतिबंधित करने के लिए इसमें पहला प्रावधान यह है कि यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर या सड़कों पर इसे फेंकता हुआ पाया जायेगा, उसे प्रतिबंधित किया जायेगा। इनके लिए विधेयक की धारा 3 में सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबन्ध में इसे प्रतिबंधित किया गया है। मान्यवर, दूसरा प्रतिबन्ध यह है, जिस प्रकार से कई राज्यों में दो कूड़ेदान रखे जाते हैं। एक में जीव नाशित कूड़ा रखा जाता है, इसको नष्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता, यह अपने आप नष्ट हो जाता है। इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। दूसरे में जीव अनाशित कूड़ा रखा जाता है, यह पर्यावरण और मानव जीवन के लिए घातक होता है। यहां पर भी ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इस पर विचार किया जाय कि इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं। मान्यवर, तीसरा प्रतिबन्ध, अधोभोगियों और स्वामियों का कर्तव्य है। कूड़े को एकत्रित कर नष्ट करने की जिम्मेदारी उनकी भी है। यह जिम्मेदारी केवल सरकार पर या नगर पालिका पर नहीं छोड़ी जा सकती है। हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के साथ–साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। मान्यवर, इसमें चौथा प्रतिबन्ध यह है कि इसमें प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के लिए यह है। क्योंकि 100 माइक्रोन तो बहुत अधिक हो जाएगा इसलिए प्राइमरी स्टेज पर 20 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक को पूर्णतया प्रतिबन्धित करने का प्राविधान इसमें किया गया है। मान्यवर, पांचवां प्रतिबन्ध

इसमें है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिबन्धित प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पाया जाए तो उसको दण्डित किया जाना चाहिए। इसे संज्ञेय अपराध माना जाय। मान्यवर, यह आज की जरूरत है, इसे उत्तरांचल राज्य में लागू होना चाहिए।

मैं आग्रह करूंगा कि इसको यथा स्थिति लागू किया जाय और यदि इसमें कुछ जोडना हो, क्योंकि इसमें से कुछ हटाया नहीं जा सकता, यदि जोड़ना हो तो इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिससे कि और अच्छे स्वरूप में लाया जा सके। इस पर हमें ठोस रणनीति के तहत कार्य करना होगा। उत्तरांचल राज्य को प्लास्टिक से पूर्ण रूप से मुक्त करना होगा। पर्यटन के बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमें पहला स्थान मिला है। मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में भी बताया। हमारे प्रदेश में पूर्ण रूप से प्लास्टिक को प्रतिबन्धित किया जा सके, ऐसा प्राविधान होना चाहिए।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से हमारे वरिष्ठ सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। यह एक ऐसा विषय है जो कि केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने विधेयक के माध्यम से उत्तरांचल में प्लास्टिक से उत्पन्न समस्या के बारे में बताया। इसका प्रभाव हमारे यहां इसलिए भी अधिक है क्योंकि हमारा राज्य एक पर्यटक राज्य है और हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्पवूर्ण है। अगर हमारे राज्य को पूरे भारतवर्ष का वाटर फाउन्टेन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हमारा राज्य पूरे उत्तर भारत को पानी की आपूर्ति करता है। यहां पर इस चिन्ता को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को साधुवाद भी देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने इस समस्या से जुडे हर पहलू, इस समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित हर समिति और पूरे भारत में जो काम हुए हैं, उस पर एक विद्वतापूर्ण भाषण दिया और मेरे लिए कोई गुन्जाइश नहीं छोडी कि मैं इस पर कोई टिप्पणी कर सकू, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं।

काजी निजामुद्दीन–

इसका मतलब इसे पास माना जाय।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मुझे भी थोड़ा भाषण झाड लेने दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, झाडना शब्द असंसदीय है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये है किन्तु वास्तव में अगर हम देखें तो इसका हल अभी तक हमारे वैज्ञानिक भी नहीं खोज पाये हैं। मैं इस बात

से सहमत हूं कि केवल कानून बना देने से काम नही चलेगा। बल्कि जरुरत इस बात की है कि इन कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए एक जन आंदोलन होना चाहिए ओर जन सहयोग भी होना चाहिए कुछ सरकारी संस्थायें इस काम के लिए आगे भी आई हैं जैसे मसूरी में श्री विपिन जी द्वारा काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है मैं उनका नाम इस सदन में लेना चाहूंगा। बहुत ही सहयोग इस क्षेत्र में उन्होंने हमें दिया है। इस प्रदेश की जनता को इस मामले में गम्भीर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इसका प्रयोग करता है तो उसे गम्भीरता से लेना चाहिए। मान्यवर, मैं फिर आभार प्रकट करता हूं। इस दिशा में हमने बहुत कुछ सोचा है और इस कार्य को करने के लिए बहुत कृपापूर्वक कल हमें मोहल्ला स्वच्छता समिति की तरफ से 5 करोड़ की धनराशि की प्राप्ति हुई। मान्यवर, अभी मोहल्ला सफाई का जिक्र किया जहां पर जैविक, अजैविक कूड़ा इकट्ठा होता है, उसके लिए भी हमें जनसहभागिता मिलनी चाहिए; इसके लिए पब्लिसिटी कैम्पेन की आवश्यकता है और इसे प्रदेश में शुरु करना चाहिए। हमें एक योजना बनानी चाहिए और साथ ही प्रारुप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार; उत्तरांचल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी जितने आदेश हैं सभी नगर पालिकाओं को हर संस्था को करा दिये जायेंगे।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त दो चीजें इससे भी अधिक खतरनाक है वे है टैट्रापैक और रैपर्स। जिनमें नमकीन और गुटका इत्यादि पैक होकर आता है। प्लास्टिक निस्तारण का तो फिर भी हमारे पास तरीका है लेकिन जो प्लास्टिक कागजों में मिल रही हैं उसका निस्तारण होना सम्भव नहीं है। न ही अभी उसका कोई तरीका निकला है। इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक कमेटी भी गठित की थी कुछ समय पहले उससे हमारी मुलाकात भी हुई। उन्होंने कुछ चीजों पर अपनी राय भी प्रकट की थी कि हमें सबसे पहले जैविक और अजैविक कूड़े को अलग करना होगा। यह काम हमें केवल नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी करना होगा। यह जो टैट्रापैक और रैपर्स है यह हमारे पालतू पशुओं के लिए प्राणघातक है। माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत जो गैर सरकारी विधेयक है इसका मेरे द्वारा भी गहन अध्ययन किया गया। इसमें सार्वजनिक नालियों और मल नालियों में जीव अनाशित कूड़ा–कचरा फेंकने पर प्रतिबंध जीव अनाशित कूड़ा–कचरा आदि को संग्रहित और जमा करने का स्वामियों और अधोभोगियों का कर्तव्य। वास्तव में यह इसी रूप मे लेने की आवश्यकता है।

मान्यवर, हमारे लागू अधिनियम की धारा–3 में इसकी व्यवस्था की गयी है। जो दूसरा विषय आपने कूड़ेदान का चुना इसके लिए धारा–4 में इसकी पूरी व्यवस्था है। जो आपने कर्तव्य की बात की वह लागू अधिनियम की धारा–5 में है। लोगों का ध्यान आकर्षित करने की जो प्लास्टिक 20 माइक्रोन से कम की बात की वह लागू धारा–7 में इस बात की व्यवस्था है। मान्यवर, इस अधिनियम की धारा–6 के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने के लिए दुष्प्रचारित करेगा, प्रथम दोष सिद्ध होने की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रु0 तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। मान्यवर, वर्तमान में लागू अधिनियम इससे अधिक कठोर है। मान्यवर, यह बात सही है कि विषय बहुत गम्भीर है, इस बात के लिए मैं माननीय सदस्य का आभार व्यक्त करता हू और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जब हम इस कार्यक्रम को धरातल पर लागू करेंगे तो उस समय चाहे वह सत्ता

पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, इसमें हमें सभी का सहयोग मिलेगा।

मान्यवर, इस विधेयक की आड़ में हम किसी कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं करेंगे। हमें नगर निगम और नगर पंचायतों के कर्मचारियों का सहयोग करना पड़ेगा। मान्यवर, हमें अच्छे नगर विकसित करने हैं और हम महसूस करते हैं साफ–सुथरा राज्य बनाने में, प्लास्टिक विहीन राज्य बनाने में, हमें लोगों का सहयोग भी मिलेगा। मान्यवर, क्या ये सदन इस गैर सरकारी विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करेगा या नहीं, परन्तु माननीय सदस्य जो असरकारी विधेयक लाये हैं, तो इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक सरकारी विधेयक की तुलना में ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो कोई नई व्यवस्था नहीं हो पायेगी। मान्यवर, लेकिन हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि इस विषय पर सरकार हर संभव सहयोग करेगी। हम सब मिलकर एक जनसेवक के रूप में कार्य करें तो निश्चित रूप से हम इस समस्या का हल कर सकते हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसकी अनुज्ञा न दी जाय।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जैसा कि यहां पर कहा कि हम सर्वमान्य हल निकालेंगे किन्तु कानून लागू करने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। इस कानून को धरातल पर लागू करने के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यह विधि नहीं बन पायेगा। मान्यवर, इस सदन के माध्यम से इसको लाने का उद्देश्य यह है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तथा समिति में इस पर चर्चा हो।

मान्यवर, आज 2005 में इस विधेयक की परिणति हमने देखी, इसकी वजह से कोई प्राविधान नहीं आया, जो परिस्थितियां पहले थी वह आज भी हैं, इसलिए इस विधेयक को लाने की आवश्यकता थी। लेकिन माननीय मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इन तीन वर्षों में माननीय मंत्री जी ने क्या किया, यह विधि क्यों लागू नहीं हो पाई, या जो पांच बिन्दु बताये हैं इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई। श्रीमन, मेरी इच्छा है कि प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाये, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस विधेयक की परिणति क्या होगी। मान्यवर, इस विधेयक को पास करें या न करें इससे सरकार के अस्तित्व में कोई खतरा नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप देखिये कि उत्तरांचल में प्लास्टिक को बन्द करने में कृत संकल्प हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग एवं निस्तारण का विनियमन) विधेयक–2005 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने नियम–165 के अन्तर्गत स्पष्टीकरण की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लेंगे।

प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किये जाने विषयक संकल्प

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जिस विषय की ओर, मैं, सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, वह विषय उत्तरांचल की पहचान से जुड़ा है और उत्तरांचल की पहचान धार्मिक पर्यटन से है। मान्यवर, धार्मिक पर्यटन से आय को बढ़ावा दे सकते हैं। मान्यवर, इसके आधार पर हम गरीबी की रेखा से नीचे और अन्त्योदय रेखा तक के लोगों का भी उद्धार कर सकते हैं और मैं यह संकल्प रख रहा हूँ, उस विषय के माध्यम से उत्तरांचल राज्य का चहुँमुखी विकास हो सकता है और वह है धार्मिक पर्यटन, इसके माध्यम से उत्तरांचल राज्य की अपनी अलग पहचान है। श्रीमन्, भारतीय संस्कृति के ग्रन्थों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा का सर्वोच्च स्थान है। यह यात्रा प्राचीन काल से धार्मिक यात्रा के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्रीमन्, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि उत्तरांचल राज्य के कुछ दर्रे कैलाश मानसरोवर को जोड़ते हैं। जिनमें से लिपुलेख, लामपिया, धूरा, न्यूवेधूरा, लोवेधूरा उटाधूरा, जयन्ती तथा कुगरी–बिगरी प्रमुख है। गौतम बुद्ध की हिमालय यात्रा का वर्णन "सौन्दरक" महाकाव्य में हुआ है। बुद्ध अपने प्रव्रजित भाई नन्द के साथ हिमालय यात्रा में आये थे। श्रीमन्, भारतीय संस्कृति के आधार स्कन्द पुराण ही प्राचीन इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है।

मान्यवर, ब्रह्मा को पुराणों का प्रथम प्रवक्ता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि पुराणों की रचना भारतीय संस्कृति के जन्म के साथ हुई है। स्कन्द पुराण पौराणिक काल के महत्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है। जिसके मानस खण्ड में सरोवर तथा पर्वत का वर्णन है। जिसके अनुसार कोई व्यक्ति मानसरोवर के पवित्र जल का स्नान करता है वह मृत्यु के बाद भगवान ब्रह्मा के श्री चरणों में जाता है। यदि कोई व्यक्ति इस जल को पी लेता है वह जन्म मृत्यु के बन्धन से मुक्त हो जाता है और भगवान शिव के श्री चरणों में जाता है। हिन्दू पुराणों तथा भगवान बुद्ध के प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का केन्द्र बिन्दु मानसरोवर है। इसका सर्वोच्च स्थल पालमपास 19 हजार फीट के ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील 14930 फीट (4530 मीटर) ऊंचाई पर स्थित 90 कि0मी0 गोलाई में तथा 90 मीटर गहरी है। मानसरोवर से प्राकृतिक नहर के माध्यम से 14900 फीट ऊंचाई पर राक्षस ताल है। जिसके 22 कि0मी0 दूरी पर सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। मानस खण्ड के अध्याय 11 के श्लोक 14 से 27 में धन्वन्तरि द्वारा व्यास से कैलाश मानसरोवर यात्रा पथ पूछने पर योगीराज दत्तात्रेय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिये जो यात्रा पथ धन्वन्तरि को पौराणिक काल में बताया वह यात्रा पथ वर्तमान में भी उत्तरांचल के जनपद पिथौरागढ़ नगर से कैलाश मानसरोवर तक जाता है। मानस खण्ड का उपरोक्त श्लोक निम्न अनुसार है–

"अस्त्रयस्तपथ्य राजन् हिमाद्रिः पर्वतान्तनः ।
तस्य पादतले रम्ये नाम्ना कूर्माचलो गिरिः ।।
तीर्थमयः बहुभिर्युन्तको मृगपक्षितमन्वितः ।
गन्तव्य तत्र राजर्षे, यत्र कूर्माचलो गिरिः ।।
मयूरैः सेवितपदस्तथान्यैः पक्षिराजितः ।
गण्डकी–लोहसरितोर्मध्ये स्नात्वा महेश्वरम् ।।
समपूज्य नृपशार्दूल, तथाऽन्यान् देवतागणाम् ।
ततस्तु सरयूतीरे दृष्ट्वा तत्र शिला शुभाम् ।।
स्नात्वा तत्र महाराज हंसतीर्थजले शुभे ।
ततः परं महाभाग सुपुण्यं दारू पर्वतम् ।।
गत्वा सम्पूज्य लोकेशं जम्बूका राख्यं महेश्वरम् ।
ततः परं महाराज पाताल भुवनेश्वरम् ।।
गत्वा सम्पूज्य विधिना समुपोष्य दिनत्रयम् ।
ततः परमं महाराज रामगंगा सरिज्जले ।।
स्नात्वा सम्पूज्य बालीशं तथैव शिवकिंकरान ।
ततः परम महाराज पवनाख्यां गिरिं ब्रजेत् ।।
सम्पूज्य पावनं देवम पताकाख्यां गिरिं ब्रजेत ।
पताकेशं हरं तत्र सम्पूज्य विधि पूर्वकम् ।।
ततः शिला शिला संगे कालीशाख्यां महेश्वरम् ।
गत्वा सम्पूज्यविधिवत् चतुदृष्टि गिरि ब्रजेत ।।
सम्भाव्य गिरिदंष्ट्रान तान पुण्यान् हिमालयोदयान् ।
ततो धर्माश्रमं पुण्यं दृष्टवा राजर्षिसत्तम ।।
धर्मीदील्लोकपालम् वै दृष्टवा धर्मपदं शुभम ।
धर्मद्वारं तु निष्क्रम्य ततो व्यासाश्रमं ब्रजेत ।।
कृष्णद्वैपायनं व्यासं सम्पूज्य विधिपूर्वकम् ।
येनेदं परम पुण्यं स्कन्दोत्पनित्लामन्वितम् ।।
स्यानन्दं शिव कथायुक्तं शतसाहस्त्रिकमं शुभम् ।
खण्डाख्यान समायुक्तम चरितं जनमेजय ।।

मान्यवर, मैं उक्त श्लोक का अर्थ भी स्पष्ट कर दूं, यह इस प्रकार है– "हे राजन् उत्तराखण्ड में पर्वतराज हिमालय है। उसके चरणों पर कूर्मांचल नाम की पर्वत श्रेणी है। यह प्रदेश अनेक तीर्थों तथा वन्य पशु पक्षियों आदि में संकुलित है। राजन! यात्री को सर्वप्रथम मानसरोवर यात्रा का प्रारम्भ कूर्मांचल पर्वत से करना चाहिए। इस पर्वत की उपत्यका में मोर तथा अन्य सुशोभित पक्षी हैं। यहां पहुंच कर गण्डकी व लोहावती नदी में स्नान कर यात्री को भगवान शंकर की पूजा करने के पश्चात् अन्य देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात् यात्री सरयू तट पर शुभ कर्मशिला को पूजते हुए हंसतीर्थ के जल से स्नान करके दारु पर्वत जहां पाताल भुवनेश्वर है, पहुंचे तथा पूजा करके तीन दिन का उपवास करे।

*श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, इसमें मेरे क्षेत्र का वर्णन नहीं आया।..........

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जो मानस खण्ड में दिया है मैं उसे उद्घृत कर रहा हूं।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, जो यात्री बागेश्वर होते हुए नहीं गये उसके साथ ही दुर्घटनाएं घटित हुई हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैंने तो मानस खण्ड को उद्घृत किया है। मान्यवर, रामगंगा में स्नान कर बालिश तथा शिवगणों की पूजा करके यात्री पावन पर्वत पहुंचे व पूजा कर ध्वज पर्वत जायें। तत्पश्चात् यात्री धौली व काली नदी के संगम पर पूजा करें व कालीश की विधिवत पूजा करके चतुर्दष्ट जिसे चौउदास भी कहते हैं, पर्वत की ओर आगे बढ़े और यहां पर पर्वत के आकार को पवित्र हिमालय निकले दांतों की कल्पना कर उसकी पूजा करें और व्यास आश्रम पहुंचे। विधिपूर्वक कृष्णद्वैपायन महर्षि व्यास की पूजा करें जिन्होंने देव सेनानी कार्तिकेय की उत्पत्ति आख्यान का समावेश कर भगवान शंकर की कथा सहित अनेक खण्डों और आख्यानों मे एक लाख श्लोकों के स्कन्ध पुराण की रचना की है। उपर्युक्त वर्णन में व्यास जी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पथ बताते हुए जिन स्थानों का वर्णन किया है वह वर्तमान में भी उक्त यात्रा मार्ग में है। जैसे लोहाघाट, रामगंगा नदी, पाताल भुवनेश्वर, ध्वज पर्वत जो कनालीछीना में है और माननीय काशी सिंह ऐरी जी का क्षेत्र है, काली व गोरी नदी का संगम अर्थात् जौलजीवी, व्यास पट्टी चौदांस पट्टी जो धारचूला में है यह माननीय गगन सिंह रजवार जी का क्षेत्र है। मान्यवर, भगवान बुद्ध द्वारा हिमालय यात्रा का मार्ग जिसका उल्लेख "सौन्दरनन्द" महाकाव्य में आया है वह चम्पावत जनपद के दक्षिण में बयानधूरा, सेनापानी, सुदलीमठ के वन्य क्षेत्र से होकर चम्पावत तक आता है। सम्भवतः यह यात्रापथ सेनापानी से रमक, गरसाड, रीठासाहिब, केदारनाथ व सुई बिशंग हो कर रहा होगा।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सरकार ने माननीय टम्टा जी को छोड़ दिया, आप भी उन्हें छोड़ रहे हैं। (हंसी)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चन्द काल में राजा बाज बहादुर चन्द ने लीपूघाट दर्रे को यात्रा के लिए चुना था। (व्यवधान)

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, कैलाश मानसरोवर यात्रा मे जो भी जाता है वह बागेश्वर होकर ही जाता है। जो मालपा कांड हुआ था उसमे जो यात्री बागेश्वर होकर गये थे वे बच गये थे। जो बागेश्वर होकर नहीं गये थे उनके साथ ही दुर्घटना हुई थी। छोटा कैलाश के रूप में बागेश्वर को माना जाता है। आप इस लाईन को शायद भूल गये थे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आज यात्री किस रूट से यात्रा कर रहे है, मैं उसका जिक्र नही कर रहा हूं।

लेकिन मान्यवर, मैंने जो उदघृत किया है, मानस खंड का, सौन्दरक महाकाव्य का और एटकिंसन साहब के गजेटियर का। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वहां पर मानसरोवर है, यह हिन्दुओं का तीर्थ है। ह्वेनसांग ने भी अपने यात्रा विवरण में इसका उल्लेख किया और एटकिंसन के गजेटियर में यह वर्णन है कि वर्ष 1846 में कैप्टन एस0 स्ट्रची ने यहां की यात्रा की उसका विवरण अपनी डायरी मे लिखा और इन सबने भी यही यात्रा मार्ग पकड़ा। माननीय टम्टा जी, पूर्वमंत्री जी ने जैसा अभी कहा कि बागेश्वर से यह यात्रा थी आजकल भी यह यात्रा चल रही होगी उन्होंने कहा कि वे लोग बागेश्वर नहीं आये तो मालपा की दुर्घटना हो गई तो मैं तो तुच्छ बुद्धि का व्यक्ति हूं कम पढ़ा–लिखा आदमी हूं। मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति यहां सदन में माननीय सदस्य बैठे हैं, वे लोग भी अपने विचार दें, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार जो अध्ययन किया एवं स्कन्ध पुराण का अध्ययन मैंने किया, गौतम बुद्ध की बात मैंने कही, ह्वेनसांग और कैप्टन स्ट्रेची की बात मैंने कही, इन्ही सब के आधार पर मैंने अपनी बातें कहीं और मान्यवर विडम्बना यह रही कि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह यात्रा बंद हो गई और उसके बहुत बाद यह प्रारम्भ हुई वर्ष 1980–1981 में।

मान्यवर, इस यात्रा का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि इसे धार्मिक यात्रा के रूप में घोषित नहीं किया गया। इसे साहसिक पर्यटन यात्रा के रूप में घोषित किया गया तभी चीन ने इसकी परमीशन दी तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे धार्मिक यात्रा का स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। क्योंकि यह मात्र हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है, यह पूरे भारत देश के लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। मान्यवर, मानसरोवर पूरे ब्रहमांड का केन्द्र बिन्दु है मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इसे धार्मिक यात्रा घोषित करने का प्रस्ताव सरकार सदन के माध्यम से बनाये और यात्रा मार्ग को भी इसमें शामिल करे क्योंकि सदन जो आदेश देगा वह सबके लिए शिरोधार्य है। चूंकि इस प्रकरण में केन्द्र सरकार भी शामिल है। इसलिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कराकर सरकार इसे केन्द्र सरकार को दें। चूंकि इसमें दो देशों की सीमा वाली बात भी है इसलिए इसे पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेज दिया जाय।

***श्री मदन कौशिक–**

मान्यवर, एक–दो मिनट में अपनी बात को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय पंत जी ने जो प्रस्ताव सदन के सामने रखा है मैं उस पर बल देने के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए खड़ा हुआ है। मान्यवर, जैसा माननीय पंत जी ने कहा कि इसे धार्मिक यात्रा घोषित किया जाना चाहिए तो मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, यह ठीक है कि इस यात्रा में विदेश मंत्रालय भारत सरकार से क्लीयरेंस लेना पड़ता है और क्लीयरेंस लेने के लिए जो इस यात्रा में जाते हैं उनको दिल्ली में 5–6 दिन ठहरना पड़ता है और वहां पर ठहरने खाने आदि की जो आवश्यकतायें है उनमें काफी परेशानी होती है। इसमें बहुत सी प्रदेश सरकारों ने यात्रा में जाने वाले लोगों को क्लीयरेंस के दौरान रहने आदि की व्यवस्थायें कर रखी है, जैसे दिल्ली सरकार ने इसमें जाने वाले अपने प्रदेश के यात्रियों को प्रति यात्री 10 हजार रुपये देने का प्राविधान किया है और इसी तरह से गुजरात सरकार ने इसके लिए अपने गुजरात भवन में यात्रियों के ठहरने और खाने आदि का पूर्ण प्रावधान किया है। चूंकि यह यात्रा अधिकतर उत्तरांचल राज्य से होकर गुजरती है तो जो भी सुविधायें देनी हो आवश्यकता के अनुरूप तो उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। मान्यवर, जैसी दुर्घटना मालपा में हुई थी जो भूस्खलन हुआ था 1998 में तो वहां पर भी यह बात आई थी लेकिन उस समय हम उत्तर प्रदेश में थे उतने बड़े प्रदेश में यह विचार किया जाना संभव नहीं था लेकिन आज हमारे यहां पर 13 जनपद हैं।

मान्यवर, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है। चूंकि हम मानते हैं कि उत्तरांचल की आत्मा धर्म में वास करती है और धर्म का विकास ही उत्तरांचल का विकास है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं, माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि इसे धार्मिक यात्रा इस प्रदेश के लिए निश्चित रूप से घोषित किया जाना चाहिए।

*पर्यटन मंत्री (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

मान्यवर, श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा देश की एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा का संचालन वर्ष 1981 से विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के सहयोग से किया जा रहा है। इस यात्रा में भारतीय सीमा में 16 दिन की यात्रा होती है तथा तिब्बत क्षेत्र में 12 दिन का समय लगता है इस प्रकार यह यात्रा कुल 28 दिन की होती है। भारतीय सीमा में अल्मोड़ा, धारचूला, गाला, बूंदी, गुन्जी, कालापानी, नावीढांग, 7 शिविर स्थापित हैं। इस यात्रा का समय मई से सितम्बर तक होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय आकार होने के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और हर वर्ष इस हेतु निश्चित संख्या में यात्रियों का चयन तथा यात्रा हेतु टोलियों का निर्धारण भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। प्रायः 16 दलों में जिनमें प्रत्येक दल में अधिकतम 35 सदस्य होते हैं, यह यात्रा की जाती है। यह यात्रा दिल्ली से प्रारम्भ होती है। जहां से यात्रियों को कुमाऊं मण्डल विकास निगम की बसों द्वारा काठगोदाम तक लाया जाता है। प्रथम दिन रात्रि विश्राम अल्मोड़ा में किया जाता है। दूसरे दिन दोपहर का भोजन पर्यटक आवास गृह चौकोड़ी में करने के बाद रात्रि विश्राम पर्यटक आवास गृह धारचूला में होता है। धारचूला से यात्रा का संचालन मांगती गांव से किया जाता है। मांगती मार्ग अवरुद्ध होने पर यात्रा पांगू एवं शिरखा कैम्पों से संचालित की जाती है। वापसी में आधार शिविर धारचूला से यात्रा शिविर अल्मोड़ा के स्थान पर पाताल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भुवनेश्वर दर्शन करते हुए जागेश्वर में रात्रि विश्राम करते हैं। वर्तमान में शिविरों में आवास व्यवस्था इस प्रकार है–पांगू में 4 डोरमेटरी, 2 फाइबर हट, कुल 52 शैय्या, सिरखा में 2 डोरमेटरी 2 फाइबर हट, कुल 60 शैय्या, माला में 2 डोरमेटरी 2 फाइबर हट, कुल 70 शैय्या, बूंदी में 2 डोरमेटरी, 3 फाइबर हट, कुल 70 शैय्या, गूंजी में 2 डारेरमेटरी, 6 फाइबर हट, कुल 100 शैय्या, कालापानी में 2 डोरमेटरी, 6 फाइबर हट, कुल 80 शैय्या तथा नाबीढांग में 2 डारेमेटरी, 5 फाइबर हट कुल 90 शैय्या मान्यवर, इनके अतिरिक्त कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं, वे इस प्रकार हैं–

1–यात्रा मार्ग के विभिन्न स्थलों पर पर्यटक आवास गृह, फाईबर हट्स एवं टिन हट्स के माध्यम से आवासी सुविधाएं।

2–भारतीय सीमा में यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थलों पर पेयजल, खाद्यान्न एवं सम्पूर्ण यात्रा मार्ग पर शाकाहारी भोजन की व्यवस्था।

3–भारतीय सीमा में यात्रियों के निजी सामान (25 किलो प्रति यात्री तक) के ढुलान की व्यवस्था।

4–भारतीय सीमा में यात्रा दलों को गाईड की व्यवस्था।

5–प्रत्येक यात्रा दल के साथ चिकित्सा सुविधा।

6–यात्रियों को सुरक्षा एवं संचार सुविधा।

7–आपात काल में यात्रियों के हैलिकॉप्टर आदि की सुविधा।

8–प्रत्येक यात्री का रु0 5.00 लाख के हिसाब से दुर्घटना बीमा कराया जाता है।........

... कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा तथा शान्ति व्यवस्था स्थान गुंजी तक उत्तरांचल पुलिस तथा स्थान गुजी से आगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा की जाती है। प्रत्येक यात्रा दल के साथ उनकी चिकित्सा व्यवस्था हेतु स्थान धारचूला से गुंजी तक चिकित्सा सुविधा राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा की जाती है, जिसमें एक चिकित्सक तथा एक वार्ड ब्वॉय प्रत्येक दल के साथ रहता है। स्थान गुंजी के आगे लिपूलेख तक चिकित्सा व्यवस्था का दायित्व भारत तिब्बत सीमा पुलिस का है। आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य के लिए पुलिस, पी0ए0सी0 के अतिरिक्त आई0टी0बी0पी0 व सेना की सहायता ली जाती है, यात्रियों की सुरक्षा हेतु स्थान गुंजी से आगे भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा प्रत्येक दल के साथ 10 आई0टी0बी0पी0 के जवान तैनात किये जाते हैं। आपात काल में शीघ्र सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रत्येक यात्रा शिविर में हैलीपैड की व्यवस्था की जाती है। यात्रियों की सुरक्षा तथा उनकी जानकारी रखे जाने हेतु स्थान गुजी तक उत्तरांचल पुलिस रेडियो व्यवस्था सम्पादित की जाती है। गुंजी से आगे की संचार आई0टी0बी0पी0 के द्वारा संचालित की जाती है। उक्त संचार माध्यमों से विभिन्न स्थानों को यात्रियों के सम्बन्ध में प्रतिदिन की सूचना प्रसारित की जाती है।

वर्ष 1981 से वर्ष 2004 तक इस यात्रा में कुल 247 दलों ने भाग लिया जिसमें 7426 यात्री शामिल हुए। उत्तरांचल के गठन के पश्चात् 2001 में 16 दलों के 464 यात्री,

वर्ष 2002 में 16 दलों के 469 यात्री, वर्ष 2003 में 10 दलों के 316 यात्री तथा वर्ष 2004 में 16 दलों के 537 यात्रियों ने इस यात्रा का लाभ प्राप्त किया। स्पष्ट है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तरांचल में स्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मार्ग को धार्मिक यात्रा मार्ग घोषित करें। क्योंकि कई लोग वहां पर्यटन की दृष्टि से ही जाते हैं। ये लोग अपने साथ कभी शराब इत्यादि भी ले जाते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि शराब पर इस मार्ग पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। मान्यवर, आप आबकारी मंत्री भी हैं, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा भी सकते हैं। मान्यवर, धार्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करायें। मान्यवर, वैष्णों देवी जी के दर्शन करने के लिए जब मैं पहली बार गया था तो वहां पर पैदल यात्रा जो लगभग 17 कि0मी0 है, वहां पर इतनी अच्छी सुविधा है कि पैदल मार्ग में कोई दिक्कत नहीं आती, पता नहीं चलता कि हमने इतना लम्बा पैदल सफर कर लिया है। वहां पर इतनी अच्छी सुविधा है इसलिए लोग वहां इतनी अधिक संख्या में दर्शन करने जाते हैं। तो मैं यही चाहूंगा, यहां भी वहां की तरह बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए। आपने दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, यह बहुत ही अच्छी बात है। जो हम सुविधाएं यहां पर अन्य धार्मिक धर्मावलम्बियों को दे रहे हैं, वैसी ही सुविधा वहां जाने वाले यात्रियों को मिले।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, आपने जो बातें बताई, उनको मैंने ध्यानपूर्वक सुना, जो सुविधाएं हमारे द्वारा दी जा रही हैं वह मैंने आपके सम्मुख रखी। यात्रा मार्ग में सुविधाएं कुमाऊं मण्डल विकास निगम द्वारा दी जाती हैं उसकी भी मैंने आपको जानकारी दी। फिर भी मैं यह कहूँगा कि यह दो देशों भारत और चीन के बीच का मामला है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दो देशों की बात कहां से आई। धारचूला तो हमारे देश के अंदर है। यह तो बड़ी विचित्र स्थिति है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, 8 करोड़ 46 लाख 92 हजार रु0 इस मार्ग पर खर्च किया गया है। मान्यवर, इस फंड से रास्ते को ठीक करने और अन्य सुविधाएं दी गयीं इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 24 लाख 77 हजार खर्च किया गया है। मान्यवर, आप जानते हैं यह क्षेत्र बहुत ही दुर्गम है। मान्यवर, 1975–76 में, इस यात्रा पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। यह सब क्षेत्र बहुत दुर्गम है, कठिन है, यह आसान रास्ता नहीं है। मान्यवर, इसमें रख–रखाव आदि तमाम चीजें डिफेंस एंगिल से भी देखना होगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली और गुजरात सरकार की भांति उत्तरांचल के यात्रियों को प्रति यात्री प्रदेश सरकार क्या सुविधा दे रही है।

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, राज्य इस यात्रा को संचालित कर रहा है हमारे राज्य से कुमाऊं विकास मण्डल निगम कोई पैसा नहीं देता है। शायद एजेंसी से मिलता है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का यात्री यदि यात्रा करेगा तो हम अपने यात्रियों को कैसी सुविधाएं देंगे ? क्या सरकार इस पर विचार कर रही है?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर विचार करना होगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी अपने संकल्प को क्या वापिस ले रहे हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूंकि मैंने एक विषय रखा "धार्मिक यात्रा" घोषित करें। मान्यवर, यह केन्द्र सरकार का मामला है, इसलिए इस संकल्प को यथाशीघ्र और यथा समय पर केन्द्र सरकार को प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में कोई जवाब नहीं दिया है। केन्द्र सरकार को संस्तुति पूर्व में भी संकल्प के माध्यम से प्रेषित की गयी है। मान्यवर, जिस प्रकार से दो संकल्प पहले गये मैं चाहता हूं तीसरा भी चला जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाय।" (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं अपराह्न 3.00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

मार्शल विधानसभा–

मानानीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3.30 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाना विषयक संकल्प

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय।''

मान्यवर, संकल्प के द्वारा माननीय सदस्यगण अपनी राय और सिफारिश सदन में पेश करते हैं और उसके बाद सदन निर्णय करता है कि हमारी राय कितनी सही है और कितनी गलत है। मैं यह चाहूंगा कि इस बिन्दु पर चर्चा करने से पहले इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और जनजाति और विकलांग लोगों के लिए जो आरक्षण है उसका लाभ उनको मिलना चाहिए। मैं शासन से यह भी कहना चाहता हूं कि विभिन्न विभागों में जितने पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें तत्काल शासन स्तर पर, युद्धस्तर पर भरने की मांग करता हूं। मैं इस संकल्प के द्वारा अपनी मांग सदन के सम्मुख पेश कर रहा हूं।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि सामान्य जाति के कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, दीन–हीन हैं, जो एक–एक दाने के लिए मोहताज हैं, उनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई खेती नहीं हैं वे भूमि हीन हैं, वे गरीबी की रेखा के नीचे हैं, उनके बी0पी0एल0 कार्ड बने हैं और बी0पी0एल0 कार्ड के द्वारा थोड़ा बहुत राहत भी दी जाती है। मान्यवर, भारत सरकार की योजना अन्त्योदय है, इसमें वह चयन भी है। जितने भी बी0पी0एल0 कार्ड बने हैं, उनको इससे कितना लाभ मिला है यह सरकार सोच सकती है, इसमें कितनों को चयन किया गया और कितना निःशुल्क राशन देते हैं। मान्यवर, फिर भी ये लोग गरीब हैं, उसमें कई हमारे भाई हैं, बहिनें हैं, भले ही विधवा हैं। वे निराश्रित हैं तो उनको कोई सहारा देने वाला नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मां–बाप नहीं हैं, आगे–पीछे कोई नहीं है। मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सदन के माध्यम से इस बात को रखना चाहता हूं कि ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सामान्य जाति के दीन–हीन लोगों के लिए प्रयास करेंगे कि उनको सरकारी सेवायें उपलब्ध करायी जाएं, आरक्षण के आधार पर।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। ऐसे लोगों के हित की हम बात कर रहे हैं। जिनको सहारे की जरूरत है। जो आज अपनी रोटी, रोजी के लिए मोहताज हैं और नीले गगन के नीचे रह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं संकल्प पेश करता हूं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिस प्रकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई है इनका जो कोटा है उसमें कोई कटौती न की जाय लेकिन, इसी प्रकार जो लोग सामान्य जाति के हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, जो बहनें बाल विधवा हैं उनको राजकीय सेवा में आरक्षण की व्यवस्था सरकार करे। मैं चाहता हूं कि सदन में इस पर चर्चा कराई जाय और राजकीय सेवाओं में इन्हें आरक्षण दिया जाय।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी द्वारा रखे गये संकल्प पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सदन से आग्रह किया है और सदन के आग्रह पर सरकार से निवेदन किया है कि उत्तरांचल में ऐसे लोग जो दबे, कुचले, शोषित हैं। आजादी के 57–58 वर्षों बाद भी जिनका जीवन स्तर गरीबी की रेखा के नीचे हैं, नीचे ही नहीं वरन् वे अत्योदय की स्थिति में आ गये है। ऐसे लोगों के लिए प्रावधान है उनके राशन कार्ड अलग बने हुए हैं और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की बात सरकार करती रही है। ऐसे लोगों को सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय दिलाना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। यह उत्तरांचल एट ए गलांस है इसमें पृष्ठ तीन में सेक्स वाइज लेबरों का विवरण दिया गया है। अर्थात् ऐसे श्रमिक जो उत्तरांचल में रह रहे हैं उनकी संख्या दी गयी है। जो नगरीय क्षेत्रों में रह रहे हैं 1991 के अनुसार 28 लाख 16 हजार, कुल श्रमिक हैं जिसमें पुरुष 14 लाख 24 हजार हैं तथा महिलाएं 13 लाख 92 हजार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रमिक रह रहे हैं, 1991 के अनुसार 19 लाख 89 हजार हैं, इसमें से 10 लाख 6 हजार पुरुष और 9 लाख 83 हजार महिलाएं हैं। यह जोड़कर हिसाब बन रहा है 48 लाख 5 हजार श्रमिक रह रहे हैं। आज 84 लाख की जनसंख्या उत्तरांचल की है उसमें से 48 लाख निकाल दिये गये तो कुल 36 लाख बचते हैं। अर्थात् जो श्रम करके जीवन यापन कर रहे हैं उनकी संख्या है 48 लाख और श्रम न करके अन्य सेवाओं में जो हैं उनकी संख्या है 36 लाख। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तरांचल राज्य के अंदर श्रम करके अपना जीवन यापन करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए उत्तरांचल के अंदर हमें चिंता करनी चाहिए और हम इनके लिए क्या उपाय करें, ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार हो। यह मन्तव्य माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का है और यही मंतव्य हम सबका है, जो यहां पर चुनकर आये हैं। इसके लिए एक ठोस नीति बननी ही चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प पर बल देता हूं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिये जाने का जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मैं उस पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का निर्माण करने के पीछे यह भी निहित था कि किस प्रकार की गरीबी यहाँ पर है और जिस प्रकार से यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो इन्हीं को केन्द्रित कर उत्तरांचल राज्य के निर्माण की बात आई और राज्य बनने के पीछे यह बहुत बड़ा कारण भी रहा। मान्यवर, आज जो संकल्प यहां पर आया है उसे लागू करने की बहुत आवश्यकता प्रदेश में है। मान्यवर, जो कुल 8489349 की जनसंख्या है उसमें से 1067647 ऐसे व्यक्ति हैं जो एग्रीकल्चर से, कृषि के द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं और 14264 व्यक्ति ऐसे हैं जो खेतों में काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं, जिन्हें कृषक

श्रमिक भी कहा जाता है इसके अलावा यहाँ पर 49027 लोग ऐसे हैं जो छोटे–छोटे पारिवारिक उद्योग चलाते है तथा जो मुख्य कर्मकार हैं उनकी संख्या 2322347 की है और जो सीमान्त कर्मकार हैं उनकी संख्या 811689 है और जो अन्य कर्मकार है वे 10649 हैं, इस प्रकार कुल कर्मकार हमारे राज्य में 3134036 हैं। इसके अलावा जिनके पास कोई काम नहीं है उनकी संख्या 5355313 की है, इनके पास कोई ठोस कार्य नहीं है। यदि मैं इसके प्रतिशत की बात करूं तो मुख्य कर्मकारों का प्रतिशत मात्र 27.4 का है तो मान्यवर, हमारे राज्य में कार्य की स्थिति यह है और अंत में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष से संकल्प रखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय उस पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि जो लोग विकास से वंचित हैं, उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके इसके लिए यह आरक्षण व्यवस्था जरूर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं दो मिनट इस संकल्प पर बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आज काफी संकल्प हैं, आप बाद में बोल दीजियेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आगे के प्रस्तावों का तो प्रस्तुतीकरण है, मुश्किल से 5–7 ही हैं अगर माननीय सदस्य 2–2 मिनट बोलना चाहते हैं तो समय दे दिया जाय। वैसे भी 5 बजे तक में सब आ जायेंगे।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि 2 मिनट का समय माननीय सदस्य को दे दें। हमने अनुरोध किया है।

श्री अध्यक्ष–

कितने बजे तक आप चलाना चाहते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हमने अनुरोध किया है....।

श्री अध्यक्ष–

आप किससे अनुरोध कर रहे हैं?

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आप तो सर्वोपरि हैं, आप ही संरक्षक हैं हमारे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बल देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आज आर्थिक आरक्षण की आवश्यकता हमारे प्रदेश में है और मान्यवर, आरक्षण की व्यवस्था होती है। इस राज्य में है हमारा नया राज्य बना है, निश्चित रूप से उत्तरांचल राज्य की स्थिति अलग है। मान्यवर, आरक्षण में अनेकों जातियों का प्राविधान होता है। लेकिन जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, जो हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति है, या प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ है उसी के अनुसार सामाजिक स्थिति में आर्थिक आधार पर और उसको दृष्टिगत रखते हुये सरकार आरक्षण की व्यवस्था करे। ये चिन्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जाहिर की, मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूँ । मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि यहां की भौगोलिक स्थिति को, यहाँ की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जातिगत आधार पर ही नहीं बल्कि सामाजिक आधार पर भी आरक्षण देने पर विचार किया जाय और उनको सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के संकल्प पर बल देता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि संविधान प्रदत्त एवं भारत सरकार के मान्य निर्देशों के अनुसार ही आरक्षण को आधार बनाया गया है। यहां भी सरकारी सेवाओं में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुमन्य है। महिलाओं, विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, तथा भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण उपलब्ध है। आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की बात आपने उठाई। मान्यवर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के औचित्य पर प्रदेश के अन्दर और अन्य राज्यों में भी बहस हुई। आरक्षण का मुद्दा उठा था तो उत्तर प्रदेश में हमें भी इसका मौका मिला था, इस पर बातचीत हुई थी कि गरीबी की रेखा से नीचे के जो लोग हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। इसके व्यवहारिक पक्ष पर विधिक दृष्टि से देश के स्तर पर भी अध्ययन हुआ और राज्यों के स्तर पर भी अध्ययन हुआ। 18–1–2001 की राजाज्ञा के आधार पर हमारे यहां आरक्षण की प्रक्रिया लागू है। इसको लागू करने पर इसके क्या परिणाम होंगे और किस–किस प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां पैदा होंगी, इन सब पर विचार किया गया है। इसलिए इसे लागू करना संभव नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि सरकार तो हमसे नाराज है। आप हमारे संरक्षक हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं इस संकल्प को इस शर्त पर वापस ले सकता हूँ कि यदि सरकार यह आश्वासन दे और सरकार ऐसा कर सकती है, हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है। मैं यह चाहता हूँ कि उत्तरांचल के जो बेरोजगार भाई–बहन हैं, सरकार ऐसा नियम बनाये कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जितने भी पद उत्तरांचल में होंगे, वह यहां के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, अगर सरकार इसको स्वीकार करती है तो मैं अपने संकल्प को वापस ले लूंगा अन्यथा मैं इस बात पर बल देता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी और हमारी भावना में कोई अन्तर नहीं है। हम भी चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें। चतुर्थ श्रेणी में तो यहीं के लोग रखे जाते हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, ऐसा नहीं होता है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, विधान सभा के माध्यम से मेरे एक प्रश्न का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला है। बाहर के प्रदेशों से यहां पर नियुक्तियां हुई हैं। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए उन्होंने प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया होगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि उनका डोमिसाइल कहां का है, इसमें जिक्र किया गया है कि उनका डोमिसाइल यहां का नहीं है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उनका रजिस्ट्रेशन यहां के किसी इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में होगा। उन्होंने यहां का कोई पता दिया होगा। मान्यवर डोमिसाइल कहीं का भी हो सकता है। पंजाब तथा हरियाणा के कई लोग उत्तरांचल में 20–25 साल से रह रहे हैं। उनके बच्चों ने नौकरी के लिए यहां का पता दिया हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी में हमारे यहां उन्हीं लोगों की नियुक्तियां की जाती हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन इम्प्लॉयमेंट में होता है। अगर आपके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है तो हमें बता दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। यदि उनका डोमिसाइल फर्जी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनका नाम अगर इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नहीं है, तो हमें बताइये। मान्यवर, आप प्रमाण लाइये, हम परीक्षण करायेंगे यदि कोई तथ्य छुपाये गये होंगे तो हम निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और ऐसे मामलों के लिए प्रशासन को भी सचेत किया जायेगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें विधिक कठिनाई क्या है? तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को रखने में। माननीय मंत्री जी इसका परीक्षण करा लें तो आपको स्वयं पता चल जायेगा, यहां पर लखनऊ के भी बहुत से आदमी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लगे हैं।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, विधिक कठिनाई कोई नहीं है। यह राज्य पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी इस तरह के मामले उठते रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हिमांचल प्रदेश में इस तरह कानून बनाया गया है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, हिमांचल प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं इस संकल्प को वापस ले सकता हूं यदि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह राजाज्ञा जारी कर दें कि ये पद केवल उत्तरांचल के मूल निवासियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कम से कम 10 वर्ष के लिए।

श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मैं तो शिक्षकों से लेकर जितने भी नॉन गजटेड पद हैं उनमें भी यहा के निवासियों को प्राथमिकता दें। हम आप से आगे बढ़कर बात कह रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

ठीक है तब तो आप इसे पास कर दें।

श्रीमती इंदिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपने उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही है। मान्यवर, आर्थिक और सामाजिक दो अलग–अलग बातें हैं। दोनों में अंतर है। अगली बार इस संकल्प को दुबारा ले आइए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, अगली बार आपकी सरकार नहीं होगी। मैं अपने संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

हरिद्वार से करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि की पैड़ी" को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय विषयक संबंधी

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार की पहचान गंगा से है। हरिद्वार में गंगा के नाम से गंगा के तट पर वर्ष में दर्जनों मेले लगते हैं। कुम्भ और अर्द्धकुम्भ मेले के अवसर पर तो देश के कोने–कोने से बिना कोई निमंत्रण दिये लोग आते हैं। मान्यवर, निमंत्रण–पत्र देकर नहीं आते हैं, वे आस्था के कारण आते हैं। मान्यवर, उनकी आस्था गंगा के प्रति है, उनकी आस्था गंगा में स्नान करने की है। मान्यवर, जहां हम राज्य में गंगा और हिमालय की बात करते हैं। मान्यवर, गंगा और हिमालय भारत की पहिचान है। जहां हिमालय प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ तपोभूमि होने के कारण पूज्य रहा है, वहीं हिमालय की महत्ता इसलिये भी है कि उसने पवित्र मां गंगा को उत्पन्न किया। मान्यवर, बड़े साधु महात्मा इसको तपोभूमि के रूप में मानते हैं। मान्यवर, भागीरथ अपने पुरखों का उद्धार करने के लिये गोमुख से इस धारा को धरती पर लेकर आये थे। अतः गंगा को भागीरथी कहा गया। मान्यवर, गंगा केवल हिन्दुओं के लिये ही जीवन दायिनी पवित्र नहीं रही अपितु मुगल बादशाहों के लिये भी यह उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। मान्यवर, सम्राट अकबर अपने दैनिक जीवन में गंगाजल का उपभोग करते थे। मान्यवर, प्रतिदिन सीलबन्द घड़ों में हरिद्वार से गंगाजल आगरा ले जाया जाता था।

मान्यवर, अंग्रेज सरकार ने हरिद्वार में हर की पैड़ी से हटकर जब गंगनहर काटने के लिये गंगा को बांधना चाहा तब इसी नियम की रक्षा करने के लिये पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1914 में इस कुत्सित योजना के विरुद्ध आवाज उठाई और उस समय जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर जेम्स मेस्टन को बाध्य कर भारत के राजा महाराजाओं, साधुओं, पुरोहितों, पण्डों ने विराट आंदोलन कर गंगा की उस प्राकृतिक धारा की अविच्छिन्नता और अखण्डता की रक्षा की। मान्यवर, सर्व प्रथम गंगा जहां हिमालय के शिखर पर उतरती है, वह स्थान गंगा महाद्वार कहलाता है तथा जहां गंगा पर्वतमालाओं से उतर कर समतल मैदान में आती है उस स्थान को गंगाद्वार कहते हैं, इसी को हरिद्वार कहते हैं। मान्यवर, गंगा हरिद्वार में आकर सर्वप्रथम तीर्थ बनी इसलिये तीर्थों में हरिद्वार का महत्व प्रतिपादित किया गया है। मान्यवर, पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई गंगा जब हरिद्वार में आयी तो तब वह देवताओं के लिये भी दुर्लभ श्रेष्ट तीर्थ बन गयी। मान्यवर, कुंभ पर्व के कारण हरिद्वार को कुम्भनगर के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो कुम्भ प्रयाग, उज्जैन, नासिक में भी लगता है लेकिन कुम्भ पर्व की विशिष्टता का केन्द्र हरिद्वार ही है। मान्यवर, कुम्भ मेला भारत वर्ष का एक विराट जन सम्मेलन है। विश्व के किसी भी मेले में इतने व्यक्ति एकत्र नहीं होते, इनकी गंगा के प्रति आस्था है। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की छीना–झपटी में चार स्थानों पर गिरे अमृत से कुम्भ पर्व आयोजित करने की धारणा व्यक्त की जाती रही है। मान्यवर, कुम्भ पर्व पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहले संन्यासियों के सात अखाड़े स्नान करते हैं, इसके बाद आम जनता स्नान करती है। मान्यवर, ये सात अखाड़े हैं:–अटल, महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, आनन्द, आवाहन, पंच अग्नि।

मान्यवर, कुम्भ पर्व पर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर पहले सन्यासियों के सात अखाड़े स्नान करते हैं। इसके बाद आम जनता स्नान करती है। मान्यवर, उस हर की पैड़ी पर जब प्रातःकालीन और सांयकालीन आरती होती है तो हजारों–लाखों लोग देखते हैं, विश्व में ऐसा दृश्य कहीं नहीं मिलता होगा, आपने स्वयं देखा होगा कि जब आरती होती है तो लाखों लोग किस प्रकार से शान्ति के साथ भाग लेते हैं, पुष्प उनके हाथ में होता है और उस श्रद्धा के कारण उनका मस्तिष्क झुक जाता है।

मान्यवर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक पूरा भारत नन्हें से शहर हरिद्वार के कुछ किलोमीटर क्षेत्र में समाया हुआ है, लगभग 7–8 किलोमीटर में फैला है। मान्यवर, भिन्न–भिन्न मौसमों और समय के अनुसार यहां भिन्न प्रदेशों की छटा गंगा को निहारने के लिये अपने पूरे यौवन पर होती है। मान्यवर, दशहरे से दीपावली की गुलाबी सर्दी हरिद्वार को रंगमय बना देती है तो बैसाखी की पीली सरसों यहां पंजाब की मस्ती बिखेर देती है। मान्यवर, सावन में हरिया के रंग बिरंगे घाघरे, चुनरियों और गीतों से भीग जाता है। मान्यवर, श्रावण मेले में लगभग 50 लाख कांवड़िये हरिद्वार में आते हैं और इतने ज्यादा लोगों का नियंत्रण करना मुश्किल होगा लेकिन वे उस गंगा की श्रद्धा के कारण अपने आप को नियंत्रित रखते हैं। श्रद्धाभाव से आते हैं और चले जाते हैं। मान्यवर, कुम्भ मेले को छोड़ दें तो भी दर्जनों मेले ऐसे हैं जहां 3 करोड़ लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन उनके लिये एक रुपया भी गजट नोटिफिकेशन नहीं है। मान्यवर, वहां रहने वाले 2 लाख हैं और करोड़ों लोग जो आते हैं, वे कहीं न कहीं ठहरते हैं। मान्यवर, हरिद्वार में आज भी प्रदूषण की स्थिति बनी है, इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, वह किसी से छिपी नहीं है। मान्यवर, आज भी हरिद्वार में 25 प्रतिशत सीवरेज नहीं है। मान्यवर, इसका पानी गंगा नदी में डाला जा रहा है। मान्यवर, कसाईबाड़ा से गन्दगी और खून उन नालों में डाला जा रहा है। मान्यवर, आज हरिद्वार में हर की पैड़ी प्रदूषित हो रही है। मान्यवर, अभी कुछ दिन पहले वहां माननीय नगर विकास मंत्री जी थे। मान्यवर, वहां कुछ पर्यटकों ने उबलते हुए सीवर के पानी को ही पवित्र पानी समझकर पी लिया। मान्यवर, वहां करोड़ों लोग हरिद्वार में आते हैं। राजा भागीरथ ने भी विचार नहीं किया होगा कि ये लोग कभी गंगा की पवित्रता को भंग करेंगे। मान्यवर, कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ के नाम पर बजट मिलता है इसमें से भी पूरी तरह से खर्च नहीं हो रहा है। मान्यवर, आज दर्जनों नाले हरि की पैड़ी पर आते हैं। मान्यवर, वहां पर सीवरेज की आवश्यकता है, आज 25 प्रतिशत जगहों पर हरिद्वार में सीवरेज नहीं है। संकल्प के नाते इस पर निश्चित रूप से सदन में चर्चा होनी चाहिए, जहां करोड़ों लोग प्रतिवर्ष आते हैं, वहां पर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, जो वृतान्त माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने रखा, वास्तव में उत्तरांचल के द्वार के रूप में हरिद्वार को देखा जाता है। घर के मालिक का पहला कर्तव्य होता है कि अपने द्वार के प्रति उसकी स्वच्छता के प्रति सोचता रहे। मान्यवर, जो वर्णन गंगा के बारे में किया गया, अगर सत्यता है तो चिन्ता का विषय है।

मान्यवर, केवल हरिद्वार गंगा के नाते प्रसिद्ध है ऐसा नहीं है, वहां पर पौराणिक काल से कुम्भ होता है। उस स्थान पर जो व्यवस्थायें सरकार को देनी चाहिए। वहां पर रोज बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक दिन श्रद्धालु इतनी संख्या में आते हैं कि उनके रहने को लेकर वहाँ सारी सुविधा मुहैया करायें और गंगा की पवित्रता को बनायें, जो कौशिक जी ने प्रस्ताव रखा, वास्तव में सरकार उस पर सोचे। इसी के साथ में कौशिक जी के संकल्प पर बल देता हूं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, गंगा नदी के प्रदूषण मुक्त के संबंध में जो माननीय मदन कौशिक जी ने जो संकल्प रखा है मै उस बल देते हुए यह कहना चाहती हूं कि गंगा का तट प्रदूषण मुक्त होना चाहिए। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम तीर्थ स्थल हैं जो गंगा तट पर हैं वहां पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट प्रस्तावित था, मैंने पिछली बार भी इसी सदन में रखा था उस ट्रीटमेंट प्लान्ट का बनना अत्यन्त आवश्यक है। वहाँ पर पूरी तरह से गंदा पानी गंगा नदी मे जा रहा है उससे जो लोगों की गंगा के प्रति श्रद्धा है वह निश्चित रूप से कम हो रही है, किस तरह से गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है। वहाँ पर लोग आते हैं जब पानी को देखते हैं तो उनको बड़ा दुःख होता है। मै सरकार से कहना चाहती हूं कि निश्चित रूप से सरकार को प्राथमिकता से जो गंगा तट है वहा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाने चाहिए। जो गंगा के तट पर स्वर्गाश्रम और लक्ष्मण झूला है, हरिद्वार है, यहा पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट प्राथमिकता पर लगाने चाहिए। इसी के साथ मै इस संकल्प पर बल देती हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह सही है कि लम्बे समय से भारत सरकार की ओर से भी यह प्रयास किया जाता रहा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी इसे पूरी तरह स्वच्छ करने के लिए बाहर से भी विशेष विशेषज्ञों को मंगाया। काफी लम्बे समय तक इस पर कार्य किया गया।

मान्यवर, लम्बे समय तक इस पर कार्य भी किया गया। लेकिन यह सच है कि गंगा के जल को सीवर, कूड़ा, गन्दगी से स्वच्छ करने की व्यवस्था अभी जिस श्रेणी तक होनी चाहिए वह नहीं हो सकी है। इसके बहुत सारे कारण हैं। दुनिया भर में जितने भी विकसित या विकासशील कहे जाने वाले देश हैं उनमें नदियों में कूड़ा फेंकने की इजाजत नहीं है। कूड़ा फेंकने पर दण्डित किया जाता है। ऐसे शहरों में बहते हुए नहरों,नालों आदि में कूड़ा नहीं डाला जा सकता है। लेकिन जहां लाखों, करोड़ों लोग आते हों वहा सबके लिए स्नान, रहने, गाय, गोबर आदि की व्यवस्था करना काफी कठिन कार्य है।

मान्यवर, जो रिपोर्ट आई है रिवर गंगा के सेन्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की उसमें दिया गया है कि हर की पैड़ी के अपस्ट्रीम मे भोपतवाला क्षेत्र में वर्ष 1986 से सप्त सरोवर नाला टैप कर पम्पिंग स्टेशन निर्मित कर गंगा में हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित किया गया था। तदोपरान्त भीमगोड़ा नाले के दूषित जल को टैप कर वर्ष 1992 में पंपिंग स्टेशन का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार पूर्व में सप्त सरोवर एवं भीमगोड़ा नाले से क्रमशः 0.08 एम0एल0डी0 एवं 0.03 एम0एल0डी0 प्रदूषित जल को गंगा में प्रवाहित

होने से नियंत्रित किया गया था। वर्ष 2004 में अर्द्धकुम्भ मेला के अन्तर्गत हर की पैड़ी के अपस्ट्रीम में करोली नाला, रेलवे नाला एवं कर्णवाल नालों को टेप कर इन नालों से गंगा में हो रहे प्रदूषण एवं इस क्षेत्र में बनी धर्मशालाओं, आवासीय भवनों के सीवेज को गंगा में प्रवाहित होने से नियंत्रित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 620 मीटर सीवर लाईन, 330 मीटर राईजिंग मेन एवं एक पम्पिंग स्टेशन निर्मित कर 0.72 एम0एल0डी0 दूषित जल को गंगा में प्रवाहित होने से नियंत्रित किया गया है। प्लेटफार्म पर कूड़ा करकट तथा गाय के मल, मूत्र आदि की सफाई तथा शवों के प्रवाह की रोकथाम नगर निगम, हरिद्वार तथा हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। बिना जले अथवा अधजले शवों, दीये एवं अन्य सामग्री को गंगा जल में प्रवाहित करने पर संयम रखने हेतु जनता में जन जागरूकता ला करके रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हरिद्वार के डाउनस्ट्रीम में प्रतिमाह गंगा नदी के जल के नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। बोर्ड द्वारा माह अक्टूबर, नवंबर तथा दिसम्बर, 2004 में एकत्रित एवं विश्लेषित जल नमूनों के परिणामों के अनुसार हर की पैड़ी पर गंगा जल की गुणवत्ता आंशिक रूप से प्रभावित है तथापि यहां का जल भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुसार स्नान योग्य है। इसके अतिरिक्त भोपतवाला क्षेत्र में गंगा के जल को प्रदूषित कर रहे लोकनाथ नाले को टेप किये जाने एवं पृथक सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जाने की योजना विशेष सहायता के अन्तर्गत योजना आयोग भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गयी है। इस योजना के निर्मित होने के उपरान्त 2.32 एम0एल0डी0 प्रदूषित जल को गंगा में प्रवाहित होने से नियंत्रित किया जा सकेगा। मान्यवर, जो संकल्प लाया गया है वह महत्वपूर्ण है। अभी हम देश या राज्य में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हमारी नदियां पूर्णतया शुद्ध हो गयी हैं। आज भी लोग कूड़ा, करकट नदियों के किनारे ही डालते हैं। इसमें चिन्तन करने और सर्वव्यापी नियम और कानून भी लाने होंगे। कूड़ा, करकट को रोकने के प्रयास करने होंगे । हम आज यह नहीं कह सकते कि कोई भी नदी जिसको हम आस्था का केन्द्र मानते हो उसे पूरी तरह से शुद्ध कर दिया गया है। हमें सीवेज, कूड़ा, गन्दगी को उससे दूर करना होगा। कूड़ा न फेंकने के बारे में निश्चित रूप से गम्भीर विचार करना होगा। हर की पैड़ी गंगा तट पर गंगा जल को प्रदूषित न होने देने का यथा सम्भव प्रयास किया जा रहा है। 1986 से लगातार ये प्रयास किये जा रहे हैं। अभी भी उसको पेयजल की स्थिति से जो शुद्ध होना चाहिए वह नहीं है सीवर लाइन वहां से हटा दी जाय, यह प्रयास होगा, और आगे अपने को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए नदी–नालों को शुद्ध करना ही होगा और हमें इसके लिए प्रयास भी करना होगा। गंगा हमारी पवित्र नदी है, यह बिल्कुल शुद्ध हो सके इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा यह भी नहीं है कि लोग नहीं नहाते हैं, इसलिए प्रदूषण नहीं है और मेरी जानकारी है और मंत्री जी ने भी चिन्ता जताई तो 30–35 लाख रुपया हमारे पास कुम्भ का बचा हुआ है। तो वहां की जो सीवरेज की स्थिति है उसे सही करा दें क्योंकि यहां पर सीधे सीवरेज गिरता है, मैं माननीय मंत्री जी

से कहना चाहूंगा, नगर विकास मंत्री जी भी यहां पर हैं तो पैसा भी हमारे पास है ही, कहीं से लेने की बात भी नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि सीवरेज की व्यवस्था ठीक करा दें तो उचित होगा।

पर्यावरण मंत्री (श्री नवप्रभात)–

मान्यवर, जो बचा हुआ सीवरेज का कार्य है, उसका भी प्रोजेक्ट बना हुआ है और जैसा कौशिक जी ने कहा कि पैसा बचा होने की बात कही है तो वह भी किसी हद तक ठीक है और हमारा भी प्रयास है कि उसे शीघ्र शुरु करें। मान्यवर, यह तो व्यवस्था है इस बारे में चूंकि यह महत्वपूर्ण है इसके लिए हमनें एशियन डेवलपमेंट बैंक से पास कराया है, जो हमारे नये शहर और बस्तियां बन रहीं हैं, उनके लिए भी इसमें व्यवस्था और जहां तक वित्त की बात है, मेरा अनुमान है कि यह हमें 2006 से मिलना प्रारम्भ होगा। तो उस समय सब जगह कार्य करा लिया जायेगा। लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम का भी प्रोजेक्ट गया हुआ है।

मान्यवर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर औद्योगिक प्रदूषण नहीं है जो बाह्य प्रदूषण है, जो सीधे नदी में आ जाता है और जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा मां गंगा की स्वच्छता बनाये रखना जरूरी है और जिन माननीय सदस्य ने यह संकल्प दिया वे तो वहीं से आये हैं, वहीं के निवासी हैं। और यह प्रदूषण, जो कि आन स्पाट प्रदूषण है, उसके बारे में मैं स्वयं जानकारी कर रहा था, बाद में यह जिम्मेदारी भाई कौशिक जी ने ले ली। गंगा की पूजा किस प्रकार से होनी चाहिए और कौन–कौन सी चीजें उनको अर्पित करनी चाहिएं और कौन सी चीजें अर्पित करने के लिए वर्जित हैं, यह सब पुराणों में लिखा है और किसी ने यह जानकारी मुझे दी थी लेकिन दुर्भाग्य से वह सूचना मेरे पास नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य तो वहां रहते हैं और वे इससे परिचित भी होंगे तो यह जो आन द स्पाट प्रदूषण है, इसको रोकने के लिए स्थानीय इच्छा शक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, जब अर्द्ध कुम्भ प्रारम्भ हुआ था तो मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ था तो मैंने देखा कि हर की पैड़ी से 150 मीटर की दूरी पर मा0 सदस्य को याद होगा कि कई घरों का सीवर सीधे गंगा जी में जा रहा था तो मैंने उसे चुनौती के रूप में मात्र 15 दिनों के अन्दर व्यवस्था कराई तो अब यह संकल्प आया तो मैंने सोचा कि माननीय सदस्य उसका भी जिक्र करेंगे। तो मान्यवर, हमने इस कार्य में अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नदियों में सिर्फ गंगा को ही माता माना गया है, यह इसलिए माना गया है क्योंकि उसमें गंगत्व है और यह गंगत्व मात्र हरिद्वार में ही है, ऐसा नहीं है, यह गोमुख से लेकर गंगोत्री तक है और इसी गंगत्व के कारण उसे माता कहा गया, इसका मूल गोमुख में है।

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि गंगा हरिद्वार में आकर ही प्रदूषित होती है, उसका प्रदूषण ऊपर से होता आ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या उसको रोकने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है? मान्यवर, दूसरी बात,

इकोलॉजिकल बैलेन्स की है, नदियों में तरह–तरह के जीव–जन्तु पाये जाते हैं। नदियों की पवित्रता बनाये रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मछलियां भी निभाती हैं, तो क्या इन मछलियों को संरक्षित करने के लिए सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक का जिक्र किया। इसके माध्यम से हम योजना बना रहे हैं। मान्यवर, प्रत्येक नदी और उसके किनारे जो बस्तियां हैं, मैं केवल शहरों तथा नगर पालिकाओं की बात नहीं कर रहा, इनके किनारे जो भी बस्तियां हैं, क्योंकि देहरादून शहर का भी एक भाग गंगा को प्रदूषित करता है और दूसरा भाग यमुना नदी को प्रदूषित करता है। इस सबको देखकर ही योजना बनायी गयी है। जहाँ तक मछलियों के संरक्षण की बात है। मान्यवर, मछलियां गंगा का आकर्षण भी है। मैं माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी दो माह पूर्व ही माननीय सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में 75–80 पौण्ड की दो मछलियां आयीं थी, आदमी के आकार की। मैंने प्रयास किया कि उनको वहीं पर संरक्षित किया जा सके। मान्यवर, महाशीर संरक्षण की योजना हमारी प्रमुखता में है। कोसी और रामगंगा नदी में हमने इसके लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। इसमें हमने स्थानीय लोगों की सहभागिता भी ली है। मान्यवर, इसको सभी नदियों पर हमारी जो स्थानीय प्रजाति की मछलियां हैं, उन पर लागू करने का हमारा प्रयास है। मछलियां ही नदियों को पवित्र बनाने का माध्यम बन सकती हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो पैसा बचा हुआ है, क्या उससे जो सीवर बचे हैं, उनको बनाया जाएगा, जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि बचे हुए पैसे का कमिटमेंट न लीजिए। उस काम को हम पूरा करवाएंगे, उसके लिए पैसा चाहे कहीं से भी आए।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मेरे संज्ञान में एक महत्वपूर्ण बात आयी है, जैसा कि इस संकल्प में लिखा गया है कि गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय, चूंकि इस विषय पर चर्चा हो रही है और पूरे प्रदेश का मामला है, मान्यवर, मेरे संज्ञान में आया है, पता नहीं आपके संज्ञान में है या नहीं, इसका स्पष्टीकरण भी सदन में आ जाएगा। मान्यवर, नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा स्टोन क्रेशरों को बन्द करने का आदेश दिया गया था। बहुत बड़े स्कैण्डल के अन्तर्गत कई स्टोन क्रेशर फिर से चालू हो गए है। क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में यह है, यदि है तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी है?

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, क्रेशर प्रकरण मेरी जानकारी में आया था। स्टोन क्रेशर को अनुमति दिये जाने के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अन्तर्गत ही इनको लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के आधार पर काम करें। जो क्रेशर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के आधार पर काम कर रहे हैं, उसके निर्धारित मानकों के अनुकूल हैं, उनको ही काम करने देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जो उच्च न्यायालय, नैनीताल का निर्णय है उसके अनुसार यह "कन्टैन्ट" है या नहीं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कन्टैक्ट का विषय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र हर की पैड़ी गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण मुक्त रखा जाए।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ)

जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगर पालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने विषयक संकल्प

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी 14 जून, 2002 को जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका बनाने हेतु संकल्प प्रस्तुत किया था और आपने उसमें बाद में चर्चा जारी रखने के निर्देश दिये थे।

मान्यवर, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र बनाने के लिये मैंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है लेकिन मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि रानीखेत के लोग आज भी गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। जहां–जहां भी छावनी परिषद् होती है, कमोबेश वहां की यही स्थिति होती है। वैसे तो मिलिट्री हमारे देश की रक्षक है और हम सभी सैनिकों का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें हम सभी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जहां छावनी परिषद् होती है वहां सेना के अधिकारी सिविल नागरिकों को द्वितीय श्रेणी की दृष्टि से देखते हैं। कई बार तो वहां इस प्रकार की घटनाएं भी हुईं कि जहां ऐसा लगा कि मिलिट्री दुश्मनी की भावना से कार्य कर रही है। मान्यवर, रानीखेत में एक सरस्वती शिशु मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा था तो वहां के अधिशासी अधिकारी द्वारा सेना बुलाकर पूरे क्षेत्र में मोर्चा बांध दिया और पूरे इलाके का घेराव कर लिया लोगों में इतनी दहशत फैला दी कि लोग भयाक्रांत हो गये और बाद में

शिशु मन्दिर की इमारत भी गिरा दी। इसी प्रकार से एक बार उनका पुलिस से भी झगड़ा हो गया। एक बार उत्तर प्रदेश के पूर्व जनप्रतिनिधि रहे माननीय सदस्य की इतनी पिटाई कर दी कि बाद में तत्कालीन केन्द्रीय रक्षा मंत्री को दखल देना पड़ा। मान्यवर, वहां के नागरिक आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिकों का जीवन जी रहे हैं वहां के नागरिक यदि माल रोड जाते हैं तो उनसे वसूली की जाती है। बार–बार चैकिंग की जाती है। ऐसा पहले नहीं था। मान्यवर, वहां नये–नये मिलिट्री के अधिकारी आते रहते हैं वे अपने–अपने हिसाब से कानून बनाते हैं।

मान्यवर, एक बार एक हार्ट स्पेशलिस्ट बाहर से अपनी पत्नी को लेकर गोल्फ ग्राउंड देखने आए थे, क्योंकि वह एशिया का दूसरे नम्बर का गोल्फ ग्राउण्ड माना जाता है इत्तफाक से उस समय सेना के अधिकारी का गोल्फ खेलने का समय था। जैसे ही डाक्टर ने अपनी गाड़ी रोक कर गोल्फ ग्राउण्ड की सुन्दरता देखनी चाही, सेना के अधिकारी ने उनसे कुछ पूछे बिना उनकी और उनकी पत्नी की पिटाई कर दी। बाद में उन्होंने इस सम्बन्ध में मानवाधिकार आयोग को लिखा और राष्ट्रपति महोदय को भी लिखा तथा न्यायालय में इस कृत्य के खिलाफ वाद दायर किया। मान्यवर, इसी सम्बन्ध में मैंने कई बार सरकार को बताया कि यहां पर नगरपालिका जरूर होनी चाहिए और यहां के नागरिकों की मांग रही है, यहां के नागरिक कई बार आंदोलन कर चुके हैं। मान्यवर, इसमें रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सम्बन्धित प्रदेश यदि राजी हो जाता है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मान्यवर, 18 फरवरी, 2004 को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने एक डेलीगेशन के माध्यम से पत्र दिया और उसी दिन रानीखेत का एक डेलीगेशन राज्य सभा सांसद माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में मिला, जबकि यह डेलीगेशन मेरे साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने वाला था। इसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आपका डेलीगेशन सुबह मिल चुका है। मान्यवर, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा जो उनके पत्र में लिखा है, वही मेरे पत्र में भी लिखने का कष्ट करें, जिससे कि कोई विवाद न हो। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने नगर विकास सचिव जी को लिखा, जो मुख्यमंत्री जी ने लिखा है, उसका उल्लेख मैं नहीं करूंगा।

मान्यवर, हमने निवेदन किया था कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले प्रस्ताव पास करके केन्द्र सरकार को भेजा जावे क्योंकि इस समय लोक सभा के चुनाव होने वाले थे, लेकिन जब प्रस्ताव नहीं गया तो मैंने एक प्रश्न विधान सभा में लगाया। मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र मंगलवार को तारांकित प्रश्न संख्या 33 के रूप में प्रश्न लगाया उसमें माननीय नगर विकास मंत्री जी ने उत्तर दिया। मान्यवर, मैंने इस प्रश्न से पूछा कि दिनांक 18 फरवरी, 2004 के मेरे पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ? माननीय नगर विकास मंत्री जी ने उत्तर दिया कि नगर पालिका बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार से उसकी सैद्धांतिक सहमति प्राप्त किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र का जवाब आने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी''। मान्यवर, इसके बाद मैंने माननीय सांसदों श्री बच्ची सिंह रावत एव श्री हरीश सिंह रावत जी को पत्र भेजा। मान्यवर, मैंने माननीय हरीश सिंह रावत जी से कहा कि एक ही दिन आपका और मेरा डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। आपके कार्यकर्ताओं ने रानीखेत में नगर पालिका बनने की मिठाई बांट ली थी, आप इसमें कुछ करिये। माननीय हरीश रावत जी ने राज्य सभा में एक प्रश्न किया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य इस सदन में न हो, उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नियम है, जिसका उल्लेख किया गया है, वे राज्यसभा सांसद हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इसका मुझे पता है। मैं यह बात बेड सेंस में नहीं कर रहा हूं।

मान्यवर, ठीक है। एक सांसद बोलूँ या एक व्यक्ति जैसा आप चाहेंगी, वैसा ही कहूंगा। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यहां पर मिठाई का जिक्र आया, इसका जवाब हम कैसे देंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हम प्रमाण–पत्र दे देंगे।......

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने जो प्रश्न लगाया, उसके उत्तर में आया है कि..........।

श्री अध्यक्ष–

इसका उल्लेख न करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, उत्तर का भी उल्लेख न.........।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर भेजा था, उसकी जानकारी दे सकते हैं, पर राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ या नहीं, कार्यवाही का अंग बना या नहीं, पता नहीं। संसद की कार्यवाही कोड हो सकती है, वह तो प्रिंटेड है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ कि यह मेरी जिम्मेदारी है। तो जो प्रश्न लगाया उसका उत्तर आया कि.......।

श्री अध्यक्ष–

आप दूसरे सदन का उल्लेख न करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अच्छा मैं कहता हूं कि केन्द्र सरकार ने यह कहा है कि उत्तरांचल की सरकार से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ तथा संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के अनुसार स्थानीय निकायों की स्थापना राज्य सरकार का विषय है। रक्षा मंत्रालय को रानीखेत में नगर निकाय की स्थापना में कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, यहां से पत्र गया और वहां सरकार कहती है कि हम को आज तक नहीं मिला, तो अजीब सी बात है कि पत्र गया या नहीं गया तो पत्र कहां रुक गया है, रुड़की से आगे बढ़ा है या नहीं।

***स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–**

मान्यवर, दूसरे मा0 सांसद जी का पत्र कहां है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वह भी बता दूंगा। मान्यवर, जो वर्तमान सांसद हैं ये पूर्व में भी थे तो उन्होंने भी एक प्रश्न लगाया था वह अतारांकित प्रश्न संख्या 5/16 3 मार्च, 1999 को लगाया था उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि छावनी एक्ट 1924 की धारा 4 में निहित उपबन्धों के अनुसार छावनी का कोई हिस्सा सम्बंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करने के बाद ही छावनी क्षेत्र से अपवर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार यह मामला रक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 1988 में उठाया गया था, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक उ0प्र0 सरकार की राय प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस मामले में अन्तिम निर्णय राज्य सरकार के उत्तर पर निर्गत की जाय। इस प्रकार नगरपालिका बनाने का पूरा का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार का विषय है और केन्द्र सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है वह निष्पति प्रमाण–पत्र देता है, सिर्फ वह इतना कह सकता है कि अमुक क्षेत्र को लेने में उसकी कीमत दे दें, इसके लिए कहना चाहता हूं कि रानीखेत और अल्मोड़ा के सिटोली में सेना के पास हमारी सरकार की बहुत ज्यादा जमीन है, यदि रक्षा मंत्रालय कीमत मांगता है तो इस जमीन का आदान–प्रदान कर सकते हैं। उसमें मात्र जमीन का ट्रांसफर कर धन की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। मान्यवर, अम्बाला कैंट को भी नगरपालिका क्षेत्र बना दिया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि दो चीजें हैं। सरकार की मंशा साफ है सरकार चाहती है कि नगरपालिका बने क्योंकि प्रश्न में आपने एडमिट किया है। मान्यवर, यह भी नहीं है कि इस प्रस्ताव के पक्ष में हां कहने पर सरकार गिर जायेगी। यह एक ऐसा कदम है जो वहां की जनता पूरी तरह सदन को दुआ देगी। मैं मन से सदन से निवेदन करना चाहता हूँ, खुले दिल से सोचा जाये कैसी स्थितियां होंगी, वहां अगर कोई बाहर निकलता है तो उसे कदम–कदम पर सेना द्वारा रोका जाता है, यहां तो सदन में भी बोलने में भी डर लगता है। मान्यवर, एक कहावत है कि रानीखेत में यह बात प्रचलित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है अगर हमारी सेना की गाड़ी आ रही हो तो अपनी गाड़ी किनारे कर लोग पेड़ में चढ़ जाते थे, एक बार सेना की गाड़ी ने खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी तो उनसे पूछा गया क्यों टक्कर मारी तो उसने कहा कि मैं अकेला हूं ब्रेक को संभालू या स्टेयरिंग को देखूं या कलच को दबाऊं, मुझे माफ कर दो। मान्यवर, यह विचारणीय प्रश्न है इसे तहे दिल से इसमें पहले भी कोई विवाद नही था। इस संकल्प को केन्द्र सरकार को भेज दिया जाए, इसका श्रेय सरकार को ही जायेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस प्रकरण में हमारी विधायी सीमा है, माननीय सदस्य भी इससे अवगत हैं। मान्यवर, नगरपालिका अधिनियम–2 की धारा–3 में यह स्पष्ट प्राविधानित है कि किसी छावनी क्षेत्र को खुद घोषित नहीं कर सकते। हमने इसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जो कोई छावनी हो अथवा किसी छावनी का भाग हो, इस धारा के अधीन संक्रमणी क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जायेगा और न उसमें सम्मिलित किया जायेगा। मान्यवर, 16 दिसम्बर, 2003 को हमने राज्य सभा के प्रश्न का जवाब दिया था उसमें हमसे पूछा गया था कि क्या आपको कोई रिप्रिजेन्टेशन मिला है, हमने कहा था हां। उसमें पूछा गया था कि यह एक्टीवकन्सीडरेशन में है हमने कहा कि द प्रपोजल इज अन्डर एक्टीव कन्सीडरेशन ऑफ स्टेट गवर्मेंट। द प्रपोजल इज बीइंग सेंट टु द सेन्टर गवर्मेंट। यह जवाब दिया गया 16 दिसम्बर, 2003 को। मैं सिर्फ यह जानकारी दे रहा हूं, जो कार्यवाही राज्य के स्तर पर हुई। उसके बाद मैंने जवाब दिया 17–7–2004 को इसमें अतारांकित प्रश्न संख्या 33 का उत्तर पढ़ा, वह मैं सदन की जानकारी में लाया। उसके बाद हमने इसमें लगातार पत्र लिखे हैं कि वहां से हमको जवाब मिल जाये, इस बीच में कुछ जानकारी हमें जिला स्तर पर भी मिली। एक हमें 23 जून, 1998 को उल्लेख जिलाधिकारी, अल्मोड़ा का पत्र हमारी पत्रावली में मिला। जिसमें उन्होंने यह अवगत कराया है कि रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 4 मई, 1998 द्वारा छावनी पालिका रानीखेत के अन्तर्गत इस इलाके को नगरीय क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इस पत्र में डी0एम0 अल्मोड़ा की यह रिपोर्ट शासन को भेजी। इस पत्र के बारे में हमने फिर खोजबीन कराई अब जिलाधिकारी अल्मोड़ा से हमने कहा कि अब यह पत्र मिल गया है तो हमें भेज दें उसके बाद हमारा कार्य आसान हो जाता।

मान्यवर, मैं बहुत स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि पत्रावली ट्रेस नहीं हो पा रही है। भारत सरकार का पत्र जिलाधिकारी के कार्यालय में भी नहीं है। अध्यक्ष व्यापार मण्डल, रानीखेत की एक टिप्पणी है उसमें इस पत्र का जिक्र किया गया है कि इस तरह का कोई पत्र केन्द्र सरकार का प्राप्त हुआ था। मान्यवर, वह पत्र अगर ट्रेस हो जाता तो समस्या का अविलम्ब हल हो जाता। हमने इस तरह के क्षेत्रों के अध्ययन के लिए एक समिति बना रखी है। केन्द्र सरकार की अनुमति का कोई पत्र तो हमारे पास होना ही चाहिए। हमने वहां जवाब भेजा था। हम इसके लिए तैयार हैं। सिर्फ थोड़ी मेहनत हमें रक्षा मंत्रालय में करनी पड़ेगी। यह प्रकरण काफी पुराना हो गया है। बहुत स्तरों से प्रयास किये गये हैं। यह चीज अगर ट्रेस हो जाये तो बहुत सुविधा होगी। यह

पता चल जाय कि 23.5.98 का जो पत्र है यह क्या है? तो इसमें कार्य किया जा सकता है। इसलिए इस संकल्प को जिससे केन्द्र का कोई विभाग भारित हो रहा हो उसे पास करने में थोड़ी असुविधा हो रही है। इससे माननीय सदस्य भी सहमत होंगे। हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, क्योंकि यह विषय उत्तरांचल का है और वहां से केवल अनापत्ति आनी है तो सदन से प्रस्ताव भेजने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न का जवाब हम भेज चुके हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहाँ के लोग (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आवश्यकता ही नहीं है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, इस प्रस्ताव से न सरकार गिरने वाली है न हिलने वाली है। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अध्यक्ष व्यापार मण्डल बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैंने तो सांसद की बात कही है। वह तो और भी जिम्मेदार होता है। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम प्रयास कर रहे हैं कि 1998 का पत्र क्या था। आज भी मेरी जिलाधिकारी से बात हुई है। (व्यवधान) अगर यह पत्र ट्रेस हो जाये तो सुविधा होगी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अगर एक लाइन का प्रस्ताव यहाँ से चला जायेगा तो इससे कोई तूफान आने वाला नहीं है। एक मैसेज चला जायेगा कि सरकार इतनी संवेदनशील है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जिस पत्र में (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो बहुत बड़ा पचड़ा लग रहा है। मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आज इसका प्रस्ताव चला जाये तो एक इतिहास बन जायेगा। उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी कई बार संकल्प पास हुए हैं। मान्यवर, केवल एक लाईन का प्रस्ताव जाना है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो काम हम पहले ही कर चुके हैं....(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, विधान सभा से इसका प्रस्ताव जाना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम पत्र भेज चुके हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपका पत्र तो वहाँ पर ट्रेस आउट ही नहीं हो रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वह होगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, वहाँ के लोगों की हितों को देखते हुये सरकार इस संकल्प को पारित करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर पुनः बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगरपालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की चार पट्टियों बिचलाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्लाढांगू तथा मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकासखण्ड जाखणीखाल बनाये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरे द्वारा प्रस्तुत दिनांक 14 जून, 2002 को संकल्प कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों को मिलाकर एक नया विकास खण्ड बनाया जाय। मान्यवर, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर पूरा का पूरा विषम भौगोलिक स्थितियों वाला क्षेत्र है। पूरा क्षेत्र विकास से अछूता है, लेकिन मान्यवर, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ यह क्षेत्र विषम से विषम भौगोलिक स्थितियों के कारण और सरकार की अनदेखी के कारण अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है। वहां की विषम स्थिति उबड़–खाबड़ और चट्टानी भू–भाग वाली है। इस क्षेत्र की यह स्थिति बहुत खराब है। मान्यवर, यह क्षेत्र जो ढांगू के नाम से जाना जाता है। इसमें ढांगू क्षेत्र का पूरा इलाका और वहां की 3 पट्टियां, मल्ला ढांगू, बिचला ढांगू और तल्ला ढांगू तथा इसी से लगा हुआ क्षेत्र मल्ला उदयपुर को मिलाकर जो कि 4 पट्टियां हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं, न यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, दूरसंचार के क्षेत्र में हो और जो भी मूलभूत आवश्यकतायें, यहां पर होनी चाहिए, उनसे यह पूरा क्षेत्र वंचित है। मान्यवर, वहां के लोग जो विकास खंडों के द्वारा जनपदों के द्वारा विकास योजनायें संचालित की जाती हैं, उनसे पूर्णतया वंचित हैं और अछूते रहते हैं। इनको मीलों दूर पैदल चलकर और उसके बाद 30–40 किलोमीटर मोटर से चलने के बाद यह लोग विकास खंड तक पहुंच पाते हैं।

मान्यवर, जब विकास की अवधारणा को लेकर विकास खंडों का निर्माण हुआ था तो पौड़ी जनपद में भी एक दो विकास खंड बने थे। मान्यवर, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ढांगू नाम से जिस विकास खंड की स्थापना हुई थी उस ढांगू ब्लाक का मुख्यालय ढांगू में न होकर वहां से काफी दूर बना दिया गया।

मान्यवर, इसका मुख्यालय ढांगू की तीन पट्टियों में न होकर द्वारीखाल नामक स्थान पर बनाया गया, जिसके कारण आज भी यह क्षेत्र विकास योजनाओं से वंचित रहते हुए सामाजिक और आर्थिक विपन्नता झेल रहा है। मान्यवर, जब उत्तरांचल जैसे छोटे राज्य के गठन की कल्पना की गयी थी तो उसकी अवधारणा में यह था कि यदि छोटे राज्य बनेंगे तो विकास होगा। उसी अवधारणा पर चलते हुए छोटे विकास खण्डों का बनाया जाना भी नितान्त आवश्यक है। मान्यवर, यह जो सम्पूर्ण क्षेत्र है, जिसकी मैं बात कर रही हूं। इसका विस्तार एक तरफ नयारघाटी से गंगा घाटी के लक्ष्मण झूला तक है तथा दूसरी तरफ हीवल घाटी से भैरव घाटी तक इसका विस्तार है। इतना विस्तृत क्षेत्र होने के कारण यहां का विकास अलग विकास खण्ड बनाये बिना संभव नही है। क्योंकि विकास खण्ड में रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, यातायात की सुविधा न होने के कारण, दूर संचार की सुविधा न होने के कारण यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहां के विकास के लिए जो कार्य होते हैं, वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। और दिखाया यह जाता है कि इस क्षेत्र का विकास

हो रहा है। लेकिन वहाँ की सच्चाई अपने आप दिखाई देती है। आज भी यहां के लोग आर्थिक विपन्नता झेल रहे हैं और आज से 50–52 साल पहले इनकी जो स्थिति थी, आज भी ये उसी स्थिति में रह रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि विकास खण्ड बनाना केन्द्र की जिम्मेदारी होती है, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन जब विकास खण्ड बनाने के लिए आप यहाँ से प्रस्ताव पास करके भेजते हैं तभी इनका निर्माण किया जाता है। मान्यवर, पौडी जनपद में आज 15 विकास खण्ड हैं लेकिन अपनी भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनका क्षेत्र काफी लम्बे चौड़े भाग में विद्यमान है। जिसके कारण वहां के लोग आर्थिक और सामाजिक विकास में बहुत पिछड़ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्षेत्रों का विकास करने के लिए छोटे–छोटे विकास खण्डों को बनाया जाना नितान्त आवश्यक है। यह क्षेत्र जहां की मैं बात कर रही हूं, वहां के जो विकास खण्ड हैं, जो जिला पंचायतें हैं, उनमें भी तथा पूर्व की सरकारों के पास भी इसके लिए संकल्प प्रस्तुत हुए, ये संकल्प छोटी इकाइयों से पास हुए हैं। वहां के जो जन प्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं और जो वहां के लोग हैं, उन्होंने इसके लिए कई आन्दोलन भी किए हैं। और मांग की है कि इस क्षेत्र को अलग विकास खण्ड बनाया जाय। तभी इसका विकास हो सकता है।

मैं अपने संकल्प के माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर वह इन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है तो इन विकास खण्डों का निर्माण अवश्य होना चाहिए। यदि आपकी सरकार की यह अवधारणा है कि उत्तरांचल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास किया जाय तो इस विकास खण्ड को अवश्य बनाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार इसका प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजे और इस नये विकास खण्ड को बनाये जाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। क्योंकि अगर हम विकास करना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में सुविधाएं देनी चाहिए और सुविधाएं तभी दी जा सकती हैं जब यहां पर विकास खण्ड निश्चित प्रोग्राम के अन्तर्गत बनाये जाते रहेंगे। विकास की एक लाईन सुनिश्चित करनी होगी। अगर इन चार पट्टियों को मिलाकर अलग विकास खण्ड बना दिया जाएगा तो यहां का विकास निश्चित रूप से हो सकता है। मान्यवर, यहां के लोग आर्थिक सामाजिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं उन्हें रोजगार के अवसर मिलने चाहिएं। आज वहां से भारी मात्रा में जनता का पलायन हो रहा है। यदि उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिले तो वहां से लोगों का पलायन रुकेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि विधान सभा यमकेश्वर, जनपद पौडी गढ़वाल के चार पट्टियों बिचलाढांगू, मल्लाढांगू, तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर को मिलाकर एक अलग विकास खण्ड बनाया जाए जिससे वहां के क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं सरकार से पुनः निवेदन करती हूं और संकल्प पर बल देती हूँ कि इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार को भेजें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, योजना आयोग द्वारा विकास खण्डों के सृजन के लिए कोई आर्थिक सहायता न दिये जाने के कारण फिलहाल नये विकास खण्डों का बनाया जाना सम्भव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर, जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, शेष संकल्प भी 2003 से लम्बित पड़े हैं मैं चाह रहा हूं कि इन पर भी माननीय सदस्य अपनी बात को रख लें। मैं माननीय सदस्यों को मात्र 5–5 मिनट का समय दे रहा हूं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आप इस पर समयावधि निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह परम्परा गलत पड़ जायेगी।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

नहीं–नहीं। आपसी सहमति की बात है। यह आपसी सहमति से होगा; समय निर्धारित करने की परम्परा नहीं डाली जा रही है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना के सम्बन्ध में संकल्प

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र है यहा की महिलाओं के रोजगार की चिंता हम सबको है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई महाविद्यालय नहीं है हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट करने के बाद बालिकाओं के लिए, कोई शिक्षण संस्था नहीं है।

मान्यवर, बालक तो दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन बालिकाओं के लिए इंटर और हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के बाद कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं, जिसके कारण मेरे क्षेत्र की बालिकाएं हायर एजूकेशन से वंचित रह जाती हैं। महिलाएं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में काफी पिछड़ गयी हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र की जनता बार–बार निवेदन करती आयी है। इस क्षेत्र में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय। यहां पर महिलाएं अधिक हैं और प्रतिभाशाली भी हैं। शिक्षा की कमी के कारण उनकी प्रतिभा विलुप्त होती जा रही है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सरकार को पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलिटेक्निक खोलने पर विचार करना चाहिए, जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों का पलायन रूके।

मान्यवर, जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनके नजदीक ही प्रशिक्षण की सुविधा मुहैया करानी चाहिए। मान्यवर, अधिकतर प्रशिक्षण संस्थाएं मैदान में हैं, दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत धन खर्च करना पड़ता है धनाभाव के कारण कई बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, बालक तो दूरदराज के क्षेत्रों में जाकर, तथा कई बच्चे एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु बालिकाएं सुरक्षा एवं तमाम अन्य कारणों से इस शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। अतः मान्यवर, मैं चाहती हूं कि एक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में पांच–पांच विद्यालय खोले जाय और प्रत्येक जिले में एक महिला पॉलिटेक्निक स्कूल खोला जाय। इसमें ऐसे विषय रखे जायं जो हमारी भौगोलिक स्थिति के अनुसार हों। मान्यवर, यदि सरकार महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देगी तो निश्चित रूप से उत्तरांचल का समग्र विकास होगा। मान्यवर, मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करती हूं कि यह हमारी छोटी सी मांग है, इसको स्वीकार करें। मान्यवर, मेरे विकास खण्ड द्वारीखाल के सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय।

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीया सदस्या ने पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में एक महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की मांग की है। मान्यवर, माननीय सदस्या जागरूक सदस्यों में से हैं, वे जानती हैं कि एक पॉलिटेक्निक खोलने के लिए सरकार को 9 करोड़ रुपया और 10 एकड़ जमीन चाहिए। मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में 2 पॉलिटेक्निक हैं, तीसरा कोटद्वार में खोला, एक श्रीनगर में है। मान्यवर, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में नहीं है, वहां पहले खोलेंगे। मान्यवर, एक ब्लाक में दो पॉलिटेक्निक खोलना सम्भव नहीं है। आपने महिला पॉलिटेक्निक की बात की तो आप अवगत होंगी कि पॉलिटेक्निक में 20 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए है और दूसरी बात आपने कहा कि बहुत आवश्यकता है कि हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक होना चाहिए तो हर ब्लॉक में पॉलिटेक्निक खोलना सम्भव नहीं है। मान्यवर, जहां लड़कियों की संख्या अधिक है, वहां हॉस्टल की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे गोपेश्वर में तो मैं समझता हूं कि वहां पर कोई आवश्यकता नहीं है महिला पॉलिटेक्निक की। जहां हॉस्टल नहीं हैं वहां खोलने की व्यवस्था करेंगे। निश्चित रूप से यह रोजगारपरक योजना है। पर मान्यवर हर ब्लॉक में खोलना सम्भव नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि संकल्प वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में नहीं है तो क्या खोलेंगे।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हमारी घोषणा है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आप संकल्प वापस ले लें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, यह स्वीकार कर लें, वहां पर महिला पॉलिटेक्निक खुल जायेगा तो विकास की एक किरण पैदा होगी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप साहसी महिला हैं और अपना संकल्प वापस लेती हैं तो एक उदाहरण प्रस्तुत हो जायेगा, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड द्वारीखाल के स्थान सिलोगी या जाखणीखाल में महिला पॉलिटेक्निक की स्थापना की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, यह दो साल पुराना संकल्प है। मान्यवर, जनपद हरिद्वार में 3–4 किलोमीटर के दायरे में एक जगह ऐसी है जहां एक एकड़ भूमि में 20–22 कुन्तल गेहूं पैदा होता है और एक एकड़ ऐसी है जहां 1–2 कुन्तल गेहूं पैदा होता है। मान्यवर, जहां 20–22 कुन्तल पैदा होता है वहां गंगा कैनाल से पानी आता है। मान्यवर, अगर हम ऐसी जगह पर इन्डस्ट्री लगायें तो यह हानि होगी, राष्ट्र की हानि होगी। मान्यवर, जहां फसल की पैदावार कम होती हैं, वहां लगाने में फायदा है। ऐसी जगह पर लगायेंगे जहां 19–20 कुन्तल फसल की हानि हो तो यह देश की हानि है। मान्यवर, कई जगह जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। हमारे मंगलौर के माजिद सा हैं वह जामिया में एच0ओ0डी0 रहे, वह आजकल एफ0ओ0ए0 के साथ काम कर रहे हैं उन्होंने आंकड़े सामने रखे वह राष्ट्र हित में नहीं हैं हम ऐसी जगह से 20 कुन्तल गेहूं खो देते हैं तो यह राष्ट्र की हानि है तो यह सरकार ऐसा काम न करे जिससे राष्ट्र की हानि हो।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तीन मिनट बचे हैं क्योंकि प्रश्न राज्य के औद्योगिक नीति से संबंधित है। मान्यवर, जब हम आंकड़ों पर गौरें या आंकड़े उत्तरांचल सरकार के हैं इसके अनुसार उत्तरांचल की जो पूरी उपलब्ध भूमि है 55,65804 है0 इसमें निष्प्रयोज्य और ऊसर 2,94936 हैक्टे0 है बेकार व निष्प्रयोज्य भूमि 322510 हैक्टे0 है जो खेती से अतिरिक्त भूमि है वह 16678 हैक्टे0 जो वन भूमि जाती है 483859 हैक्टे0 है जिस भूमि में खेती करते हैं वह 5565804 हैक्टे0 है। मान्यवर, यह आंकड़े यह दर्शाते हैं कि हमारे पास व्यापक मात्रा में उपयोग विहीन और निष्प्रयोज्य भूमि है। जैसा कि इस सत्र में बात आई थी कि देहरादून में बेशकीमती भूमि जिसमें बासमती की खेती की जाती थी उस भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया। पंतनगर में बेशकीमती भूमि है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में भी ऐसे भूमि का अधिग्रहण किया गया था जो खेती बाड़ी के लिए उपयोग होती थी ऐसे भूमि का एयर मार्ग भी नहीं किया गया जिसमें न वन है न खेती है। इसके लिए सरकार कोई नीति लेकर आये इससे पूरे उत्तरांचल के सभी जनपदों को लाभ मिलेगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, काजी निजामुद्दीन जी ने जो संकल्प रखा है वह काफी महत्वपूर्ण है। मान्यवर, कृषि और उद्योग दोनों परक हैं। कृषि का औद्योगिकरण हो यह लगातार मांग बनी हुई है और कैस क्रोप के रूप में भी अब खेती को लिया जाता है, जड़ी बूटी, हरबल, फल फूल इन रूपों में भी लाये जा रहे हैं। ये सही है कि हमारे कृषि योग्य भूमि बची रहनी चाहिए ये परिस्थितियां भी बनी रही कि यही भूमि उपजाऊ है, बंजर जमीनों क भी उपजाऊ करने के प्राविधान है दुनिया में ही नहीं अपने देश में भी राजस्थान मे हरियाली है वह इस बात का प्रतीक है। इसलिए मान्यवर, प्रधानमंत्री जी की मार्च 200 की घोषणा के अनुसार औद्योगिक इकाई स्थापित करना हमारे लिए आवश्यक हो गय है। हरिद्वार में हमारी उपलब्ध जमीन है जिस पर कार्य नहीं हो रहा था उसका अधिग्रहण किया गया और सबसे ज्यादा इकाई हरिद्वार क्षेत्र में आई है।

नम्बर–2 पंतनगर विश्वविद्यालय के पास ही सर्वाधिक जगह थी जहां जिले के हैडक्वाटर से लेकर कमीशनरी के हैडक्वाटर और पंतनगर कृषि फार्म के अन्तर्गत आती थी। यह सही है कि लम्बे समय से कई तरह की कठिनाईयों का शिकार हो रहा था।

मान्यवर, ऐसे स्थान पर जहां उद्योगपति आना चाहें। यहां के लिए 1750 करोड़ रुपये के पूंजी विनियोजन का प्रस्ताव आया है। कई प्रस्ताव आये हैं। भारी संख्या में इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। दो पैकेज दिये गये थे। एक में तो पहले से ही वहां कृषि नहीं होती थी। यह बी0एच0ई0एल0 की भूमि थी। यह खाली पड़ी हुई थी। दूसरा स्थान पंतनगर यूनिवर्सिटी के फार्म हाउस का था। यहां पर काफी स्थान था जब जिला बना तब भी इसी जमीन को मांगा गया था। मान्यवर, तमाम उद्योगपति वहीं पर जाना चाहते हैं जो स्थान सुलभ हो, मुख्य मार्ग पर हो, हवाई पट्टी से जुड़ा हो, रेलवे लाईन से जुड़ा हो ऐसी जगह पर ही उद्योगपति आना चाहते हैं। आज हमें कृषि और औद्योगीकरण को साथ लेकर चलना होगा। उत्तरांचल में भारी पूंजी निवेश आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की रियायतों के कारण भारी पूंजी निवेश उत्तरांचल में आ रहा है। कुछ इकाईयां 2006 और कुछ 2007 तक कार्य करना शुरू कर देंगी। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, कर्मचारी काम करने लगेंगे और एक काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र उत्तरांचल में स्थापित हो जायेगा।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, बी0एच0ई0एल0 की जमीन का अधिग्रहण तो ठीक है पर पंतनगर यूनिवर्सिटी के पास जिस जमीन का अधिग्रहण किया गया है वह गलत है। पंतनगर विश्वविद्यालय पूरे देश में प्रसिद्ध है। इसने कृषि को एक नयी दिशा दी है। बहरहाल मैं अपनी बात को एक शेर में कहता हूं।

"तेरी खुशी से गर गम में भी खुशी न हुई,
वह जिन्दगी तो मोहब्बत की जिन्दगी न हुई।"

इसी के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए कृषि योग्य सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाना चाहिए।" को वापस लिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था के सम्बन्ध में संकल्प

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जो 2–3 बिन्दु मेरे दिमाग में हैं उन्हीं के आधार पर दो चार बिन्दु रखना चाहता हू।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के संकल्प पर उत्तर माननीय गन्ना मंत्री जी दे दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, यह तो बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, इनसे उत्तर न दिलवायेगा।

(हंसी)

मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय विधायकों को जो पैट्रोल और डीजल के लिए नकद पैसा मिलता है उसी प्रकार से रेलवे के लिए जो कूपन्स मिलते हैं उतने ही हमें नकद मिलना चाहिए क्योंकि इससे कभी–कभी परेशानी होती है और सरकार के पैसे का भी लॉस होता है और इनसे कभी दुरुपयोग हो जाता है कि कूपन से कोई और यात्रा कर लेता है। जैसा आपने कई बार अखबारों में भी पढ़ा होगा, तो इस प्रकार की समस्याओं का भी सामना जनप्रतिनिधियों को करना पड़ता है। मान्यवर, इसके अलावा दूसरी परेशानी कि जब हम कहीं का रिजर्वेशन करा लेते हैं और किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं या कोई जरूरी मीटिंग हो जाती है तो यह पैसा न तो सदस्यों को वापस मिलता है न ही राज्य सरकार को मिल पाता है। इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग होता है। यह दुरुपयोग न हो इसके लिए रेलवे कूपन के बराबर की धनराशि सदस्यों को यदि नकद दे दी जाय। इसके अलावा कभी–कभी हमें राज्य से बाहर हवाई यात्रा भी करनी पड़ती है, लखनऊ में इसके लिए हमको एम0सी0ओ0 मिलता था तो यह धनराशि जो हमें रेलवे कूपन के रूप में मिलती है अगर वह धनराशि हमें नकद दे दी

जाय तो हम उससे हवाई यात्रा भी कर सकते हैं, ट्रेन द्वारा भी कर सकते हैं और ऐसे में यदि टिकट कैंसिल भी हुआ तो वह पैसा हमें वापस मिल सकता है। इसके साथ ही मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इस संकल्प को पारित करायें, इसके साथ ही एक बात और है मान्यवर, जो हमारे भूतपूर्व सदस्य हैं उनकी भी यह पीड़ा है, कई सदस्य अल्मोड़ा के हैं, उत्तरकाशी के हैं या चमोली के हैं तो उनको कूपन लेने यहां आना पड़ता है यदि यह नकद वाली व्यवस्था हो जाये तो उनको भी सुविधा होगी।

मान्यवर, चूंकि बात वही है, उतना ही पैसा सरकार को देना है तो कूपन की जगह नकद धनराशि मिल जाय तो सरकार पर कोई अतिरिक्त व्यय भार भी नहीं पड़ेगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जैसा अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नकद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाय तो मैं बताना चाहूंगा कि यह व्यवस्था आपके सम्मान के लिए है उसके वर्गीकरण के लिए है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन कराने के बाद टिकट यदि कैंसिल कराना पड़ता है तो यह पैसा सरकार के पास वापस नहीं आ पाता है, वह सही है और इसकी निश्चित ही व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय उपाध्याय जी द्वारा एक ही बात को कहा गया, मैं मात्र जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर माननीय सदस्य वहां पर यह लिखकर दे दें कि अपरिहार्य कारण वश यह यात्रा कैंसिल हो गई है तो यह पैसा राज्य सरकार को वापस मिल जाता है।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने बताया और माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कहा, मान्यवर, मैं कई बार लिख चुका हूं, मैंने लिखा कि चूंकि मैंने इस टिकट से यात्रा नहीं की, इसको निरस्त करने के लिए मैंने कहा लेकिन उसकी धनराशि वापिस नहीं हुई। मान्यवर, यह धनराशि कम से कम सरकार के खाते में तो जानी ही चाहिए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, इसके लिए एक प्रोफार्मा होता है, उसको भर कर देना पड़ता है।

***श्री दिनेश अग्रवाल–**

मान्यवर, रेलवे में आरक्षण की जो व्यवस्था है। यदि कोई माननीय सदस्य एक्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा करना चाहता है तो उसका रिजर्वेशन नहीं हो पाता। मान्यवर, इसके लिए हमारे यहां से ही लिख कर गया, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि जो माननीय सदस्य जिस क्लास में यात्रा करना चाहे उसका रिजर्वेशन मिल जाए। मेरा अनुरोध है कि यहां से यह लिख कर चला जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आज ही हमने विधान सभा सदस्यों, मंत्री तथा अधिकारियों की उपलब्धियों और पेंशन का विधेयक पास कराया है। इसमें रेलवे कूपन 84 हजार से बढ़कर एक लाख बीस हजार हो गए हैं। हमने सिर्फ अपनी ही सुविधाए नहीं देखी हैं, हमने सभी बातों का आकलन किया। यह कहना कि नगद पैसा मिल जाएगा तो प्लेन से यात्रा कर लेंगे व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है क्योंकि जब नगद पैसा मिलने लगेगा तो हो सकता है कि हम प्लेन तो दूर सैकेण्ड ए0सी0 में भी यात्रा न करें। उत्तर प्रदेश में जब एम0सी0ओ0 मिलता था तो माननीय सदस्य हवाई यात्रा कर लेते थे कि कहीं लैप्स न हो जाएं। हमारे नये राज्य में जो प्रतिबन्ध दिए गए उससे निश्चित रूप से हमारे साथियों को कठिनाई हुई। लेकिन अब एम0सी0ओ0 लाने के लिए सचिव विधानसभा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। यह जल्दी ही मिल जाएगा। आपको 24 हजार मिल गए हैं, अब चाहे आप इनको एक दिन में खर्च करें, चाहे 2 दिन में खर्च करें या महीने भर में खर्च कर दें, इससे अधिक नहीं मिलता है।

मान्यवर, आपने अपनी सुविधाओं का कागज पढ़ा ही नहीं। 84 हजार के स्थान पर एक लाख बीस हजार कर दिया गया है। इसमें एक मांग यह थी कि उत्तर प्रदेश में बढ़ा दी गई, यहां भी बढ़नी चाहिए तो हमने उसी तिथि से यह बढ़ा दी। मैं समझती हूं इसको ऐसे ही वापस ले लिया जाए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, जब सरकार कुर्सी में होती है तो वह न्यायोचित बात को भी स्वीकार नहीं करती। सत्ता का मद होता है। मान्यवर, भूतपूर्व विधायक को सुदूर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ आदि क्षेत्रों से आने में दिक्कत होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आरक्षण की व्यवस्था सचिवालय में ही थी, उसी प्रकार से यहां भी कर दी जाए। रेलवे आरक्षण का नगद पैसा भूतपूर्व विधायकों को दे दिया जाना चाहिए।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, जाते–जाते गुस्सा ठीक नहीं है। कल बकरीद का पर्व है। उसे मनाईये।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मेरे तीखे तेवरों को जब यह सरकार स्वीकार नहीं कर रही है तो हंसी मजाक में तो चटनी बना देगी।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, भूतपूर्व विधायकों की स्थिति वास्तव में चिंतनीय है। अखबारों में पढ़ने को अक्सर मिलता है। हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि उन्हें किस प्रकार से सुविधा प्रदान की जाए।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, हम अधिक की मांग नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक मेजर हिस्सा कैश के रूप में मिल गया है। इससे केवल सरकार में बैठे हुए लोगों को ही लाभ नहीं हुआ है। मान्यवर, हरिद्वार और देहरादून के हमारे माननीय सदस्य तो कूपनों का इस्तेमाल शताब्दी आदि गाड़ियों में भी कर लेते हैं। पैसा न मिलने वाली जो बात माननीय कण्डारी जी ने कही, इसके लिए प्रोफार्मा भरने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने रेलवे अधिकारी से बात की थी कि इसको सरल किया जाए। उत्तरांचल सरकार ने भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय को पैसा दिया है, आपको कूपन मिलते हैं। हमारी सरकार के पैसे का अपव्यय नहीं होना चाहिए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसमें यह व्यवस्था क्यों नहीं हो जाती है कि प्रोफार्मा भरा ही न जाए।

***श्री शूरवीर सिंह–**

मान्यवर, इसके लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसके लिए हमारे सभी साथियों को अपनी जिम्मेदारी को समझ कर काम करना होगा।

श्री शूरवीर सिंह–

मान्यवर, जिस तरह से रेलवे के रेट बढ़े हैं, उसी तरह से हमारे कूपन भी बढ़ाए जाने चाहिएं।

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, बढ़ गये है। 84 हजार से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार कर दिया गया है।

माननीय पंत जी आप तो अध्यक्ष के सम्मानित पद पर पूर्व में विराजमान रह चुके हैं। आज ही तो यह पास हुआ है, उस समय कोई संशोधन आता तो वार्ता हो जाती। इस समय कुछ नहीं कर सकते, आज इसको लेने का कोई औचित्य नहीं है। यदि इस पर पहले कोई संशोधन होता चर्चा होती तो कोई बात थी। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसको तो सर्वसम्मति से ताली बजाकर पास किया गया है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, जैसे किसी माननीय सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जैसे स्वर्गीय त्रिपाठी जी का ही मामला हमारे सामने आया। पारिवारिक पेंशन का विषय भी बहुत चिन्तनीय है, कौन ऐसी स्थिति में उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा देगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी जो विधेयक विधान सभा में आते हैं कई बार ऐसा होता है कि कोई सदस्य कभी अनुपस्थित रहता है तो मेरा आग्रह है उसके बाद कम से कम वह विधेयक उसके घर भिजवाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के रेलमार्गों की न्यूनता को दृष्टिगत रखते हुए विधान सभा के सदस्यों को अनुमन्य रेलवे ट्रेवल कूपन्स के मूल्य के समतुल्य धनराशि पेट्रोल एवं डीजल के व्यय के लिए नगद भुगतान की व्यवस्था कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनायी जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु उत्तरांचल में राजस्व पुलिस को सुदृढ़ एवं सक्षम बनाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनायी जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

"उत्तरांचल राज्य के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा फल, अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय" पर प्रस्तुत संकल्प

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हू कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य सरकार के अधीन सभी विभागों, निगमों, परिषदों एवं अन्य अर्धसरकारी संस्थानों में रिक्तियों को भरने हेतु ली जाने वाली परीक्षा एवं साक्षात्कारों का परीक्षाफल अंक तालिका सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाया जाए, पर प्रस्तुत संकल्प

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम तथा ग्राम सभा जौंक को मिलाकर नगर पंचायत बनाया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के भू–गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण की संस्तुति हेतु भूगर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है प्रदेश के भू–गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण की संस्तुति हेतु भू–गर्भ विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ को ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनि तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्रीमती आशा देवी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड ऊखीमठ की ग्राम पंचायत ऊखीमठ, ग्राम पंचायत अगस्त्यमुनि तथा ग्राम पंचायत गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल राज्य से बहने वाली नदियों के किनारे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में बहने वाली नदियों के किनारे ऊंचे पहाड़ों पर स्थित ग्रामीण अंचलों में जल की आपूर्ति हेतु लिफ्ट वाटर स्कीम बनाई जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

प्रदेश के जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों के मुआवजे की धनराशि के मानकों में वृद्धि हेतु समयबद्ध नीति के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में गुलदार, भालू एवं अन्य जंगली जानवरों द्वारा मारे गये तथा घायल व्यक्तियों को मुआवजे की धनराशि बढ़ाते हुए मानक तय किये जायं और इसे जल्द से जल्द पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाने हेतु एक समयबद्ध नीति बनाई जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जाए, के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव सीधे जनता द्वारा कराये जायं।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल में गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है उत्तरांचल में गौ–हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु सरकार कानून बनाए।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली वस्तु प्रायः वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

*श्री गगन सिंह रजवार–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तरांचल के पर्वतीय अंचलों में निवास करने वाली लुप्त प्रायः वन राजि आदिम जनजाति के संरक्षण, संवर्धन एवं उत्थान की व्यवस्था करें।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

पर्वतीय क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या हेतु पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है पर्वतीय क्षेत्र की गम्भीर पेयजल समस्या के समाधान हेतु व्यापक जनहित में पम्पिंग पेयजल योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाय।"

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से मैं श्री हरीदास एवं श्री मदन कौशिक की सूचनाओं को छोड़ कर शेष सभी सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

उत्तरांचल पुलिस में पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति के मानकों में वरीयता का मापदण्ड अपनाये जाने के सम्बन्ध में श्री काशी सिंह ऐरी स0वि0स0 द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[पूर्व में वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उप निरीक्षकों से निरीक्षक की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर किये जाने का शासनादेश जारी किया गया। इस शासनादेश के विरुद्ध कतिपय उप निरीक्षकों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09–05–2002 में उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश जो ज्येष्ठता के आधार पर वर्ष 1994 में जारी किया गया है, उसके स्थान पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1965 के शासनादेश में चयन हेतु श्रेष्ठता (मैरिट) निर्धारित थी, को सही माना गया है। मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 24–07–2003 द्वारा उप निरीक्षक से निरीक्षक के पद पर पदोन्नति में श्रेष्ठता का मापदण्ड निर्धारित करते हुये शासनादेश जारी किया गया है।

उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश द्वारा पदोन्नति हेतु "श्रेष्ठता" हेतु निर्धारित मापदण्डों को ही अपनाया गया है और इसी आधार पर उत्तरांचल शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 23–09–2004 को निर्गत की गयी है।

उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना में ज्येष्ठता को यथोचित वरीयता देते हुए शैक्षिक योग्यता को भी यथोचित स्थान देने हेतु शैक्षिक योग्यता के अंक निर्धारित किये गये है। प्रस्नगत अधिसूचना में श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता में एक न्यायिक साम्य बनाया रखा गया है, ताकि वरिष्ठता के साथ–साथ उत्कृष्ट अर्ह अधिकारी भी पदोन्नति के आयाम प्राप्त कर सकें।

उक्त अधिसूचना के आधार पर ही पूर्ण रूपेण पारदर्शिता को अपनाते हुये उप निरीक्षक से निरीक्षकों के पदों में पदोन्नतियां की गयी हैं।]

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाए लेकिन मुझे एक स्पष्टीकरण पूछना है माननीय मंत्री जी से, उपनिरीक्षकों की पदोन्नति के बारे में।

श्री हरबंश कपूर–

मान्यवर, मेरी भी सूचना थी।

श्री अध्यक्ष–

तीन सूचनाओं को छोड़कर सभी ले ली हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, एक ध्यानाकर्षण करवा दें, आज सभी सूचनायें ले लें।

श्री अध्यक्ष–

इनकी पुनरावृत्ति हुई है, यह पहले भी आ चुकी हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जो वक्तव्य है उसमें उपनिरीक्षकों की पदोन्नतियों को लेकर मैंने प्रश्न उठाया था और जिस पर यह कहा गया था कि हमने ज्येष्ठता के साथ ही साथ श्रेष्ठता

नोटः– [   ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का भी ध्यान रखा है। मान्यवर, विभिन्न शासनादेश का उल्लेख किया गया है, उच्चतम न्यायालय का भी उल्लेख किया है, यह ठीक है, लेकिन 1980 से पहले चूँकि उपनिरीक्षकों की भर्ती की जो योग्यता थी वह इण्टरमीडिएट थी उसके बाद स्नातक हो गया। अब यह उनकी गलती तो नहीं थी कि उन्होंने स्नातक नहीं किया, तब यह नीति थी कि इण्टरमीडिएट वाले उपनिरीक्षक बन सकते हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, पुनरावृत्ति नहीं हुई है, एक बार भी नहीं उठा है।

श्री अध्यक्ष–

पहले आ चुका है। मा0 ऐरी जी आप बोलें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो सरकार ने उत्तर दिया है तो उसमें शासन ने स्पष्ट किया है कि हमने ज्येष्ठता के साथ–साथ श्रेष्ठता का भी ध्यान रखा है और दोनों के बीच में न्यायिक सामन्जस्य बैठाने की कोशिश की है और यह न्यायिक सामन्जस्य बैठाने का जुमला शासन ने अपने वक्तव्य में दिया है, उससे मैं असहमत हूं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सन् 1980 में कई आई0पी0एस0 अधिकारी चयनित हुए और एक अधिकारी 1995 में चयनित हुये और इस प्रमोशन नीति के अनुसार करें तो 1980 के आई0पी0एस0 पुलिस अधीक्षक रह जायेगा और 1995 का डी0जी0पी0 या डी0आई0जी0 बन जाये तो वह कैसा लगेगा। मेरे पास विस्तार से है पर मैं कहना नहीं चाहता हूं। इसका पूरा विवरण सरकार को उपलब्ध करा दूंगा, आप इस पर विचार करेंगे केवल इतना बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप को विदित है, सेवाओं से आप भी जुड़े रहे। मान्यवर, सेवाओं के लिए नियम और नियमावली होती है, वह कोई तोड़ने, मरोड़ने और सीनियरिटी वरीयता और सीनियर दोनों के आधार पर होता है। मान्यवर, मेरे पास जो अंक चार्ट है उसमें सेवा अवधि को 9 नम्बर, शैक्षिक योग्यता को 9 नम्बर, वार्षिक मन्तव्य को 30 नम्बर। मैंने इस दृष्टि से बताया कि साक्षात्कार के लिए 10 नम्बर हैं, विभिन्न कोर्सेस और खेलों में 18 नम्बर, पुरस्कार में 24 अंक, तो इस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। मान्यवर, आपने जो उदाहरण दिया तो आपको मालूम है कि जो डी0पी0सी0 होती है या विभागीय पदोन्नतियां होती हैं उनमें आपको यह भी मालूम है कि जो प्रविष्टियां हैं, उनके आधार पर पदोन्नतियां मिलती हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आप अपना उत्तर पूरा करें, पहले कृपया मुझे सुन लें। मान्यवर, मेरा जो संशय है, इसका विश्लेषण करेंगी तो मुझे यह लगता है कि 1980 से पहले जो उपनिरीक्षक नियुक्त हो गये, उनके मैरिट नम्बर दिये गये हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाये तो उन लोगों को भी पदोन्नति का लाभ मिल सकता है। इसलिए मैंने आपसे पहले

ही प्रार्थना की, मैं केवल आपका इतना संरक्षण चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार करवा लें, आप पुनर्विचार के लिए कह दें तो मैं लिखकर पूरा विवरण दे दूंगा।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह तो आप कभी भी शासन से निवेदन कर सकते हैं कि वह इन प्रकरणों पर नियम शिथिल करके पुनर्विचार कर ले। शासन हमेशा पुनर्विचार करती है। आप देंगे तो उस पर हमेशा पुनर्विचार होता है।

निर्बल आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों द्वारा लिए ऋण की ब्याज सहित 15 वर्षों बाद की जा रही वसूली के सम्बन्ध में श्री प्रकाश पंत, सदस्य, विधानसभा द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

[निर्बल वर्ग ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का आवास निर्माण हेतु रुपया 3000.00 तथा कालान्तर में रुपया 4600.00 की धनराशि प्रति लाभार्थी स्वीकृत करने के निर्देश थे। जनपद पिथौरागढ़ में शासनादेश के अनुसार वर्ष 1988–89 से वर्ष 1995–96 तक कुल 7157 पात्र लाभार्थियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया, जिन्हें निर्धारित मानक के अनुसार रुपया 210.542 लाख ऋण की रूप में वितरित किया गया। इस धनराशि को ब्याज सहित किश्तों में वसूली के निर्देश थे, परन्तु लाभार्थियों द्वारा नियमित रूप से ऋण की अदायगी न किये जाने के कारण अब तक वसूली लम्बित है। जनपद पिथौरागढ़ में अब तक मूलधन के रूप में रुपया 40.73 लाख तथा ब्याज के रूप में रुपया 17.42 लाख, इस प्रकार कुल रुपया 58.15 लाख की लाभार्थियों से वसूली की गई है। उक्त धनराशि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद् द्वारा शासकीय गारन्टी पर हुडको से प्राप्त कर ऋण के रूप में दी गई थी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा उक्त ऋण को वापस हुडकों को करने हेतु उत्तरांचल राज्य से आग्रह किया गया है। ऋण के रूप में ली गई राशि को हुडको को वापस किया जाना बाध्यता है।]

कुंवर प्रणव सिंह "चैंपियन" सदस्य, विधान सभा द्वारा सम्पादक "अमर उजाला" के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

मैं कु0 प्रणव "चैम्पियन" की विशेषाधिकार की सूचना पर निर्णय दे रहा हूं। श्री कुंवर प्रणव "चैम्पियन" सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14–07–2003 को "अमर उजाला" के दिनांक 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 जून, 2003 के देहरादून से प्रकाशित दैनिक संस्करणों की फोटो प्रति संलग्न करते हुए समाचार–पत्र में निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों/लेखों के आधार पर विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई है:–

नोट–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) शिकार के विवाद में फंसे विधायक मगरमच्छों पर गोलियां चलाने की शुरुआती जांच में पुष्टि।

(2) 1–मगरमच्छ के शिकार का मामला गरमाया–पूरा प्रकरण डी0एम0 के पास भेजा गया जिला वन अधिकारी को मौका मुआयना के निर्देश।

2–सपा ने की विधायक की गिरफ्तार की मांग, विधायक कहिन–विरोधियों का षड्यंत्र।

(3) मगरमच्छ ने विधायक को बुरा फंसाया–कांग्रेस खेमे के लोगों ने भी प्रणव की गिरफ्तारी की मांग की।

(4) मगरमच्छ शिकार प्रकरण में वन विभाग ने पैंतीस लोगों के बयान दर्ज किये–सपाईयों के बाद कांग्रेसियों ने भी अपने ही विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला, निधि से कराये गये निर्माण कार्यों में धांधली का आरोप, वन विभाग की टीमों ने झील में कांबिंग शुरू की।

(5) मगरमच्छ प्रकरण भाजपा ने भी मुंह खोला–जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं कुंवर प्रणव सिंह;

1–वन विभाग टीम झील में कांबिंग नहीं कर सकी;

2–मगरमच्छ पर गोली बरसाने का मामला गरमाया, वन्य जीव संस्थान से टीम बुलायी जायेगी;

3–गैर सरकारी एजेंसी से कराये जांच–बसपा विधायक तसलीम अहमद।

(6) 1–"वन विभाग की तीन किलोमीटर तक कांबिंग के निर्देश–प्रकरण में अपने बयानों से पलटे ग्रामीण;

2–मगरमच्छ प्रकरण को लेकर विधायक की जमकर निन्दा।

(7) जांच दल ने कांबिंग रिपोर्ट डी0एफ0ओ0 को भेजी भोगपुर सेक्शन की वन टीम भी करेगी मगरमच्छ के शिकार प्रकरण की जांच।

माननीय सदस्य से प्राप्त सूचना के संबंध में हिन्दी दैनिक "अमर उजाला" से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी। श्री अतुल माहेश्वरी, सम्पादक "अमर उजाला" दिल्ली रोड, मेरठ द्वारा उनके पत्र दिनांक 20 मई, 2004 द्वारा जो वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध करायी गयी उसके अनुसार निम्नलिखित तथ्य ध्यान में लाये गये हैं:–

1–मा0 सदस्य, विधान सभा, कुंवर प्रणव सिंह द्वारा यह कहना कि मगरमच्छ के मारे जाने की कोई वारदात नहीं हुई। वे इस तरह से किसी अपराध में लिप्त नहीं हैं और उनका यह कहना कि अमर उजाला में उनके विषय में प्रकाशित समाचार बेबुनियाद मनघढ़ंत और केवल उनकी प्रतिष्ठा को गिराने के उद्देश्य से छापे गये हैं, पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि यह कथन वास्तविकता पर आधारित नहीं है।

2–दिनांक 3–6–2003 को देहरादून के "अमर उजाला के संस्करण में शिकार में फंसे विधायक समाचार जो एनेक्सचर–एक में प्रकाशित हुआ है वह एनेक्सचर–बी

तथा सी के आधार पर छापा गया है। इस एनेक्सचर के अनुसार यह समाचार शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार, निवासी ग्राम केहडा, तहसील लक्सर जिला हरिद्वार द्वारा डी0जी0पी0 उत्तरांचल से की गयी शिकायत पर आधारित है जिसकी प्रति माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल और जिलाधिकारी हरिद्वार तथा पुलिस अधीक्षक हरिद्वार को भी प्रेषित है। एनेक्सचर सी के अनुसार शिकायतकर्ता द्वारा माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को भी शिकायत प्रेषित की। (इन दोनों शिकायतों में कोई तिथि अंकित नहीं है) मुख्य सम्पादक के अनुसार यह समाचार आब्जेक्टिव रिपोंटिंग का मामला है जिसमें कि प्रेस कॉंसिल ऑफ इण्डिया के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत दोनों पक्षों की बात को चित्रों सहित प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। कुंवर प्रणव सिंह के वक्तव्य को सफाई उप शीर्षक के अन्तर्गत उनके फोटोग्राफ के साथ प्रकाशित किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ''एस0डी0एम0 की साजिश है, जनविरोधी कार्यशैली की मुखालफत करता हू, शिकार तो दूर अपने क्षेत्र में काफी दिनों से गया ही नहीं।

3–शिकायतकर्ता द्वारा माननीय अध्यक्ष, उत्तरांचल विधान सभा को प्रेषित शिकायत की फोटो प्रति संलग्न की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा माननीय विधायकों की इस प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4–इस मामले में शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार सुपुत्र श्री जबर सिंह निवासी केहडा पुलिस स्टेशन, लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार के न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अन्तर्गत अर्जी की गई है जिसकी फोटो प्रति एनेक्सचर के रूप में संलग्न किया गया है।

5–सम्पादक द्वारा अवगत किया गया है कि मा0 विधायक कुंवर प्रणव सिंह से उन्हें कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है तथा समाचार–पत्र के पाठकों तथा आम जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के अनुसार आब्जेक्टिव रिपोंटिंग के अनुसार समाचार छापा गया है।

6–संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को समानता के अधिकार प्राप्त हैं किन्तु यदि कोई व्यक्ति दण्डनीय अपराध करके कानून का उल्लंघन करता है तो कोई विशेषाधिकार, फौजदारी अपराध के संबंध में समाचारों के प्रकाशन में बाधा नहीं बनता जैसा कि संविधान में विहित हैं तथा जैसा समाचार–पत्रों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है।

मा0 विधायक कुवर प्रणव सिंह द्वारा दी गयी शिकायत के तथ्यों तथा श्री अनिल माहेश्वरी, सम्पादक ''अमर उजाला'' द्वारा दिये गये तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित तथ्य विचारणीय प्रतीत होते हैं।

1–समाचार–पत्र द्वारा उपलब्ध किये गये प्रमाण के आधार पर समाचार शिकायतकर्ता श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम केहड़ा द्वारा दी गयी शिकायत के आधार पर प्रकाशित किया गया है जिसके विषय में उनके द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया है वह शिकायत मा0 अध्यक्ष महोदय के ध्यान में लाई गई है किन्तु उक्त शिकायत के प्राप्त होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है।

....उपलब्ध सूचना के साथ इस प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट हरिद्वार के न्यायालय में याचिका दी गयी है, जो समाचार 3 जून, 2003 के दौरान समाचार पत्र में प्रकाशित हुए हैं उन सभी समाचारों का आधार उपलब्ध नहीं है तथापि मुख्य शिकायतकर्ता की शिकायत की फोटो प्रति को आधार मानते हुए विचार किया जाय तो निश्चित रूप से प्रथम दृष्टतया ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाशित समाचार के आधार पर समाचार–पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता। मा0 सदस्य द्वारा विशेषाधिकार हनन का जो प्रकरण उठाया गया है वह विशेषाधिकार हनन की परिधि में इसलिए भी आता प्रतीत नहीं होता क्योंकि सदस्य विधान सभा की हैसियत में सदस्य के साथ किसी घटना के घटित होने का प्रमाण स्थापित नहीं होता है किन्तु समाचार सम्पादक को इस सन्दर्भ में दूर–दृष्टि अपनानी चाहिए थी कि "आब्जेक्टिव रिपोर्टिंग" को आधार बनाते हुए एक नागरिक के शिकायती–पत्र के आधार पर छापे गये समाचार से परोक्ष रूप से ही सही निर्वाचित माननीय सदस्य की प्रतिष्ठा एवं सम्मान को ठेस न पहुंचे। प्रश्नगत प्रकरण में यदि किसी समाचार अंश से मा0 सदस्य के सम्मान को ठेस पहुंची है तो उसका निवारण माननीय न्यायालय अथवा प्रेस परिषद् में अभ्यर्थना कर सकते हैं। इस प्रश्न को मैं, विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

माननीयवर, मेरा मात्र इतना ....

श्री अध्यक्ष–

निर्णय आ चुका है। मैं एक सूचना और दे रहा हूं। आज पूर्वाह्न 11.33 बजे जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन का बहिर्गमन कर रहे थे। उस समय दर्शक दीर्घा से दो व्यक्तियों ने "गैरसैण राजधानी दो वरना गद्दी छोड़ दो, राजधानी गैरसैण–गैरसैण जनता ने यह ठानी है, गैरसैण राजधानी हो" नारा लगाया। दर्शक दीर्घा में तैनात रक्षकों ने तथा मार्शल विधान सभा के निर्देश पर गये अन्य रक्षकों ने तुरन्त ही उन दोनों व्यक्तियों को अपने वश में करके उन दोनों को दर्शक दीर्घा से हटा दिया। उक्त दोनों व्यक्तियों के पास से तलाशी में क्रमशः श्री सतीश लखेड़ा (पास क्र0सं0–2370) तथा श्रीमती कमला पन्त (पास क्र0सं0–2369) के नाम से जारी प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ। पूछने पर उन्होंने अपना नाम श्री सतीश लखेड़ा, पुत्र डा0 एल0एन0 लखेड़ा, निवासी ग्राम–सिमाण, पो0–गैरसैण, थाना–कर्णप्रयाग, जिला–चमोली, उत्तरांचल तथा श्रीमती कमला पन्त पुत्री श्री सी0डी0 पन्त, निवासी जी–3 रेसकोर्स, थाना डालनवाला, देहरादून, उत्तरांचल बताया। श्रीमती कमला पन्त, उत्तराखण्ड महिला मंच की संयोजक है तथा श्री सतीश लखेड़ा, उत्तराखण्ड संयुक्त संघर्ष मोर्चा, गैरसैण के संयोजक हैं। जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि श्री सतीश लखेड़ा का दर्शक दीर्घा का प्रवेश–पत्र संख्या–2370 श्री काशी सिंह ऐरी, माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र कनालीछीना, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल एवं श्रीमती कमला पन्त का दर्शक दीर्घा का प्रवेश–पत्र संख्या–2369 श्री प्रदीप टम्टा, माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र–सोमेश्वर, जिला अल्मोड़ा, कांग्रेस की संस्तुति से जारी किये गये थे। माननीय विधायकों के संस्तुति पत्र तथा दोनों

दर्शकों के दर्शक दीर्घा के पास अवलोकनार्थ संलग्न हैं। उक्त व्यक्तियों ने दर्शक दीर्घा से नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा किया और माननीय सदन का अपमान किया है। उक्त दोनों व्यक्तियों को इस समय मार्शल की अभिरक्षा में रक्षकों द्वारा बैठाया गया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन में जब प्रश्न काल चल रहा था तो यह बात माननीय सदस्यों के संज्ञान में आई। जिसके बारे में सदन के मार्शल की जांच आख्या रिपोर्ट अपने सदन के सम्मुख रखी। इसके पूर्व भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और उसमें सारे सदन की चिन्ता थी कि इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से और सभी माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप यह बात जरूर कहना चाहूंगा और मैंने यह बात कही भी है कि सार्वजनिक रूप से कि इस सदन में जनता की बात को उठाने का विशेषाधिकार जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधियों का है। आम जनता को इसमें अपनी आवाज उठाने का इस तरह से अधिकार नहीं है। यह असंवैधानिक है, अवैधानिक है।

मान्यवर, यह तो व्यवस्था है, संविधान की है नियमों की व्यवस्था है। मान्यवर, पिछली बार जब इस तरह की घटना हुई थी तो मैंने आपसे आग्रह किया था कि भावातिरेक में कोई इस प्रकार से कार्य कर सकता है और यह भावातिरेक में ही होता है। मान्यवर, जैसी कि इन मामलों में परम्परायें भी हैं कि उनको उपवेशन चलने तक सदन की अभिरक्षा में रखने के बाद उन्हें क्षमा कर दिया जाता है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा आप उन्हें क्षमा कर दें, यह है तो बहुत गंभीर बात, इसके बाद आप एक समिति बना दें जो यह निर्णय कर लेगी कि ऐसे मामलों के दोषी को क्या दंड मिलना चाहिए, इसके लिए एक नियमावली बना दें। और जब नियमावली में प्रावधान हो जायेगा तो हम लोग भी यह नहीं कह सकेंगे कि ऐसे प्रकरणों में क्षमा दे दी जाय। क्योंकि तब यह नियम बन जायेगा और नियमों का पालन सबको करना ही पड़ेगा तो एक सहमति बन जायेगी। नियमावली बन जायेगी। चूंकि अभी तो ऐसी कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है तो आपसे आग्रह करूंगा कि उन्हें तब से अभिरक्षा में रखा ही गया है। अभी आप उन्हें क्षमा कर दें और बाद में जो भी निर्णय आप करेंगे, सर्वदलीय सहमति बन जायेगी तो फिर यह बात यहां पर नहीं आयेगी। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि उपवेशन के समाप्ति के बाद उन्हें क्षमा कर रिहा कर दिया जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, प्रश्न काल में जो घटना घटित हुई उसका मुझे दुःख है और इस प्रकार की घटना पहले भी घटित हो चुकी है, हमें ऐसा आभास हुआ है कि जब हमने हाउस से बहिर्गमन किया था तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह घटना घटित कराई होगी ऐसा लग रहा था तो मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे दल की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। किसी अधिकारी ने जब मुझे बताया कि ऐसी घटना हुई है तो हमें पता चला। मान्यवर, यह प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जनता को अपनी बात कहने का अधिकार है और प्रजातंत्र में कभी–कभी जनता अपना आक्रोश भी व्यक्त

करती है, लेकिन उसे व्यक्त करने का भी तरीका होता है और सदन को इसका केन्द्र नहीं बनाया जाना चाहिए। यह सब संविधान के अन्दर ही होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आप एक समिति का गठन कर दें जैसा अभी ऐरी जी ने भी कहा और इसकी एक नियमावली बना दी जाय। और इस समय जो श्रीमती कमला पंत और श्री सतीश लखेड़ा द्वारा सदन में जो नारे लगाये गये, वह गलत है, यह अच्छी बात नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप उन्हें क्षमा करने की कृपा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय काशी सिंह ऐरी जी ने,.......।

(व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह मामला माननीय नौटियाल जी के क्षेत्र का है, उन्हें भी अवसर दिया जाय।.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब कॉल हो गई तो.........

(कई माननीय सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

सभी को बोलने का अवसर दिया जाय, हम तो चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन यह अच्छी परम्परा नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, ऐसी ही एक घटना पहले भी घट चुकी है। आप ही लोगों ने उन्हें क्षमा करने के लिए अनुरोध किया। मैंने प्रवेश जारी करने के बारे में अनुरोध किया था कि देख–भाल कर और निरीक्षण, परीक्षण करने के बाद ही प्रवेश–पत्र जारी करें। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। यह गंभीर बात है। यह परम्परा बन जाएगी। यह सर्वोच्च संस्था है, यहां पर इस तरह का व्यवहार करना अपराध है। सदन की अवमानना करना, सदन चलने में अवरोध पैदा करना एक गंभीर अपराध है। हम कब तक सदाशयता दिखाएंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं तो वह बात बताना चाहता हूं, जिससे सरकार को और सदन को मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष–

इसके लिऐ हम अलग से बैठक कर सकते हैं, उसमें सारी बातें आ जाएंगी।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने क्षमा का प्रस्ताव रखा है। यह बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक है। जो माननीय सदस्य इसमें अपने विचार नहीं रख सके, उनको पीड़ा होगी। मान्यवर, जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए जन प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, उनकी ही बात करने के लिए यहां पर बैठे हैं। पहले भी यह बात आयी। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसकी जानकारी पहले से थी, केवल हमको जानकारी नहीं थी क्योंकि जब मैं बाहर बैठी थी तो बहुत से लोग कह रहे थे कि हम कैमरे लेकर आए हैं। मान्यवर, हमारे यहां दर्शक दीर्घा सदन से मिली हुई है। प्रारम्भ में जब 30 सदस्यों की हमारी विधान सभा थी तब इसका निर्माण कराया गया था। आज जनतन्त्र में हम अपने सदन की रक्षा करने में भी प्रभावी कदम उठाने में भी अक्षम हो रहे हैं। सदन में अभिव्यक्ति के लिए जन प्रतिनिधि हैं और छोटा सदन होने के नाते सभी को भागीदारी का अवसर भी मिल जाता है। दर्शक दीर्घा के पास माननीय सदस्यों द्वारा जारी कराये जाते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि उनको पहले से पता था कि ऐसी कोई घटना होने वाली है। लेकिन एक ही सत्र में दो बार यह घटना हो गयी है। आगे भी सदन चलना है, जो भी अध्यक्ष पीठ पर बैठेगा उसे सदन की मर्यादाओं को भंग करने वाले के लिए व्यवस्था सोचनी होगी। इस तरह की घटनाओं से पूरे सदन की अवमानना होती है। अभिव्यक्ति के लिए सभी के माननीय सदस्य यहां पर मौजूद हैं। यह घटना अत्यन्त निन्दनीय और दण्डनीय है। चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय ऐरी जी ने क्षमा की बात कही है, स्वाभाविक है कि उनकी इस भावना का आदर होना चाहिए। लेकिन ऐसा कब तक होगा? इस पर विचार करना आवश्यक है। अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो कल को कोई बड़ी घटना हो सकती है। मान्यवर, चूंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय ऐरी जी ने अनुरोध किया है और आज सदन का अन्तिम दिन भी है, हम कोई कड़वाहट लेकर यहां से नहीं जाएंगे। सदन उठ रहा है इसलिए जो क्षमा करने की प्रार्थना की गयी है, मैं उससे सहमति व्यक्त करती हूं।

सदन की दर्शक दीर्घा से नारे लगाये जाने से हुई सदन की अवमानना के मामले में गिरफ्तार व्यक्तियों के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रांति दल, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए मैं मार्शल विधान सभा को आदेश देता हू कि उन्हें अभिरक्षा से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन यह भी विचारणीय प्रश्न है कि यह सर्वोच्च मंच है। अभिव्यक्ति के अधिकारों का प्रयोग सदन की दर्शक दीर्घा से करना, इस तरह का व्यवधान पैदा करना निंदनीय कृत्य है। पिछले दिनों भी इसी तरह की घटना घटित हुई और आज पुनरावृत्ति हुई यह उचित नहीं है। हमने आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें क्षमा भी कर दिया है, उन्हें माफी भी दे दी गई किन्तु यह उचित परम्परा नहीं है हम सभी को ऐसे कृत्यों को रोकने के लिए सोचना पड़ेगा। आज तो दर्शक दीर्घा के अंदर नारे लगाये गये कभी इससे भी गम्भीर घटना हो सकती है। मान्यवर, उत्तरांचल देव भूमि है यहां इस तरह के आचरण की घटना के लिए कोई जगह नहीं है। अपनी बात को रखने के कई और भी तरीके हैं और भी मंच है, वहां अपनी बात कह सकते हैं। भविष्य में अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रवेश–पत्र जारी करते समय व्यक्ति के आचरण और व्यवहार को ध्यान में रखकर ही पास जारी करें। आगामी सत्र के लिए हम क्या रूपरेखा बनाए इस पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय समिति बनाई जाए और उसमें यह भी चर्चा होनी चाहिए कि ऐसे कृत्यों के लिए क्या दण्ड दिया जाए अन्य बहुत सारी बातें सर्वदलीय समिति में तय की जाए।

सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्रीमती इंदिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, राष्ट्रगान के लिये।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन–अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा
द्राविड़–उत्कल–बंग।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।।

जन–गण–मंगलदायक जय हे,
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(सदन का उपवेशन 06 बजकर 13 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हुआ।)

देहरादून
दिनांक : 20 जनवरी, 2005

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी ''क''

(देखिए तारांकित प्र० सं० 01 का उत्तर पीछे पृष्ठ 12 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 2005 के प्रथम गुरुवार हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–01 के उत्तरालेख का परिशिष्ट–1

वर्ष 2003–04 फल उत्पादन (मै0 टन)

क्र0सं0	जनपद का नाम	सेब	आड़ू	नाशपती	माल्टा
1	2	3	4	5	6
1.	पिथौरागढ़	140.00	2166	6408.00	6568.80
2.	चम्पावत	441.00	630.00	2230.00	724.20
3.	बागेश्वर	73.06	588.61	3600.02	1130.08
4.	अल्मोड़ा	1830.00	2378.00	56703.00	32984.92
5.	नैनीताल	20600.00	6710.00	10060.00	37.00
6.	ऊधमसिंह नगर	—	—	154.04	—
7.	चमोली	3700.00	890.00	486.00	3515.00
8.	रुद्रप्रयाग	133.50	342.00	180.00	511.80
9.	टिहरी	1967.00	474.73	595.60	700.14
10.	पौड़ी	204.36	151.47	317.88	241.50
11.	हरिद्वार	—	132.56	2103.18	—
12.	देहरादून	4353.00	113.72	129.31	21.00
13.	उत्तरकाशी	2829.87	577.99	368.72	232.43

गोविन्द सिंह कुंजवाल,
मंत्री।

नत्थी "ख"

(देखिए तारांकित प्र0 सं0–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी की वर्ष 2003–04 में ऋण/अनुदान की स्थिति

क्र0 सं0	उद्यमी का नाम व पता	उद्योग	ऋण/अनुदान (धनराशि लाख रु0 में)	रोजगार
1.	श्री मेहरवान सिंह पुत्र श्री विजेन्द्र सिंह कपूर गली उत्तरकाशी	स्वर्ण आभूषण	1.50	3
2.	मनवीर सिंह पुत्र श्री जबर सिंह ग्रा0 गंगोरी	आटा चक्की	0.85	2
3.	श्री सुदर्शन नौटियाल पुत्र श्री रामचन्द्र ग्रा0 पो0 माली	साउण्ड सर्विस	1.45	5
4.	श्री दिनेश पंवार ग्रा0 पो0 ज्ञानसू	काष्ठ कला	2.00	5
5.	श्रीमती अनुसुया देवी पत्नी श्री वी0पी0 खण्डूड़ी ग्रा0 पो0 श्यामपुर	सिलाई	0.64	2
6.	श्री चन्दन सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह ग्रा0 पो0 बड़ाकोट	ढाबा	1.00	2
7.	श्री सुरेन्द्र सिंह ग्रा0 पो0 चिन्यालीसौड़	सिलाई	1.00	4
8.	श्री सुदर्शन पुत्र श्री किशन सिंह ग्रा0 रैथल	चक्की	0.70	2
9.	श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री पुरुषोत्तम ग्रा0 पो0 उत्तरकाशी	आफसैट प्रिन्टिंग	4.58	10
10.	श्री सुन्दर लाल पुत्र श्री हर्षमणी ग्रा0 डुण्डा	इलैक्ट्रोनिक्स	1.65	2
11.	श्री हरीसिंह पुत्र दलीप सिंह ग्रा0 भ्राला	ढाबा	1.70	4
12.	श्रीमती निर्मला पत्नी श्री सूर्यपाल सिंह ग्रा0 पुरोला	मसाला	2.00	4
13.	श्री नत्थीलाल पुत्र काशीराम ग्रा0 पुरोला	सीमेंट जाली	1.96	4
14.	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री कल्याण सिंह ग्रा0 पो0 कुमोला	भारतीय मिठाई	1.94	4
15.	श्री गुलराज सिंह पुत्र जनरैल सिंह ग्रा0 तिरलोथ	चक्की	0.94	2

क्र0 सं0	उद्यमी का नाम व पता	उद्योग	ऋण/अनुदान (धनराशि लाख रु0 में)	रोजगार
16.	श्री श्याम सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह ग्रा0 पो0 जुशियाड़ा	फल प्रशो0	0.72	2
17.	श्रीमती सुधा देवी पत्नी काशीराम ग्रा0 ज्ञानसू	चक्की	1.75	4
18.	श्री जितेन्द्र पुत्र श्री बुद्धीलाल ग्रा0 ज्ञानसू	इलैक्ट्रोनिक्स	0.81	2
19.	श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री आत्माराम ग्रा0 ज्ञानसू	रेडीमेड	0.90	2
20.	श्री मनमोहन सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह कपूर गल्ली उत्तरकाशी	रेडीमेड	1.92	4
21.	श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह ग्रा0 खटूखाल	साउण्ड सर्विस	1.89	4
22.	श्री मनोज राणा पुत्र श्री तारा सिंह ग्रा0 ज्ञानसू	ढाबा	0.60	2
23.	श्री सुनील पवांर पुत्र श्री चन्दर सिंह ग्रा0 पो0 जुशियाड़ा	दुग्ध उत्पाद	1.80	4
24.	श्री सुरवीर सिंह ग्रा0 गंगोरी गर्म पानी गंगोरी	नाई गिरी	2.00	4
25.	श्री दिनेश कुमार उप्पल ग्रा0 जुशियाड़ा	ढाबा	10.00	18
26.	श्री राकेश शाह ग्रा0 ज्ञानसू	स्वर्ण आभूषण	0.60	04
27.	श्री महेन्द्र सिंह रावत ग्रा0 पो0 भुटाणू	काष्ट कला	2.00	6
28.	श्री रमेश सिंह ग्रा0 पो0 थुनारा	चक्की	0.90	2
29.	श्री मदन सिंह ग्रा0 रोंथला	सिलाई	1.00	4
30.	श्री विजय सिंह रावत ग्रा0 मनेरी	चक्की	1.00	2
31.	श्री कलम सिंह ग्रा0 गढ़थाली	ढाबा	0.45	1
32.	श्री जितेन्द्र सिंह ग्रा0 कन्ताड़ी	इलैक्ट्रोनिक्स	0.95	2

क्र0 सं0	उद्यमी का नाम व पता	उद्योग	ऋण/अनुदान (धनराशि लाख रु0 में)	रोजगार
33.	श्री अमर सिंह रावत ग्रा0 नौगांव	ढाबा	1.00	2
34.	श्री शूरवीर सिंह ग्रा0 मुगांरा	ढाबा	1.90	2
35.	श्री दौलत राम बडोनी ग्रा0 पुरोला	इलैक्ट्रीकल	1.70	4
36.	श्री जगपाल सिंह ग्रा0 कोटी	सिलाई	0.95	2
37.	श्री राजेन्द्र सिंह ग्रा0 पुराली	ढाबा	1.80	3
38.	श्री राजेश कुमार ग्रा0 वीरपुर डाण्डा	सिलाई	1.00	2
39.	श्री राजेश तोमर ग्रा0 पुरोला	काष्ट कला	2.45	5
40.	श्रीमती रक्षा लम्बा ग्रा0 पुरोला	रेडीमेड गारमेन्टस	2.00	4
41.	श्रीमती रजनी रतूड़ी कुमोला रोड पुरोला	इलैक्ट्रोनिक्स	1.92	4
42.	श्री त्रेपन सिंह रजवार कुमोला रोड पुरोला	फल प्रसं0	1.98	4
43.	श्री महिमा नन्द नौटियाल ग्रा0 माण्डो	पशुधारा	2.695	6
44.	श्री हीरा सिंह गडूडा ग्रा0 ज्ञानसू	टायर वल्कनीकरण	2.10	4
45.	श्री केदार सिंह रावत	ढाबा	4.00	8
46.	श्री विरेन्द्र सिंह गडूडा ग्रा0 ज्ञानसू	ढाबा	4.00	8

(ए0 के0 खण्डूरी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग,
देहरादून।

व्य0 उद्यमी ब्याज उपादान योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 में वित्तपोषित इकाइयों की स्थिति

क्र0 सं0	उद्यमी का नाम व पता	श्रेणी	उद्योग	वितरित धनराशि	रोजगार	बैंक का नाम
1.	श्री विनोद लाल ग्रा0 मुफियारा उत्तरकाशी	अनु0 जाति	स्क्रीन प्रिन्टींग	0.50	02	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
2.	श्री ओम प्रकाश जोशी विरला गली उत्तरकाशी	सामान्य	लान्डरी	1.84	03	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
3.	श्री धर्मानन्द ग्रा0 पो0 नौगला	सामान्य	चाय नास्ता	0.50	01	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
4.	श्रीमती सोमवती नौटियाल ग्रा0 विलोथ	सामान्य	रेडीमेड	1.50	03	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
5.	श्री इन्द्र देव कपूर गली उत्तरकाशी	सामान्य	दुग्ध उत्पाद	0.90	02	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
6.	श्री गजेन्द्र सिंह गुसाई गसाई जुशियाड़ा	सामान्य	इलैक्टोनिक्स	0.56	01	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
7.	श्रीमती सोना देवी ग्रा0 अण्डोली पो0 खडीसेरा	सामान्य	सिलाई	0.50	01	स्टेट बैंक उत्तरकाशी
8.	श्रीमती बिन्द्रा देवी ग्रा0 खुरमोला	अनु0 जाति	ढाबा	0.80	02	स्टेट बैंक ब्रह्मावाला
9.	श्री हर बिहर सिंह ग्रा0 मल्ला	सामान्य	ढाबा	0.55	01	स्टेट बैंक भटवाड़ी
10.	श्री जितेन्द्र प्रसाद रतूड़ी ग्रा0 पो0 भटवाड़ी	सामान्य	इलैक्ट्रोनिक्स	1.00	02	स्टेट बैंक भटवाड़ी
11.	श्री कन्हैया प्रसाद ग्रा0 पो0 भटवाड़ी	सामान्य	रेडीमेड	0.50	01	स्टेट बैंक भटवाड़ी
12.	श्री रमेश लाल ग्रा0 पो0 चिन्यालीसैण	अनु0 जाति	चर्म	0.45	01	स्टेट बैंक चिन्यालीसैण
13.	श्री कैलाश चन्द्र ग्रा0 पो0 चिन्यालीसैण	सामान्य	काष्ट कला	1.00	02	स्टेट बैंक चिन्यालीसैण
14.	श्री जय नारायण ग्रा0 कुमोला रोड पुरोला	अनु0 जाति	रेडीमेड	1.00	02	स्टेट बैंक पुरोला

क्र0 सं0	उद्यमी का नाम व पता	श्रेणी	उद्योग	वितरित धनराशि	रोजगार	बैंक का नाम
15.	श्री विद्या सागर ग्रा0 काडव	अनु0 जाति	लौह कला	1.92	04	स्टेट बैंक नौगांव
16.	श्री जगदीश ग्रा0 बलाडी पो0 नौगांव	अनु0 जाति	स्वर्ण आभूषण	1.96	04	स्टेट बैंक नौगांव
17.	श्री भार्गेन्द्र लाल ग्रा0 पुनगांव	अनु0 जाति	लौह कला	0.30	01	पी0 एन0 बी0 डुण्डा
18.	श्री शान्ती लाल ग्रा0 भवान पो0 भवान	अनु0 जाति	काष्ट कला	0.50	01	पी0 एन0 बी0 पीपली
19.	श्री रामनारायण ग्रा0 भवान	सामान्य	ढाबा	0.475	01	पी0 एन0 बी0 पीपली
20	श्री राजेन्द्र सिंह ग्रा0 पीपली	सामान्य	सा0 सर्विस	0.95	02	पी0 एन0 बी0 पीपली
21.	श्री कृष्ण कुमार मिश्रगांव	सामान्य	चक्की	0.875	02	पी0 एन0 बी0 पीपली
22.	श्रीमती चैता देवी ग्रा0 खोलिया	सामान्य	सिलाई	0.60	01	पी0 एन0 बी0 पीपली
23.	श्री केदार सिंह ग्रा0 बजलाड़ी	सामान्य	चाय नाश्ता	0.32	01	गंगा यमुना बर्निगाड
24.	श्री अतर सिंह ग्रा0 बौन पो0 रतूड़ीसेरा	सामान्य	सा0 सर्विस	0.90	02	ओ0बी0सी0 उत्तरकाशी
25.	श्री पूरण लाल ग्रा0 बगसारी	अनु0 जाति	नाई	0.50	01	ओ0बी0सी0 उत्तरकाशी
26.	श्री महावीर सिंह ग्रा0 सिगोट	सामान्य	ढाबा	0.55	01	ओ0बी0सी0 उत्तरकाशी
27.	श्री विजन सिंह ग्रा0 निसमोर	सामान्य	चक्की	0.576	01	ओ0बी0सी0 उत्तरकाशी

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 22 विधान सभा/540–10–01–2006–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।